



589
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

दिनांक
Date 20/6/23

संदर्भ सं०
Ref H96570 IC-1/NGT-175/2023

E-mail

To,
The Registrar General
Principal Bench
Hon'ble Natinal Green Tribunal
Faridkot House, Copernicus Marg, New Delhi.
E-mail : judicial-ngt@gov.in

Sub:- Regarding Interim Compliance Report on OA no. 859 of 2022 Abhist
Kusum Gupta Vs. State of U.P. and Ors.

Sir,

That in compliance of the orders dated 17-03-2023 passed by the Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi in O.A. No. 859/2022 Abhist Kusum Gupta Vs. State of U.P. and Ors., the interim Compliance Report is annexed herewith and forwarded to you with the request that the same may be placed before the Hon'ble Tribunal for perusal.

Encl: As Above.

Yours Sincerely


(Vivek Roy)

Chief Environmental Officer,
Circle-1

Copy to:

1. Member Secretary, U.P. Pollution Control Board, Lucknow for information.
2. Shri. Pradeep Misra, Advocate, Hon'ble Supreme Court/NGT, New Delhi for perusal and necessary action please.
3. Law Officer-1, U.P. Pollution Control Board, Lucknow for information.
4. Regional Officer, UPPCB, Greater Noida, Noida, Ghaziabad, Meerut, Muzaffarnagar and Saharanpur.


Chief Environmental Officer,
Circle-1

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226 010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई-मेल : info@uppcb.com
वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.com
Website : www.uppcb.com

Interim Compliance Report on OA no. 859 / 2022 Abhist Kusum Gupta Vs. State of U.P. and Ors.

Background

Hon'ble NGT, New Delhi OA no. 859 / 2022 Abhist Kusum Gupta Vs. State of U.P. and Ors. Order dated 25.11.2022 has given directions as follows:

1. A factual report for which a joint Committee comprising of UPPCB, UP Jal Nigam, MoEF&CC, NMCG and representative of Principal Secretary, Department of Irrigation is constituted and which shall submit a factual report within two months.

Hon'ble NGT, New Delhi OA no. 859 / 2022 Abhist Kusum Gupta Vs. State of U.P. and Ors. Order dated 17.03.2023 has given directions as follows:

1. Before passing any further coercive order for past violations, we direct a joint Committee headed by Chief Secretary, Uttar Pradesh with the involvement of MoEF&CC, NMCG, CPCB, State PCB, concerned District Magistrates and concerned Commissioners/Superintendents of Police, Additional Chief Secretary, Environment and ACS/Principal Secretary, Urban Development Department, State Irrigation and Flood Control, Uttar Pradesh to take remedial action for control of pollution of Hindon without further delay and also to deploy field monitoring teams to assess the real ground situation.
2. Environment and ACS/Principal Secretary, Urban Development Department, Uttar Pradesh will be the joint nodal agencies for coordination and compliance. The proceedings of the committee need not to wait for further nomination. MoEF&CC, DG, NMCG and Chairman CPCB may ensure nominations to the committee.
3. The Committee may meet within one week and will be free to function online or offline, undertake visit to the sites and interact with concerned authorities and stakeholders. Remedial action will involve assessment of compensation against erring industries for past violations equal to 10% turnover but not lower than assessed cost of restoration, closure of units which are continuing to cause pollution, prosecution of the owners of the industries under the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, following due process of law. The State itself is liable to pay compensation for discharge of untreated sewage @ Two Crore per MLD on the pattern of order of this Tribunal dated 03.08.2022 in O.A No. 1002/2018, Abhisht Kusum Gupta v. State of Uttar Pradesh &Ors. and in recent orders passed in respect of 28 States/UTs in O.A. 606/2018.
4. The erring industrial units may be put to notice of these proceedings by the State PCB for their response, if any, before this Tribunal.
5. An action taken report complete in all aspects be filed before this Tribunal on or before 30.06.2023 by e-mail at judicial- ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF. UPPCB will be the nodal agency for compliance and coordination.

6. The report may also be uploaded on the website of the State so that all concerned may access it and file their response, if any.

Causes of Pollution in river Hindon

Main Causes of pollution in river Hindon has been identified to be Untreated Domestic Sewage Discharge due to current gap in sewage generation and existing capacities of STPs in Hindon Basin, Untreated industrial discharge from illegal units in non-conforming areas/non-compliant units of conforming areas, non-availability of flow in River Hindon at its originating point itself.

Status of Compliance in pursuance to direction of Hon'ble NGT:

1. Constitution of committee

In compliance with the said order dated 17.03.2023 of the Hon'ble Tribunal, the committee is constituted under the Chairmanship of Chief Secretary Government of U.P by the department of Environment Forest and Climate Change, Government of U.P. vide order dated 05-04-2023 & 28-04-2023 for taking remedial action regarding pollution control of Hindon river. The copy of order is attached as **Annexure 1.**

2. Field monitoring teams

In compliance with the said order dated 17.03.2023 of the Hon'ble Tribunal, the Field Monitoring Team is constituted by Government of U.P. to assess the actual status of pollution of Hindon River which is attached herewith as **Annexure 2.**

3. Category-wise Status of Grossly Polluting Industries (GPI) in Hindon Basin

District wise details of type of industries situated in Hindon River basin as identified by UPPCB is given below: -

S.No.	District	Textile	Pulp & Paper	Sugar	Distillery	Tannery	Others	Total No. of Industries along Hindon
1	Ghaziabad	203	3	0	1	3	10	220
2	Gautam Budh Nagar (Greater Noida)	15	2	0	0	3	2	22
3	Baghpat	0	0	1	0	0	0	1
4	Saharanpur	20	2	2	2	0	0	26
5	Muzaffarnagar	5	32	8	4	1	1	51
6	Shamli	0	2	2	1	0	0	5

S.No.	District	Textile	Pulp & Paper	Sugar	Distillery	Tannery	Others	Total No. of Industries along Hindon
7	Meerut	2	1	2	1	0	1	7
	Total	245	42	15	9	7	14	332

4. Action taken against defaulting GPIs in Hindon River Basin

1. There are total 332 industries in the Hindon River Basin. Action has been taken which includes Closure notices issued against 101 defaulter units and Show Cause Notices against 100 defaulter units.

District wise details of action taken against defaulting units in the time period of April'22 to June'23 are given in the following table: -

Status of Action Taken against defaulter units since April 2022- June 2023					
1	2	3	4	5	6
S.No	District	Total no. of Industries along Hindon	No. of Industry against whom Closure Issued	No. of industry against whom Show Cause Notice issued	Total EC Proposed (in ₹ Lakh) as per CPCB Guideline
1	Ghaziabad	220	88	44	136.08
2	Gautam Budh Nagar (Greater Noida)	22	1	12	22.55
3	Baghpat	1	0	1	25.5
4	Saharanpur	26	8	13	22.40
5	Muzaffarnagar	51	3	24	45.90
6	Shamli	5	0	1	0.00
7	Meerut	7	1	5	64.30
	Total	332	101	100	316.73

2. UPPCB has issued further notices to the 41 defaulter units out of above 100 defaulter units, mentioned at column no.5 of above chart, to provide their Audited Balance Sheet (includes turnover) for imposition of EC as per Hon'ble NGT order dated 17.03.2023. Copies are annexed as **Annexure-3**.
3. Action against 123 illegal dairies has been taken by UPPCB by issuing Closure Notices and supply of electricity has been disconnected in 10 dairies and for the rest this process is under way. List of these units has been annexed as **Annexure No.-4**.
4. In Ghaziabad, action against illegal industries running in non-conforming areas of Sahibabad and Loni has been taken by District Level Committee against 1368 illegal units by way of conducting sealing/ demolish/electricity disconnection drives. List of these units has been annexed as **Annexure No.-5**.
5. In Noida, 15 illegal units operating in non-conforming area in Bahlolpur were identified by DLC and electric disconnections were done List of these units has been annexed as **Annexure No.-6**.

5. Status of Total Sewage Generation, existing treatment capacity, Gap and Future Plans: -

In Hindon River Basin presently, total 16 STPs are installed and all are operational, out of which, presently 13 STPs are achieving norms and 03 STPs are not achieving norms in terms of Fecal Coliform only. Total generation of sewage in Hindon River basin is 943.63 MLD and total existing treatment capacity available is 867.5 MLD. Now, there is a gap only in Saharanpur, Muzaffarnagar, Shamli and Meerut, whereas, there are excess treatment capacities in Ghaziabad and Gautam Budh Nagar in Hindon River Basin. Further, the gap of sewage treatment in the stretch of Hindon River from Saharanpur to Gr. Noida is 222.03 MLD. To meet out that gap, the status is represented below: -

1. There is a gap of 99.89 MLD in Saharanpur, to meet out the gap, STP of 135 MLD is proposed and the timeline for the completion is proposed in December 2025.
2. There is a gap of 78.64 MLD in Muzaffarnagar, to meet out the gap, STP of 64.5 MLD STP is under construction which will be achieved by July 2023. Presently, 32.5 MLD STP is in operation.
3. There is a gap of 33.5 MLD in Shamli, to meet out the gap, DPR of 04 STPs of total capacity 60 MLD is under review by NMCG and the timeline for the completion is proposed in December 2025.
4. There is a gap of 10 MLD in Meerut, to meet out the gap, 06 MLD STP is proposed at Sardhana Drain by Jal Nigam and the timeline for the completion is proposed in December 2025.

Hence, there will be no gap by Dec, 2025 as regards sewage treatment in river Hindon basin in the backdrop of projected sewage generation, their treatment future plans, proposal and their respective timelines.

6. Action taken against previous defaulting STPs in Hindon River Basin

1. UPPCB has imposed Environmental Compensation of **Rs. 36.13 lakhs & Rs. 1.41 Cr.** on defaulting 56 MLD STP in Trans Hindon (Indirapuram), Ghaziabad & 70 MLD STP in Dudahaida Vijay Nagar, Ghaziabad respectively.
2. A total environmental compensation of **Rs 31.80 lakhs** has been imposed on 04 STPs located in Greater Noida due to default found earlier by UPPCB. Presently, the said STPs are being operated as per the norms.

7. Status of Drains in River Hindon Basin

There are total 32 numbers of drains present on the stretch of Hindon Basin in which 28 are Untapped, 01 is Partially Tapped, 03 are Dry. There are 09 numbers of Domestic Drains and 23 numbers of Industrial/ Mixed Drains.

District wise list of drains on Hindon basin is given below:

S.No.	District	Number of Drains (Total)	Domestic drains	Industrial /mixed drains	Tapped/ Untapped
1	Saharanpur	07	00	07	05 Untapped, 01 Partially tapped, 01 Dry
2	Muzaffarnagar	10	07	03	10 Untapped
3	Shamli	02	00	02	02 Untapped
4	Meerut	02	00	02	01 Untapped, 01 Dry
5	Baghpat	01	00	01	01 Dry
6	Ghaziabad	08	02	06	08 Untapped
7	Gautam Budh Nagar	02	-	02	02 Untapped
	Total	32	09	23	28 Untapped, 01 Partially Tapped, 03 Dry

8. Water Quality Analysis at various sensitive sampling points in Hindon River stretch conducted by UPPCB

In Hindon River stretch, 09 sensitive sampling points are being closely monitored for various parameters of water quality apart from other sampling points. In order to keep a close watch on water quality of Hindon and to gauge the impact of district wise contribution of water pollution load to river Hindon through various drains, UPPCB has identified 09 sensitive sampling points on which fortnightly sampling is being done. The improvement shown between November 2022 till May 2023 in BOD & COD is given below:

i. Biochemical Oxygen Demand (BOD)

Out of 09 Sampling points in Hindon River, at 06 sampling points namely Maheshpur- Saharanpur, Ratnapuri- Muzaffarnagar, Babhisha- Shamli, Baghpat Road- Meerut, Mohan Nagar Bridge Road-Ghaziabad and Chijarsi Ghaziabad has shown decrease in the amount of BOD between 4.76% to 17.76%.

ii. Chemical Oxygen Demand (COD)

All 09 Sampling points in Hindon River which are monitored has shown decrease in the value of COD between 4.17% to 71.88%. Maximun decrease in COD value was found in Chijarsi, Ghaziabad.

9. In order to assess the status of water pollution in river Hindon, District-wise field monitoring teams have been constituted. The district level committees have initiated the work of surveys, inspections, monitoring and assessment of water pollution load. Further, this field monitoring team shall identify defaulting contributors of water pollution in river Hindon which includes industrial units, STPs, CETPs or other sources. It shall also assess the water pollution load in river Hindon, conduct sampling and analysis of samples from approved laboratories. It shall also recommend actions under the provisions of Water Act 1974 against defaulters and shall recommend imposition of EC as per Hon'ble NGT's order. The committee shall also suggests measures for maintaining e-flow in river Hindon and shall also prepare district wise action plan for abatement of pollution and for rejuvenation of river Hindon. The committee shall also identify and suggests measures for abatement of discharge of untreated sewage in river Hindon. It shall also undertake identification of illegal water polluting industries situated in non conforming areas, conduct surveys and take action in accordance with law in consultation with other stakeholders.

Further, report on progress of actions taken by District Level field monitoring committees, assessment done regarding water pollution load, measures suggested for abatement of pollution in river Hindon and its rejuvenation shall be submitted as the entire work gets completed.

The above interim report is being submitted for perusal and necessary action.

File No.81-7005(099)/7/2023-07-

उत्तर प्रदेश शासन
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-7
संख्या-एन.जी.टी.-127/81-7-2023
लखनऊ : दिनांक : 05 अप्रैल, 2023

कार्यालय ज्ञाप

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या-859/2022 अभिष्ट कुसुम गुप्ता बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 17.03.2023 के बिन्दु संख्या-18 से 23 पर मा0 एन0जी0टी0 द्वारा दिये गये निर्देशों के मुख्य अंश निम्नवत् है :-

"...18. Before passing any further coercive order for past violations, we direct a joint Committee headed by Chief Secretary, Uttar Pradesh with the involvement of MoEF&CC, NMCG, CPCB, State PCB, concerned District Magistrates and concerned Commissioners/Superintendents of Police, Additional Chief Secretary, Environment and ACS/Principal Secretary, Urban Development Department, State Irrigation and Flood Control, Uttar Pradesh to take remedial action for control of pollution of Hindon without further delay and also to deploy field monitoring teams to assess the real ground situation.

19. Environment and ACS/Principal Secretary, Urban Development Department, Uttar Pradesh will be the joint nodal agencies for coordination and compliance. The proceedings of the committee need not to wait for further nomination. MoEF&CC, DG, NMCG and Chairman CPCB may ensure nominations to the committee.

20. The Committee may meet within one week and will be free to function online or offline, undertake visit to the sites and interact with concerned authorities and stakeholders. Remedial action will involve assessment of compensation against erring industries for past violations equal to 10% turnover but not lower than assessed cost of restoration, closure of units which are continuing to cause pollution, prosecution of the owners of the industries under the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, following due process of law. The State itself is liable to pay compensation for discharge of untreated sewage @ ₹Two Crore per MLD on the pattern of order of this Tribunal dated 03.08.2022 in O.A No. 1002/2018, Abhisht Kusum Gupta v. State of Uttar Pradesh & Ors. and in recent orders passed in respect of 28 States/UTs in O.A. 606/2018.

21. The erring industrial units may be put to notice of these proceedings by the State PCB for their response, if any, before this Tribunal.

22. An action taken report complete in all aspects be filed before this Tribunal on or before 30.06.2023 by e-mail at judicial- ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/ OCR Support PDF and not in the form of Image PDF. UPPCB will be the nodal agency for compliance and coordination.

23. The report may also be uploaded on the website of the State so that all concerned may access it and file their response, if any.

List for further consideration on 01.08.2023. ..."

2- अतः मा0 अधिकरण के उक्त आदेश दिनांक 17.03.2023 के अनुपालन में हिंडन नदी के प्रदूषण नियंत्रण के संबंध में उपचारात्मक कार्यवाही करने आदि हेतु एतद्वारा निम्नवत् समिति गठित की जाती है :-

1-	मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन	अध्यक्ष
2-	अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन।	सदस्य (सह-नोडल एजेंसी)
	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।	
3-	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 शासन।	सदस्य
4-	सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
5-	महानिदेशक, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
6-	अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
7-	सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	सदस्य
8-	संबंधित जिलाधिकारी, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर	सदस्य
9-	संबंधित पुलिस आयुक्त/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर	सदस्य

3- समिति के कार्य/दायित्व निम्नवत् होंगे :-

- (i) हिंडन नदी के प्रदूषण की वास्तविक स्थिति का आकलन करने के लिए फील्ड मॉनिटरिंग दलों की तैनाती करने आदि कार्यवाही।
- (ii) हिंडन नदी के प्रदूषण नियंत्रण हेतु अविलम्ब उपचारात्मक कार्यवाही सुनिश्चित कराया जाना।
- (iii) पिछले उल्लंघनों के लिए दोषी उद्योगों के खिलाफ 10 प्रतिशत टर्नओवर के बराबर, परन्तु उपचार की लागत से अन्यून मुआवजे का आकलन, प्रदूषण फैलाने वाली इकाईयों को बंद करना, जल अधिनियम, 1974 के प्राविधानों के अन्तर्गत नियमानुसार अभियोजन की कार्यवाही सक्षम संस्था के स्तर से कराया जाना।

(iv) समिति साइटों का दौरा करने एवं संबंधित अधिकारियों तथा हितधारकों के साथ विचार-विमर्श करने के लिए स्वतंत्र होगी।

4- उक्त समिति की समय - समय पर बैठकें आयोजित कराया जाना, उपचारात्मक कार्यवाही हेतु कार्ययोजना तैयार करना, संबंधित विभागों से समन्वय करते हुए मा0 एन0जी0टी0 में दाखिल की जाने वाली अनुपालन आख्या तैयार कर उसका सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त कर यथासमय दाखिल किये जाने की कार्यवाही किया जाना एवं अन्य आवश्यक सचिवालयीन कार्य उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किये जायेंगे।

मनोज सिंह
अपर मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त समिति हेतु सदस्य तत्काल नामित करते हुए कृत कार्यवाही से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।
- 2- महानिदेशक, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, नई दिल्ली को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त समिति हेतु सदस्य तत्काल नामित करते हुए कृत कार्यवाही से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।
- 3- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नगर विकास/सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 4- अध्यक्ष/सदस्य सचिव, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली को इस आशय से प्रेषित कि उक्त समिति हेतु सदस्य तत्काल नामित करते हुए कृत कार्यवाही से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।
- 5- सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
- 6- संबंधित जनपद के जिलाधिकारी/पुलिस आयुक्त/पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर।
- 7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

Signed by आशीष तिवारी

Date: 05-04-2023 11:13:50

Reason: Approved

(आशीष तिवारी)
सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-7
संख्या-एन.जी.टी.-191 /81-7-2023
लखनऊ : दिनांक : 28 अप्रैल, 2023

कार्यालय ज्ञाप

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या-859/2022 अभिष्ट कुसुम गुप्ता बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 17.03.2023 के अनुपालन में हिंडन नदी के प्रदूषण नियंत्रण के संबंध में उपचारात्मक कार्यवाही करने आदि हेतु कार्यालय ज्ञाप संख्या-एन0जी0टी0-127/81-7-2023, दिनांक 05.04.2023 द्वारा समिति का गठन निम्नवत् किया गया है :-

1-	मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन	अध्यक्ष
2-	अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन।	सदस्य (सह-नोडल एजेंसी)
	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।	
3-	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 शासन।	सदस्य
4-	सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
5-	महानिदेशक, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
6-	अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
7-	सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	सदस्य
8-	संबंधित जिलाधिकारी, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर	सदस्य
9-	संबंधित पुलिस आयुक्त/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर	सदस्य

2- मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में गठित उपरोक्त समिति में निम्नलिखित को भी समिति के सदस्य के रूप में सम्मिलित किया जाता है :-

1-	अपर मुख्य सचिव, सूक्ष्म लघु, मध्यम उद्यम एवं निर्यात प्रोत्साहन विभाग, उ0प्र0 शासन	सदस्य
2-	प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास	सदस्य

	विभाग, उ०प्र० शासन	
3-	प्रमुख सचिव, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ०प्र० शासन	सदस्य
4-	प्रबन्ध निदेशक, यूपीसीडा, उ०प्र०, कानपुर	सदस्य
5-	मण्डलायुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ	सदस्य
6-	मण्डलायुक्त, सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर	सदस्य

3- कार्यालय ज्ञाप संख्या-एन०जी०टी०-127/81-7-2023, दिनांक 05.04.2023 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय। समिति के कार्य/दायित्व के उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 05.04.2023 के अनुसार होंगे।

मनोज सिंह
अपर मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार।
- 2- महानिदेशक, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, नई दिल्ली।
- 3- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नगर विकास/सिंचाई एवं जल संसाधन/सूक्ष्म लघु, मध्यम उद्यम एवं निर्यात प्रोत्साहन/अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास/नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ०प्र० शासन।
- 4- मण्डलायुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ/सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर।
- 5- प्रबन्ध निदेशक, यूपीसीडा, उ०प्र०, कानपुर।
- 6- अध्यक्ष/सदस्य सचिव, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली।
- 7- सदस्य सचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
- 8- संबंधित जनपद के जिलाधिकारी/पुलिस आयुक्त/पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर।
- 9- गार्ड फाइल।

Signed by आशीष तिवारी
Date: 27-04-2023 16:42:10
Reason: Approved

आज्ञा से,
(आशीष तिवारी)
सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-7
संख्या-एन.जी.टी.-278/81-7-2023
लखनऊ : दिनांक : 26 जून, 2023

कार्यालय ज्ञाप

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या-859/2022 अभिष्ट कुसुम गुप्ता बनाम उ0प्र0 राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 17.03.2023 के अनुपालन में हिण्डन नदी के प्रदूषण नियंत्रण के संबंध में उपाचारात्मक कार्यवाही आदि के संबंध में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-7 उ0प्र0 शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-एन0जी0टी0 127/81-7-2023, दिनांक 05.04.2023 एवं संशोधित कार्यालय ज्ञाप संख्या-एन0जी0टी0 191/81-7-2023, दिनांक 28.04.2023 द्वारा मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में समिति गठित की गयी है। उक्त समिति के कार्य/दायित्वों के अनुसार हिण्डन नदी के प्रदूषण की वास्तविक स्थिति के आंकलन हेतु फील्ड मॉनिटरिंग दलों की तैनाती, हिंडन नदी के प्रदूषण नियंत्रण हेतु उपचारात्मक कार्यवाही एवं दोषी उद्योगों के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति/बन्दी एवं अभियोजन की कार्यवाही किया जाना है।

2. उक्त के अनुक्रम में हिण्डन नदी के प्रदूषण की वास्तविक स्थिति के आंकलन हेतु निम्नानुसार फील्ड मॉनिटरिंग टीम का गठन किया जाता है :-

1-	संबंधित जिलाधिकारी द्वारा नामित प्रतिनिधि जोकि उपजिलाधिकारी स्तर से कम न हो	अध्यक्ष
2-	सदस्य सचिव, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
3-	कार्यकारी निदेशक (टेक्नीकल), नेशनल मिशन फार क्लीन गंगा, द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
4-	परियोजना निदेशक, स्टेट मिशन फार क्लीन गंगा द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
5-	संबंधित पुलिस कमिशनर/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
6-	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नोएडा एवं ग्रेटर नोएडा द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
7-	संबंधित नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी संबंधित नगर निगम/नगर पालिका परिषद द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
8-	संबंधित अधीक्षण अभियंता, उ0प्र0 जल निगम, नगरीय/ग्रामीण।	सदस्य
9-	संबंधित अधिशासी अभियंता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग।	सदस्य
10-	संबंधित क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ0प्र0 औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
11-	संबंधित महाप्रबन्धक, जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केन्द्र।	सदस्य
12-	संबंधित अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खण्ड, नगरीय/ग्रामीण।	सदस्य
13-	संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।	संयोजक सदस्य

3. उक्त समिति के कार्य एवं दायित्व निम्नवत् होंगे :-
- हिण्डन नदी का पूर्ण सर्वे किया जाना तथा हिण्डन नदी में प्रभावित हो रहे सम्भावित प्रदूषण भार का आंकलन किया जाना।
 - हिण्डन नदी के कैचमेंट में प्रदूषणकारी उद्योग/स्रोत का पता लगाना एवं हिण्डन के कैचमेंट में स्थापित उद्योगों का सघन एवं सतत् निरीक्षण करना।
 - हिण्डन नदी के कैचमेंट में स्थापित एस0टी0पी0/सी0ई0टी0पी0 का सतत् निरीक्षण किया जाना तथा मानकों के विपरीत पाये जाने पर आवश्यक कार्यवाही हेतु आख्या प्रेषित करना।
 - उद्योग से जनित हो रहे उत्प्रवाह की मात्रा का आंकलन करना एवं प्रदूषित उत्प्रवाह के नमूने को एकत्रित कर विश्लेषण मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला से कराया जाना।
 - दोषी उद्योगों के विरुद्ध जल अधिनियम, 1974 के प्राविधानों के अन्तर्गत बन्दी/अभियोजन की कार्यवाही एवं पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु प्रकरण सक्षम स्तर को एवं समिति को संदर्भित करना।
 - हिण्डन नदी के प्रवाह को अविरल रखने हेतु आवश्यक सुझाव देना।
 - नॉन कन्फर्मिंग जोन में स्थापित अवैध जल प्रदूषणकारी उद्योगों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुये दोषी इकाई का विद्युत विच्छेदन कराया जाना।
 - हिण्डन नदी में प्रभावित हो रहे अशुद्धिकृत घरेलू जल-मल के रोकथाम हेतु प्रकरण समिति व सक्षम विभाग को आवश्यक कार्यवाही हेतु संदर्भित करना।
 - हिण्डन नदी के remediation हेतु आवश्यक action plan तैयार कर जिलेवार प्रस्ताव प्रेषित किया जाना।

उपरोक्तानुसार हिण्डन नदी के प्रदूषण की वास्तविक स्थिति के आंकलन की कार्यवाही करते हुए आख्या संबंधित जिलाधिकारी के माध्यम से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन (ई-मेल-soenvups@rediffmail.com) एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ (ई-मेल-ms@uppcb.in, ceo1@uppcb.in) को प्रेषित की जाएगी। उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समेकित रिपोर्ट शासन के माध्यम से समिति के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी।

संलग्नक-यथोक्त।

Signed by दुर्गा शंकर
मिश्र

Date: 24-06-2023 11:46:07

Reason: Approved

(दुर्गा शंकर मिश्र)
मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को इस आशय से कि उपरोक्तानुसार गठित फील्ड मॉनिटरिंग टीम हेतु प्रतिनिधि नामित करने का कष्ट करें:-

- जिलाधिकारी, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर, मेरठ, बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली एवं सहारनपुर।
- सदस्य सचिव, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली।
- कार्यकारी निदेशक (टेक्नीकल), नेशनल मिशन फार क्लीन गंगा, प्रथम तल, मेजर ध्यान चन्द्र

स्टेडियम, नई दिल्ली।

- 4- निदेशक, स्टेट मिशन फार क्लीन गंगा, प्लाट नं0-18, सेक्टर-7, गोमतीनगर, लखनऊ।
- 5- पुलिस कमिश्नर/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर, मेरठ, बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली एवं सहारनपुर।
- 6- मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नोएडा एवं ग्रेटर नोएडा।
- 7- नगर आयुक्त, नगर निगम, गाजियाबाद, मेरठ एवं सहारनपुर।
- 8- अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद् बागपत, शामली एवं मुजफ्फरनगर।
- 9- अधीक्षण अभियंता, उ0प्र0 जल निगम, नगरीय/ग्रामीण, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर, मेरठ, बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली एवं सहारनपुर।
- 10 अधिशासी अभियंता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर, मेरठ, बागपत, - मुजफ्फरनगर, शामली एवं सहारनपुर।
- 11 क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ0प्र0 औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद, मेरठ, बागपत, मुजफ्फरनगर, - शामली एवं सहारनपुर।
- 12 महाप्रबन्धक, जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केन्द्र गाजियाबाद, मेरठ, बागपत, - मुजफ्फरनगर, शामली एवं सहारनपुर।
- 13 अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खण्ड, नगरीय/ग्रामीण, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर, मेरठ, - बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली एवं सहारनपुर।
- 14 सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि क्षेत्रीय अधिकारी, - उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, मेरठ, मुजफ्फरनगर एवं शामली को निर्देशित करें कि संबंधित सभी विभागों से नामांकन की प्रतीक्षा न करते हुए स्वयं व्यक्तिगत/दूरभाष पर सम्पर्क कर मा0 एनजीटी के निर्देशानुसार कार्यवाही तत्काल प्रारम्भ करायें तथा उपलब्ध सदस्यों सहित फील्ड मॉनिटरिंग का कार्य प्रारम्भ करें एवं कृत कार्यवाही की साप्ताहिक रिपोर्ट प्रत्येक मंगलवार बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करें।
- 15 गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(मनोज सिंह)
अपर मुख्य सचिव।



604
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Annexure-3

Ref No- H-96505 /C-1/जल/जी-711/2023

Date: 28.06.23

सेवा में,

पंजीकृत

मैसर्स बालाजी वाशिंग,
प्लॉट नं0-42, गली नं0-4, राजेन्द्र नगर, साहिबाबाद औद्योगिक क्षेत्र,
गाजियाबाद।

यह कि मैसर्स बालाजी वाशिंग, प्लॉट नं0-42, गली नं0-4, राजेन्द्र नगर, साहिबाबाद औद्योगिक क्षेत्र, गाजियाबाद जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, कच्चे माल के रूप में ग्रे फ़ैब्रिक, डाइज, कलर/केमिकल आदि का प्रयोग कर रेडिमेड गारमेन्ट डाइंग एवं वाशिंग के उत्पादन हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित/संचालित है तथा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-47 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि उद्योग मैसर्स बालाजी वाशिंग, प्लॉट नं0-42, गली नं0-4, राजेन्द्र नगर, साहिबाबाद औद्योगिक क्षेत्र, गाजियाबाद का निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा दिनांक 31.05.2023 को किया गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि उद्योग को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं सहमति जल एवं वायु प्राप्त नहीं है तथा बिना सहमति जल एवं वायु प्राप्त किये उद्योग का संचालन किया जा रहा है। उद्योग की उत्पादन प्रक्रिया से जनित उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु कोई व्यवस्था स्थापित नहीं है तथा अशुद्धिकृत उत्प्रवाह को उद्योग परिसर के बाहर सीधे निस्तारित किया जाता पाया गया।

अग्रेतर अवगत कराना है कि आपकी इकाई : मा. एन.जी.टी. में योजित ओ.ए. संख्या- 859/2022 अभीष्ट कुसुम गुप्ता बनाम स्टेट ऑफ उ.प्र. के अन्तर्गत आच्छादित है। अवगत कराना है कि मा. एन.जी.टी. में योजित ओ.ए. संख्या- 859/2022 में पारित आदेश दिनांक-17.03.2023 के संसुगत अंश निम्नवत् हैं:-

“ 20. The Committee may meet within one week and will be free to function online or offline, undertake visit to the sites and interact with concerned authorities and stakeholders. Remedial action will involve assessment of compensation against erring industries for past violations equal to 10% turnover but not lower than assessed cost of restoration, closure of units which are continuing to cause pollution, prosecution of the owners of the industries under the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, following due process of law.....”

माननीय एन.जी.टी. द्वारा अपने उक्त आदेश दिनांक-17.03.2023 में दोषी इकाई के विरुद्ध पूर्व में किये गये उल्लंघन के हेतु कम्पनी के टर्नओवर के 10 प्रतिशत के बराबर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों तथा उद्योग द्वारा किये जा रहे बोर्ड निर्देशों के उल्लंघन से जन स्वास्थ्य पर संभावित दुष्प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए जनहित में जनस्वास्थ्य की रक्षा एवं जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा 32(1)(सी) के अंतर्गत निहित शक्तियों के अनुसरण में आपकी औद्योगिक इकाई के विरुद्ध निम्नानुसार निर्देश तत्काल प्रभाव से जारी किये जाते हैं:-

1. यह कि मैसर्स बालाजी वाशिंग, प्लॉट नं0-42, गली नं0-4, राजेन्द्र नगर, साहिबाबाद औद्योगिक क्षेत्र, गाजियाबाद में संचालन/उत्पादन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाये।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति एवं जल आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ-साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

....2/-

उपरोक्त के अतिरिक्त क्यों न माननीय एन0जी0टी0 द्वारा ओ0ए0 संख्या 859/2022 में पारित आदेश दिनांक 17.03.2023 के अनुपालन में डिफाल्टर दिवस की गणना के आधार पर कम्पनी के टर्नओवर के 10 प्रतिशत के बराबर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाये।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त।

(विवेक शाय)

मुख्य पर्यावरण अभियन्ता (वृत्त-1)

प्रतिलिपि :-

1. जिलाधिकारी, गाजियाबाद।
2. अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, गाजियाबाद को इस आशय से प्रेषित की उद्योग की विद्युत आपूर्ति तत्काल विच्छेदित करने का कष्ट करे।
3. क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्त निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित कराकर अनुवर्ती कार्यवाही सहित अनुपालन आख्या ससमय मुख्यालय प्रेषित करें।

मुख्य पर्यावरण अभियन्ता (वृत्त-1)



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref No- H-96506 /C-1/एच-08/का0ब0नो0/2023

Date: 28-06-23

सेवा में,

मा0 एन0जी0टी0/महत्वपूर्ण/समयबद्ध

पंजीकृत

मैसर्स ओम प्रकाश शर्मा,
जे-11, सेक्टर-1, अपेरल पार्क, ट्रॉनिका सिटी, लोनी
गाजियाबाद।

विषय: मैसर्स ओम प्रकाश शर्मा, जे-11, सेक्टर-1, अपेरल पार्क, ट्रॉनिका सिटी, लोनी गाजियाबाद के विरुद्ध बोर्ड द्वारा निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 02.02.2023 एवं मा. एन.जी.टी. में विचाराधीन ओ.ए. संख्या-859/2022 Abhisht Kusum Gupta Versus State of Uttar Pradesh & Ors. में पारित आदेश दिनांक 17.03.2023 के अनुपालन में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र संख्या: एच 88199/सी-1/जल/ जी-412/का0ब0नो0/2023, दिनांक 02.02.2023 द्वारा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-27(2) के अन्तर्गत उद्योग को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है जोकि वर्तमान में प्रभावी है, का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

अग्रेतर मा. एन.जी.टी. में योजित ओ.ए. संख्या- 859/2022 अभीष्ट कुसुम गुप्ता बनाम स्टेट ऑफ उ.प्र. एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 17.03.2023 के संसुगत अंश निम्नवत् हैं:-

“.... 20. The Committee may meet within one week and will be free to function online or offline, undertake visit to the sites and interact with concerned authorities and stakeholders. Remedial action will involve assessment of compensation against erring industries for past violations equal to 10% turnover but not lower than assessed cost of restoration, closure of units which are continuing to cause pollution, prosecution of the owners of the industries under the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, following due process of law.....”

माननीय एन.जी.टी. द्वारा अपने उक्त आदेश दिनांक 17.03.2023 में आपकी इकाई के विरुद्ध किये गये उल्लंघन के दृष्टिगत कम्पनी के टर्नओवर का 10 प्रतिशत के बराबर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। आपकी इकाई के विरुद्ध बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या: एच 88199/सी-1/जल/ जी-412/का0ब0नो0/2023, दिनांक 02.02.2023 के माध्यम से कारण बताओ नोटिस निर्गत है। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि माननीय एन.जी.टी. के आदेश दिनांक 17.03.2023 के अनुपालन में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का आंकलन तदनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये

कमश:.....2.

जाने हेतु कम्पनी का नवीनतम ऑडिटेड बैलेन्सशीट (टर्नओवर सहित) 15 दिन के अन्दर प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें। यदि आप द्वारा निर्धारित समयावधि में इस नोटिस का उत्तर / अनुपालन नहीं किया जाता है तो बोर्ड में उपलब्ध अभिलेखों के आधार / उद्योग के पूंजीगत निवेश के आधार पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं आपका होगा।

सक्षम अधिकारी के द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

(विवेक राय)

मुख्य पर्यावरण अभियन्ता, वृत्त-1

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

3. जिलाधिकारी, गाजियाबाद।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि मा. एन. जी.टी. द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.03.2023 का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु उद्योग से नवीनतम ऑडिटेड बैलेन्सशीट (टर्नओवर सहित) निर्धारित समयावधि में प्राप्त कर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का आंकलन करते हुए स्पष्ट संस्तुति सहित आख्या बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अभियन्ता, वृत्त-1



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref No- H-96507 /C-1/जी-550/का0ब0नो0/2023

Date: 28.06.23

सेवा में,

मा0 एन0जी0टी0/महत्वपूर्ण/समयबद्ध

पंजीष्ट

मैसर्स कृष्णा प्रिन्ट्स प्रा0लि0,
प्लॉट नं0-ए-47, साईट-4, साहिबाबाद औद्योगिक क्षेत्र,
गाजियाबाद।

विषय: मैसर्स कृष्णा प्रिन्ट्स प्रा0लि0, प्लॉट नं0-ए-47, साईट-4, साहिबाबाद औद्योगिक क्षेत्र, गाजियाबाद के विरुद्ध बोर्ड द्वारा निर्गत बन्दी आदेश दिनांक 10.05.2023 एवं मा. एन.जी.टी. में विचाराधीन ओ.ए. संख्या-859/2022 Abhisht Kusum Gupta Versus State of Uttar Pradesh & Ors. में पारित आदेश दिनांक 17.03.2023 के अनुपालन में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र संख्या: एच 93333/सी-1/जल/ जी-550/बन्दी आदेश/2023, दिनांक 10.05.2023 द्वारा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-32(1)(सी) के अन्तर्गत उद्योग को बन्दी आदेश जारी किया गया है जोकि वर्तमान में प्रभावी है, का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

अग्रेतर मा. एन.जी.टी. में योजित ओ.ए. संख्या- 859/2022 अभीष्ट कुसुम गुप्ता बनाम स्टेट ऑफ उ.प्र. एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 17.03.2023 के संसुगत अंश निम्नवत् हैं:-

“.... 20. The Committee may meet within one week and will be free to function online or offline, undertake visit to the sites and interact with concerned authorities and stakeholders. Remedial action will involve assessment of compensation against erring industries for past violations equal to 10% turnover but not lower than assessed cost of restoration, closure of units which are continuing to cause pollution, prosecution of the owners of the industries under the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, following due process of law.....”

माननीय एन.जी.टी. द्वारा अपने उक्त आदेश दिनांक 17.03.2023 में आपकी इकाई के विरुद्ध किये गये उल्लंघन के दृष्टिगत कम्पनी के टर्नओवर का 10 प्रतिशत के बराबर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। आपकी इकाई के विरुद्ध बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या: एच 93333/सी-1/जल/ जी-550/बन्दी आदेश/2023, दिनांक 10.05.2023 के माध्यम से बन्दी आदेश निर्गत है। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि माननीय एन.जी.टी. के आदेश दिनांक 17.03.2023 के अनुपालन में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का आंकलन तदनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु

कमशः.....2.

कम्पनी का नवीनतम ऑडिटेड बैलेन्सशीट (टर्नओवर सहित) 15 दिन के अन्दर प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें। यदि आप द्वारा निर्धारित समयावधि में इस नोटिस का उत्तर / अनुपालन नहीं किया जाता है तो बोर्ड में उपलब्ध अभिलेखों के आधार / उद्योग के पूँजीगत निवेश के आधार पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं आपका होगा।

सक्षम अधिकारी के द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

(विवेक राय)

मुख्य पर्यावरण अभियन्ता, वृत्त-1

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. जिलाधिकारी, सहारनपुर।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि मा. एन. जी.टी. द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.03.2023 का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु उद्योग से नवीनतम ऑडिटेड बैलेन्सशीट (टर्नओवर सहित) निर्धारित समयावधि में प्राप्त कर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का आंकलन करते हुए स्पष्ट संस्तुति सहित आख्या बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अभियन्ता, वृत्त-1



610
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref No- H-96508 / C-1 / जल / जी-315 / का0ब0नो0 / 2023

Date: 28-06-23

सेवा में,

पंजीकृत

मैसर्स एस0पी0डी0 रैम्बो,
प्लॉट नं0-56/17, साईट-4, साहिबाबाद औद्योगिक क्षेत्र,
गाजियाबाद।

यह कि उद्योग मैसर्स एस0पी0डी0 रैम्बो, प्लॉट नं0-56/17, साईट-4, साहिबाबाद औद्योगिक क्षेत्र, गाजियाबाद जो उपरोक्त वर्णित स्थल पर Dyeing and Washing of Garments के उत्पादन हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर कार्यरत है तथा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 47 के अंतर्गत एक कम्पनी है।

यह कि मैसर्स एस0पी0डी0 रैम्बो, प्लॉट नं0-56/17, साईट-4, साहिबाबाद औद्योगिक क्षेत्र, गाजियाबाद का निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा दिनांक 04.05.2023 को किया गया। निरीक्षण के दौरान उद्योग के प्रक्रिया से जनित उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु स्थापित ई0टी0पी0 के माध्यम से निस्तारित उत्प्रवाह का नमूना एकत्रित कर विश्लेषित कराया गया। प्राप्त विश्लेषण आख्या के अनुसार प्रचालक बोर्ड मानकों से अधिक पाये गये हैं, जिससे प्रतीत होता है कि उद्योग द्वारा स्थापित उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र का संचालन उचित प्रकार से नहीं किया जा रहा है। उद्योग द्वारा बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या एच 81141/सी-1/जल-315/ का0ब0नो0/2022 दिनांक 14.09.2022 की अनुपालन आख्या प्रेषित नहीं की गयी है।

यह कि उद्योग मैसर्स एस0पी0डी0 रैम्बो, प्लॉट नं0-56/17, साईट-4, साहिबाबाद औद्योगिक क्षेत्र, गाजियाबाद द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 25/26 का उल्लंघन कर आस-पास के पर्यावरण एवं जन मानस के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाला जा रहा है, जोकि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित में निहित आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन तथा एक दण्डनीय अपराध है।

अग्रतर अवगत कराना है कि आपकी इकाई : मा. एन.जी.टी. में योजित ओ.ए. संख्या- 859/2022 अभीष्ट कुसुम गुप्ता बनाम स्टेट ऑफ उ.प्र. के अन्तर्गत आच्छादित है। अवगत कराना है कि मा. एन.जी.टी. में योजित ओ.ए. संख्या- 859/2022 में पारित आदेश दिनांक-17.03.2023 के संसुगत अंश निम्नवत् हैं:-

" 20. The Committee may meet within one week and will be free to function online or offline, undertake visit to the sites and interact with concerned authorities and stakeholders. Remedial action will involve assessment of compensation against erring industries for past violations equal to 10% turnover but not lower than assessed cost of restoration, closure of units which are continuing to cause pollution, prosecution of the owners of the industries under the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, following due process of law....."

माननीय एन.जी.टी. द्वारा अपने उक्त आदेश दिनांक-17.03.2023 में दोषी इकाई के विरुद्ध पूर्व मे किये गये उल्लंघन के हेतु कम्पनी के टर्नओवर के 10 प्रतिशत के बराबर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

.....2/-

यह कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों तथा उद्योग द्वारा किये जा रहे जल प्रदूषण से जन स्वास्थ्य पर संभावित दुष्प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुये जनहित में जनस्वास्थ्य की रक्षा एवं जन सामान्य को स्वस्थ पर्यावरण प्रदान करने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए सपठित धारा 27(2) के अन्तर्गत निहित शक्तियों के अनुसरण में आपकी औद्योगिक इकाई के विरुद्ध निषेधात्मक कार्यवाही करते हुये उद्योग के संचालन को रोका जाये।

अतः जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए सपठित धारा 27(2) के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन उद्योग मैसर्स एस0पी0डी0 रैम्बो, प्लॉट नं0-56/17, साईट-4, साहिबाबाद औद्योगिक क्षेत्र, गाजियाबाद के विरुद्ध सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरांत निम्नलिखित कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है:-

1. यह कि क्यो न उद्योग मैसर्स एस0पी0डी0 रैम्बो, प्लॉट नं0-56/17, साईट-4, साहिबाबाद औद्योगिक क्षेत्र, गाजियाबाद को बोर्ड द्वारा इकाई के संचालन हेतु प्रदत्त सहमति (जल) को रिवोक कर दिया जाये?
2. यह कि क्यो न उद्योग मैसर्स एस0पी0डी0 रैम्बो, प्लॉट नं0-56/17, साईट-4, साहिबाबाद औद्योगिक क्षेत्र, गाजियाबाद की समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया बन्द कर दी जाये?
3. यह कि क्यो न सक्षम प्राधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि उद्योग मैसर्स एस0पी0डी0 रैम्बो, प्लॉट नं0-56/17, साईट-4, साहिबाबाद औद्योगिक क्षेत्र, गाजियाबाद को मिलने वाली विद्युत एवं जल आपूर्ति को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दें?

यह कि क्यो न माननीय एन0जी0टी0 द्वारा ओ0ए0 संख्या 859/2022 में पारित आदेश दिनांक 17.03.2023 के अनुपलान में डिफाल्टर दिवस की गणना के आधार पर कम्पनी के टर्नओवर के 10 प्रतिशत के बराबर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाये।

उपरोक्त के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करें। निर्धारित समयावधि में संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने की दशा में उपरोक्त निर्देशों की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं उद्योग एवं उद्योग स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत

(विवेक राय)

मुख्य पर्यावरण अभियन्ता, वृत्त-1

o/c

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी, गाजियाबाद।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित उपरोक्त आदेशों के अनुपालन में उद्योग का अद्यतन निरीक्षण कर आख्या 15 दिन में आवश्यक रूप से प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अभियन्ता, वृत्त-1

o/c



612

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref No- H-96509 /C-1/ 103 /का0ब0नो0/2023

Date: 28-06-23

सेवा में,

मा0 एन0जी0टी0/महत्वपूर्ण/समयबद्ध

मैसर्स भूषण स्टील ल0 (टाटा स्टील)
23, साईट-4, साहिबाबाद, गाजियाबाद

पंजीकृत

विषय: मैसर्स भूषण स्टील ल0 (टाटा स्टील) 23, साईट-4, साहिबाबाद, गाजियाबाद के विरुद्ध बोर्ड द्वारा निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 02.002.2023 एवं मा. एन.जी.टी. में विचाराधीन ओ.ए. संख्या-859/2022 Abhisht Kusum Gupta Versus State of Uttar Pradesh & Ors. में पारित आदेश दिनांक 17.03.2023 के अनुपालन में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र संख्या: एच 93938/सी-1/जल/ जी-121/का0ब0नो0/2023, दिनांक 19.05.2023 द्वारा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-27(2) के अन्तर्गत उद्योग को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है जोकि वर्तमान में प्रभावी है, का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

अग्रतर आपकी इकाई मा. एन.जी.टी. में योजित ओ.ए. संख्या- 859/2022 अभीष्ट कुसुम गुप्ता बनाम स्टेट ऑफ उ.प्र. एवं अन्य में आच्छादित है। अवगत कराना है कि मा. एन.जी.टी. में योजित ओ.ए. संख्या- 859/2022 में पारित आदेश दिनांक 17.03.2023 के संसुगत अंश निम्नवत् है:-

“.... 20. The Committee may meet within one week and will be free to function online or offline, undertake visit to the sites and interact with concerned authorities and stakeholders. Remedial action will involve assessment of compensation against erring industries for past violations equal to 10% turnover but not lower than assessed cost of restoration, closure of units which are continuing to cause pollution, prosecution of the owners of the industries under the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, following due process of law.....”

माननीय एन.जी.टी. द्वारा अपने उक्त आदेश दिनांक 17.03.2023 में आपकी इकाई के विरुद्ध किये गये उल्लंघन के दृष्टिगत कम्पनी के टर्नओवर का 10 प्रतिशत के बराबर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। आपकी इकाई के विरुद्ध बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या: एच 93938/सी-1/जल/ जी-121/का0ब0नो0/2023, दिनांक 19.05.2023 के माध्यम से कारण बताओ नोटिस निर्गत है। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि माननीय एन.जी.टी. के आदेश दिनांक 17.03.2023 के अनुपालन में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का आंकलन तदनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये

कमशः.....2.

टी0सी0-12वीं, विभूति खण्ड
गोमती नगर, लखनऊ-226010
दूरभाष : 2720831, 2720828, 2720691, 2720681
फैक्स : 0522-2720764

TC-12V, Vibhuti Khand,
Gomti Nagar, Lucknow-226010
Phone : 2720831, 2720828, 2720691, 2720681
Fax : 0522-2720764

जाने हेतु कम्पनी का नवीनतम ऑडिटेड बैलेन्सशीट (टर्नओवर सहित) 15 दिन के अन्दर प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें। यदि आप द्वारा निर्धारित समयावधि में इस नोटिस का उत्तर / अनुपालन नहीं किया जाता है तो बोर्ड में उपलब्ध अभिलेखों के आधार / उद्योग के पूंजीगत निवेश के आधार पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं आपका होगा।

सक्षम अधिकारी के द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

(विवेक राय)

मुख्य पर्यावरण अभियन्ता, वृत्त-1

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. जिलाधिकारी, गाजियाबाद।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि मा. एन. जी.टी. द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.03.2023 का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु उद्योग से नवीनतम ऑडिटेड बैलेन्सशीट (टर्नओवर सहित) निर्धारित समयावधि में प्राप्त कर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का आंकलन करते हुए स्पष्ट संस्तुति सहित आख्या बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अभियन्ता, वृत्त-1



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref No- H-96510 /C-1/ 294/का0ब0नो0/2023

Date: 28-06-23

मा0 एन0जी0टी0/महत्वपूर्ण/समयबद्ध

सेवा में,

मैसर्स नागपाल ट्रेडर्स,
प्लाट सं0-ए-23, रूपनगर औद्योगिक क्षेत्र,
लोनी, गाजियाबाद

पंजीकृत

विषय: मैसर्स नागपाल ट्रेडर्स, ए-23, रूपनगर औद्योगिक क्षेत्र, लोनी, गाजियाबाद के विरुद्ध बोर्ड द्वारा निर्गत बन्दी आदेश दिनांक 05.12.2022 एवं मा. एन.जी.टी. में विचाराधीन ओ.ए. संख्या-859/2022 **Abhisht Kusum Gupta Versus State of Uttar Pradesh & Ors.** में पारित आदेश दिनांक 17.03.2023 के अनुपालन में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र संख्या: एच 85133/सी-1/जल/ जी-503/बन्दी आदेश / 2022, दिनांक 05.12.2022 द्वारा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-27(2) के अन्तर्गत उद्योग को बन्दी आदेश निर्गत है जोकि वर्तमान में प्रभावी है, का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

अग्रेतर आपकी इकाई मा. एन.जी.टी. में योजित ओ.ए. संख्या- 859/2022 अभीष्ट कुसुम गुप्ता बनाम स्टेट ऑफ उ.प्र. एवं अन्य में आच्छादित है। अवगत कराना है कि मा. एन.जी.टी. में योजित ओ.ए. संख्या- 859/2022 में पारित आदेश दिनांक 17.03.2023 के संसुगत अंश निम्नवत् हैं:-

“.... 20. The Committee may meet within one week and will be free to function online or offline, undertake visit to the sites and interact with concerned authorities and stakeholders. Remedial action will involve assessment of compensation against erring industries for past violations equal to 10% turnover but not lower than assessed cost of restoration, closure of units which are continuing to cause pollution, prosecution of the owners of the industries under the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, following due process of law.....”

माननीय एन.जी.टी. द्वारा अपने उक्त आदेश दिनांक 17.03.2023 में आपकी इकाई के विरुद्ध किये गये उल्लंघन के दृष्टिगत कम्पनी के टर्नओवर का 10 प्रतिशत के बराबर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। आपकी इकाई के विरुद्ध बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या: एच 85133/सी-1/जल/ जी-503/ बन्दी आदेश /2022, दिनांक 05.12.2022 के माध्यम से कारण बताओ नोटिस निर्गत है। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि माननीय एन.जी.टी. के आदेश दिनांक 17.03.2023 के अनुपालन में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का आंकलन तदनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये

कमरा:.....2.

जाने हेतु कम्पनी का नवीनतम ऑडिटेड बैलेन्सशीट (टर्नओवर सहित) 15 दिन के अन्दर प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें। यदि आप द्वारा निर्धारित समयावधि में इस नोटिस का उत्तर / अनुपालन नहीं किया जाता है तो बोर्ड में उपलब्ध अभिलेखों के आधार / उद्योग के पूँजीगत निवेश के आधार पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं आपका होगा।

सक्षम अधिकारी के द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

(विवेक राय)

मुख्य पर्यावरण अभियन्ता, वृत्त-1

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. जिलाधिकारी, गाजियाबाद।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि मा. एन. जी.टी. द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.03.2023 का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु उद्योग से नवीनतम ऑडिटेड बैलेन्सशीट (टर्नओवर सहित) निर्धारित समयावधि में प्राप्त कर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का आंकलन करते हुए स्पष्ट संस्तुति सहित आख्या बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अभियन्ता, वृत्त-1



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref No- H-96511 /C-1/ 294/का0ब0नो0/2023

Date: 20-06-23

मा0 एन0जी0टी0/महत्वपूर्ण/समयबद्ध

सेवा में,

मैसर्स रईस इण्टरप्राइजेज,
प्लॉट सं0- 96/4, आर्यनगर, औद्योगिक क्षेत्र,
लोनी, गाजियाबाद

पंजीकृत

विषय: मैसर्स रईस इण्टरप्राइजेज, प्लॉट सं0- 96/4, आर्यनगर, औद्योगिक क्षेत्र, लोनी, गाजियाबाद के विरुद्ध बोर्ड द्वारा निर्गत बन्दी आदेश दिनांक 05.12.2023 एवं मा. एन.जी.टी. में विचाराधीन ओ.ए. संख्या-859/2022 *Abhisht Kusum Gupta Versus State of Uttar Pradesh & Ors.* में पारित आदेश दिनांक 17.03.2023 के अनुपालन में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र संख्या: एच 85134/सी-1/जल/ जी-289/बन्दी आदेश/2022, दिनांक 05.12.2022 द्वारा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-27(2) के अन्तर्गत उद्योग को बन्दी आदेश निर्गत है जोकि वर्तमान में प्रभावी है, का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

अग्रेतर आपकी इकाई मा. एन.जी.टी. में योजित ओ.ए. संख्या- 859/2022 अभीष्ट कुसुम गुप्ता बनाम स्टेट ऑफ उ.प्र. एवं अन्य में आच्छादित है। अवगत कराना है कि मा. एन.जी.टी. में योजित ओ.ए. संख्या- 859/2022 में पारित आदेश दिनांक 17.03.2023 के संसुगत अंश निम्नवत् हैं:-

“.... 20. The Committee may meet within one week and will be free to function online or offline, undertake visit to the sites and interact with concerned authorities and stakeholders. Remedial action will involve assessment of compensation against erring industries for past violations equal to 10% turnover but not lower than assessed cost of restoration, closure of units which are continuing to cause pollution, prosecution of the owners of the industries under the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, following due process of law.....”

माननीय एन.जी.टी. द्वारा अपने उक्त आदेश दिनांक 17.03.2023 में आपकी इकाई के विरुद्ध किये गये उल्लंघन के दृष्टिगत कम्पनी के टर्नओवर का 10 प्रतिशत के बराबर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। आपकी इकाई के विरुद्ध बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या: एच 85134/सी-1/जल/ जी-289/बन्दी आदेश/2022, दिनांक 05.12.2022 के माध्यम से कारण बताओ नोटिस निर्गत है। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि माननीय एन.जी.टी. के आदेश दिनांक 17.03.2023 के अनुपालन में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का आंकलन तदनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये

कमश:.....2.

जाने हेतु कम्पनी का नवीनतम ऑडिटेड बैलेन्सशीट (टर्नओवर सहित) 15 दिन के अन्दर प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें। यदि आप द्वारा निर्धारित समयावधि में इस नोटिस का उत्तर / अनुपालन नहीं किया जाता है तो बोर्ड में उपलब्ध अभिलेखों के आधार / उद्योग के पूँजीगत निवेश के आधार पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं आपका होगा।

सक्षम अधिकारी के द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

(विवेक राय)

मुख्य पर्यावरण अभियन्ता, वृत्त-1

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. जिलाधिकारी, गाजियाबाद।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि मा. एन. जी.टी. द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.03.2023 का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु उद्योग से नवीनतम ऑडिटेड बैलेन्सशीट (टर्नओवर सहित) निर्धारित समयावधि में प्राप्त कर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का आंकलन करते हुए स्पष्ट संस्तुति सहित आख्या बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अभियन्ता, वृत्त-1



618

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref No- *N-96512 / C-1 / जी-387 / का0ब0नो0 / 2023*

Date: *28-06-23*

सेवा में,

मा0 एन0जी0टी0 / महत्वपूर्ण / समयबद्ध

दंजीकृत

मैसर्स एस0एस0 प्रिन्टर्स (पूर्वनाम एस0एस0 प्रोसेसर्स),
प्लॉट नं0-56/14, साईट-4, साहिबाबाद औद्योगिक क्षेत्र,
गाजियाबाद।

विषय: मैसर्स एस0एस प्रिन्टर्स (पूर्वनाम एस0एस0 प्रोसेसर्स), प्लॉट नं0-56/14, साईट-4, साहिबाबाद औद्योगिक क्षेत्र, गाजियाबाद के विरुद्ध बोर्ड द्वारा निर्गत बन्दी आदेश दिनांक 11.05.2023 एवं मा. एन. जी.टी. में विचाराधीन ओ.ए. संख्या-859/2022 *Abhisht Kusum Gupta Versus State of Uttar Pradesh & Ors.* में पारित आदेश दिनांक 17.03.2023 के अनुपालन में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र संख्या: एच 93382/सी-1/जल/जी-387/बन्दी आदेश/2023, दिनांक 11.05.2023 द्वारा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-32(1)(सी) के अन्तर्गत उद्योग को बन्दी आदेश जारी किया गया है जोकि वर्तमान में प्रभावी है, का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

अग्रेतर मा. एन.जी.टी. में योजित ओ.ए. संख्या- 859/2022 अभीष्ट कुसुम गुप्ता बनाम स्टेट ऑफ उ.प्र. एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 17.03.2023 के संसुगत अंश निम्नवत् हैं:-

“.... 20. The Committee may meet within one week and will be free to function online or offline, undertake visit to the sites and interact with concerned authorities and stakeholders. Remedial action will involve assessment of compensation against erring industries for past violations equal to 10% turnover but not lower than assessed cost of restoration, closure of units which are continuing to cause pollution, prosecution of the owners of the industries under the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, following due process of law.....”

माननीय एन.जी.टी. द्वारा अपने उक्त आदेश दिनांक 17.03.2023 में आपकी इकाई के विरुद्ध किये गये उल्लंघन के दृष्टिगत कम्पनी के टर्नओवर का 10 प्रतिशत के बराबर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। आपकी इकाई के विरुद्ध बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या: एच 93382/सी-1/जल/जी-387/बन्दी आदेश/2023, दिनांक 11.05.2023 के माध्यम से बन्दी आदेश निर्गत है। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि माननीय एन.जी.टी. के आदेश दिनांक 17.03.2023 के अनुपालन में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का आंकलन तदनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु कम्पनी का

कमशः.....2.

टी0सी0-12वीं, विभूति खण्ड
गोमती नगर, लखनऊ-226010
दूरभाष : 2720831, 2720828, 2720691, 2720681
फैक्स : 0522-2720764
ई-मेल : info@uppcb.com | [website: www.uppcb.com](http://www.uppcb.com)

TC-12V, Vibhuti Khand,
Gomti Nagar, Lucknow-226010
Phone : 2720831, 2720828, 2720691, 2720681
Fax : 0522-2720764
e.mail : info@uppcb.com | [website: www.uppcb.com](http://www.uppcb.com)

नवीनतम ऑडिटेड बैलेन्सशीट (टर्नओवर सहित) 15 दिन के अन्दर प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें। यदि आप द्वारा निर्धारित समयावधि में इस नोटिस का उत्तर / अनुपालन नहीं किया जाता है तो बोर्ड में उपलब्ध अभिलेखों के आधार / उद्योग के पूंजीगत निवेश के आधार पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं आपका होगा।

सक्षम अधिकारी के द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

(विवेक राय)

मुख्य पर्यावरण अभियन्ता, वृत्त-1

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. जिलाधिकारी, गाजियाबाद।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि मा. एन. जी.टी. द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.03.2023 का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु उद्योग से नवीनतम ऑडिटेड बैलेन्सशीट (टर्नओवर सहित) निर्धारित समयावधि में प्राप्त कर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का आंकलन करते हुए स्पष्ट संस्तुति सहित आख्या बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अभियन्ता, वृत्त-1



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref No- H-96513 /C-1/जल/जी-439/का0ब0नो0/2023

Date: 28-06-23

सेवा में,

पंजीकृत

मैसर्स रतन गारमेन्ट्स,
प्लॉट नं0-56/29, साईट-4, साहिबाबाद औद्योगिक क्षेत्र,
गाजियाबाद।

यह कि उद्योग मैसर्स रतन गारमेन्ट्स, प्लॉट नं0-56/29, साईट-4, साहिबाबाद औद्योगिक क्षेत्र, गाजियाबाद जो उपरोक्त वर्णित स्थल पर Dyeing and Washing of Garments के उत्पादन हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर कार्यरत है तथा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 47 के अंतर्गत एक कम्पनी है।

यह कि मैसर्स रतन गारमेन्ट्स, प्लॉट नं0-56/29, साईट-4, साहिबाबाद औद्योगिक क्षेत्र, गाजियाबाद का निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा दिनांक 04.05.2023 को किया गया। निरीक्षण के दौरान उद्योग के प्रक्रिया से जनित उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु स्थापित ई0टी0पी0 के माध्यम से निस्तारित उत्प्रवाह का नमूना एकत्रित कर विश्लेषित कराया गया। प्राप्त विश्लेषण आख्या के अनुसार प्रचालक बोर्ड मानकों से अधिक पाये गये हैं, जिससे प्रतीत होता है कि उद्योग द्वारा स्थापित उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र का संचालन उचित प्रकार से नहीं किया जा रहा है। उद्योग द्वारा बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या एच 78647/सी-1/जल/ जी-439/ बन्दी आदेश-निक्षेप/2022 दिनांक 19.07.2022 की अनुपालन आख्या प्रेषित नहीं की गयी है।

यह कि उद्योग मैसर्स रतन गारमेन्ट्स, प्लॉट नं0-56/29, साईट-4, साहिबाबाद औद्योगिक क्षेत्र, गाजियाबाद द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 25/26 का उल्लंघन कर आस-पास के पर्यावरण एवं जन मानस के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाला जा रहा है, जोकि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित में निहित आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन तथा एक दण्डनीय अपराध है। उद्योग द्वारा बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या एच 78647/सी-1/जल/ जी-439/ बन्दी आदेश-निक्षेप/2022 दिनांक 19.07.2022 की अनुपालन आख्या प्रेषित नहीं की गयी है।

यह कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों तथा उद्योग द्वारा किये जा रहे जल प्रदूषण से जन स्वास्थ्य पर संभावित दुष्प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुये जनहित में जनस्वास्थ्य की रक्षा एवं जन सामान्य को स्वस्थ पर्यावरण प्रदान करने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए सपठित धारा 27(2) के अन्तर्गत निहित शक्तियों के अनुसरण में आपकी औद्योगिक इकाई के विरुद्ध निषेधात्मक कार्यवाही करते हुये उद्योग के संचालन को रोका जाये।

अग्रतर अवगत कराना है कि आपकी इकाई : मा. एन.जी.टी. में योजित ओ.ए. संख्या- 859/2022 अभीष्ट कुसुम गुप्ता बनाम स्टेट ऑफ उ.प्र. के अन्तर्गत आच्छादित है। अवगत कराना है कि मा. एन.जी.टी. में योजित ओ.ए. संख्या- 859/2022 में पारित आदेश दिनांक-17.03.2023 के संसुगत अंश निम्नवत् हैं:-

" 20. The Committee may meet within one week and will be free to function online or offline, undertake visit to the sites and interact with concerned authorities and stakeholders. Remedial action will involve assessment of compensation against erring industries for past violations equal to 10% turnover but not lower than assessed cost of restoration, closure of units which are continuing to cause pollution, prosecution of the owners of the industries under the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, following due process of law....."

.....2/-

-2-

माननीय एन.जी.टी. द्वारा अपने उक्त आदेश दिनांक-17.03.2023 में दोषी इकाई के विरुद्ध पूर्व में किये गये उल्लंघन के हेतु कम्पनी के टर्नओवर के 10 प्रतिशत के बराबर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

अतः जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए सपडित धारा 27(2) के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन उद्योग मैसर्स रतन गारमेन्ट्स, प्लॉट नं0-56/29, साईट-4, साहिबाबाद औद्योगिक क्षेत्र, गाजियाबाद के विरुद्ध सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरांत निम्नलिखित कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है:-

1. यह कि क्यों न उद्योग मैसर्स रतन गारमेन्ट्स, प्लॉट नं0-56/29, साईट-4, साहिबाबाद औद्योगिक क्षेत्र, गाजियाबाद को बोर्ड द्वारा इकाई के संचालन हेतु प्रदत्त सहमति (जल) को रिवोक कर दिया जाये?
2. यह कि क्यों न उद्योग मैसर्स रतन गारमेन्ट्स, प्लॉट नं0-56/29, साईट-4, साहिबाबाद औद्योगिक क्षेत्र, गाजियाबाद की समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया बन्द कर दी जाये?
3. यह कि क्यों न सक्षम प्राधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि उद्योग मैसर्स रतन गारमेन्ट्स, प्लॉट नं0-56/29, साईट-4, साहिबाबाद औद्योगिक क्षेत्र, गाजियाबाद को मिलने वाली विद्युत एवं जल आपूर्ति को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दें?

यह कि क्यों न माननीय एन0जी0टी0 द्वारा ओ0ए0 संख्या 859/2022 में पारित आदेश दिनांक 17.03.2023 के अनुपालन में डिफाल्टर दिवस की गणना के आधार पर कम्पनी के टर्नओवर के 10 प्रतिशत के बराबर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाये।

उपरोक्त के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करें। निर्धारित समयावधि में संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने की दशा में उपरोक्त निर्देशों की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं उद्योग एवं उद्योग स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत

(विवेक राय)

मुख्य पर्यावरण अभियन्ता, वृत्त-1

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी, गाजियाबाद।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित उपरोक्त आदेशों के अनुपालन में उद्योग का अद्यतन निरीक्षण कर आख्या 15 दिन में आवश्यक रूप से प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अभियन्ता, वृत्त-1



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref No- H-96514 /C-1/जल/जी-710/बन्दी ओदश/2023

Date: 20-06-23

सेवा में,

पंजीकृत

मैसर्स शर्मा वाशिंग,
प्लॉट नं०-46, गली नं०-4, राजेन्द्र नगर, साहिबाबाद औद्योगिक क्षेत्र,
गाजियाबाद।

यह कि मैसर्स शर्मा वाशिंग, प्लॉट नं०-46, गली नं०-4, राजेन्द्र नगर, साहिबाबाद औद्योगिक क्षेत्र, गाजियाबाद जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, कच्चे माल के रूप में ग्रे फ़ैब्रिक, डाइज, कलर/केमिकल आदि का प्रयोग कर रेडिमेड गारमेन्ट डाइंग एवं वाशिंग के उत्पादन हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित/संचालित है तथा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-47 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि उद्योग मैसर्स शर्मा वाशिंग, प्लॉट नं०-46, गली नं०-4, राजेन्द्र नगर, साहिबाबाद औद्योगिक क्षेत्र, गाजियाबाद का निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा दिनांक 31.05.2023 को किया गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि उद्योग को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं सहमति जल एवं वायु प्राप्त नहीं है तथा बिना सहमति जल एवं वायु प्राप्त किये उद्योग का संचालन किया जा रहा है। उद्योग की उत्पादन प्रक्रिया से जनित उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु कोई व्यवस्था स्थापित नहीं है तथा अशुद्धिकृत उत्प्रवाह को उद्योग परिसर के बाहर सीधे निस्तारित किया जाता पाया गया।

अग्रेतर अवगत कराना है कि आपकी इकाई : मा. एन.जी.टी. में योजित ओ.ए. संख्या- 859/2022 अभीष्ट कुसुम गुप्ता बनाम स्टेट ऑफ उ.प्र. के अन्तर्गत आच्छादित है। अवगत कराना है कि मा. एन.जी.टी. में योजित ओ.ए. संख्या- 859/2022 में पारित आदेश दिनांक-17.03.2023 के संसुगत अंश निम्नवत् हैं:-

“ 20. The Committee may meet within one week and will be free to function online or offline, undertake visit to the sites and interact with concerned authorities and stakeholders. Remedial action will involve assessment of compensation against erring industries for past violations equal to 10% turnover but not lower than assessed cost of restoration, closure of units which are continuing to cause pollution, prosecution of the owners of the industries under the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, following due process of law.....”

माननीय एन.जी.टी. द्वारा अपने उक्त आदेश दिनांक-17.03.2023 में दोशी इकाई के विरुद्ध पूर्व में किये गये उल्लंघन के हेतु कम्पनी के टर्नओवर के 10 प्रतिशत के बराबर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों तथा उद्योग द्वारा किये जा रहे बोर्ड निर्देशों के उल्लंघन से जन स्वास्थ्य पर संभावित दुष्प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए जनहित में जनस्वास्थ्य की रक्षा एवं जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा 32(1)(सी) के अंतर्गत निहित शक्तियों के अनुसरण में आपकी औद्योगिक इकाई के विरुद्ध निम्नानुसार निर्देश तत्काल प्रभाव से जारी किये जाते हैं:-

....2/-

टी०सी०-12वीं, विभूति खण्ड
गोमती नगर, लखनऊ-226010
दूरभाष : 2720831, 2720828, 2720691, 2720681
फैक्स : 0522-2720764
ई-मेल : info@uppcb.com | [website: www.uppcb.com](http://www.uppcb.com)

TC-12V, Vibhuti Khand,
Gomti Nagar, Lucknow-226010
Phone : 2720831, 2720828, 2720691, 2720681
Fax : 0522-2720764
e.mail : info@uppcb.com | [website: www.uppcb.com](http://www.uppcb.com)

1. यह कि मैसर्स शर्मा वाशिंग, प्लॉट नं0-46, गली नं0-4, राजेन्द्र नगर, साहिबाबाद औद्योगिक क्षेत्र, गाजियाबाद में संचालन/उत्पादन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाये।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति एवं जल आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ-साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

उपरोक्त के अतिरिक्त क्यों न माननीय एन0जी0टी0 द्वारा ओ0ए0 संख्या 859/2022 में पारित आदेश दिनांक 17.03.2023 के अनुपलान में डिफाल्टर दिवस की गणना के आधार पर कम्पनी के टर्नओवर के 10 प्रतिशत के बराबर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाये।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त।

(विवेक राय)

मुख्य पर्यावरण अभियन्ता (वृत्त-1)

प्रतिलिपि :-

1. जिलाधिकारी, गाजियाबाद।
2. अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, गाजियाबाद को इस आशय से प्रेषित की उद्योग की विद्युत आपूर्ति तत्काल विच्छेदित करने का कष्ट करे।
3. क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्त निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित कराकर अनुवर्ती कार्यवाही सहित अनुपालन आख्या ससमय मुख्यालय प्रेषित करें।

मुख्य पर्यावरण अभियन्ता (वृत्त-1)



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref No- H-96515 /C-1/ 403¹³⁴ /का0ब0नो0/2023

Date: 20-06-23

सेवा में,

मा0 एन0जी0टी0 / महत्वपूर्ण / समयबद्ध

मैसर्स वी0आर0एस0 फूड्स लि0 (यूनिट-2),
प्लॉट नं0-बी-33, साइट-4, औ0 क्षेत्र,
साहिबाबाद, गाजियाबाद

पंजीकृत

विषय: मैसर्स वी0आर0एस0 फूड्स ल0 (यूनिट-2), प्लॉट नं0-बी-56, साइट-4, औ0 क्षेत्र, साहिबाबाद, गाजियाबाद के विरुद्ध बोर्ड द्वारा निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 02.002.2023 एवं मा. एन.जी.टी. में विचाराधीन ओ.ए. संख्या-859/2022 Abhisht Kusum Gupta Versus State of Uttar Pradesh & Ors. में पारित आदेश दिनांक 17.03.2023 के अनुपालन में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र संख्या: एच 94769/सी-1/जल/ जी-134/का0ब0नो0/2023, दिनांक 31.05.2023 द्वारा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-27(2) के अन्तर्गत उद्योग को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है जोकि वर्तमान में प्रभावी है, का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

अग्रेतर आपकी इकाई मा. एन.जी.टी. में योजित ओ.ए. संख्या- 859/2022 अनीष्ट कुसुम गुप्ता बनाम स्टेट ऑफ उ.प्र. एवं अन्य में आच्छादित है। अवगत कराना है कि मा. एन.जी.टी. में योजित ओ.ए. संख्या- 859/2022 में पारित आदेश दिनांक 17.03.2023 के संसुगत अंश निम्नवत् हैं:-

“.... 20. The Committee may meet within one week and will be free to function online or offline, undertake visit to the sites and interact with concerned authorities and stakeholders. Remedial action will involve assessment of compensation against erring industries for past violations equal to 10% turnover but not lower than assessed cost of restoration, closure of units which are continuing to cause pollution, prosecution of the owners of the industries under the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, following due process of law.....”

माननीय एन.जी.टी. द्वारा अपने उक्त आदेश दिनांक 17.03.2023 में आपकी इकाई के विरुद्ध किये गये उल्लंघन के दृष्टिगत कम्पनी के टर्नओवर का 10 प्रतिशत के बराबर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। आपकी इकाई के विरुद्ध बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या: एच 94769/सी-1/जल/ जी-134/का0ब0नो0/2023, दिनांक 31.05.2023 के माध्यम से कारण बताओ नोटिस निर्गत है। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि माननीय एन.जी.टी. के आदेश दिनांक 17.03.2023 के अनुपालन में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का आंकलन तदनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये

क्रमशः.....2

जाने हेतु कम्पनी का नवीनतम ऑडिटेड बैलेन्सशीट (टर्नओवर सहित) 15 दिन के अन्दर प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें। यदि आप द्वारा निर्धारित समयावधि में इस नोटिस का उत्तर / अनुपालन नहीं किया जाता है तो बोर्ड में उपलब्ध अभिलेखों के आधार / उद्योग के पूँजीगत निवेश के आधार पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं आपका होगा।

सक्षम अधिकारी के द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

(विवेक राय)

मुख्य पर्यावरण अभियन्ता, वृत्त-1

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. जिलाधिकारी, गाजियाबाद।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि मा. एन. जी.टी. द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.03.2023 का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु उद्योग से नवीनतम ऑडिटेड बैलेन्सशीट (टर्नओवर सहित) निर्धारित समयावधि में प्राप्त कर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का आंकलन करते हुए स्पष्ट संस्तुति सहित आख्या बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अभियन्ता, वृत्त-1



626

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref No- H-96516 /C-1/जल/जी-20/का0ब0नो0/2022

Date: 28-06-23

सेवा में,

पंजीकृत

मैसर्स कलर टच,
प्लॉट नं0-56/28, साईट-4, इण्डस्ट्रियल एरिया, साहिबाबाद,
गाजियाबाद।

यह कि उद्योग मैसर्स कलर टच, प्लॉट नं0-56/28, साईट-4, इण्डस्ट्रियल एरिया, साहिबाबाद, गाजियाबाद जो उपरोक्त वर्णित स्थल पर डाइंग एण्ड वाशिंग ऑफ गारमेण्ट्स के उत्पादन हेतु कार्यरत है तथा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 47 के अंतर्गत एक कम्पनी है।

यह कि मैसर्स कलर टच, प्लॉट नं0-56/28, साईट-4, इण्डस्ट्रियल एरिया, साहिबाबाद, गाजियाबाद का निरीक्षण केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा गठित थर्ड पार्टी समिति द्वारा दिनांक 30.01.2022 को किया गया। निरीक्षण के दौरान एकत्रित किये गये ई0टी0पी0 आउटलेट की विश्लेषण आख्या के अनुसार बी0ओ0डी0-285 मिग्रा0/ली0, सी0ओ0डी0-592 मिग्रा0/ली0, एवं टी0डी0एस0-4131 मिग्रा0/ली0 पाया गया, जो कि बोर्ड मानकों से अधिक है। उद्योग द्वारा सहमति भातों की अनुपालन आख्या प्रेषित नहीं की गयी है। थर्ड पार्टी निरीक्षण के अनुसार उद्योग द्वारा पर्यावरणीय अधिनियमों एवं टैक्सटॉइल चार्टर का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। उद्योग को बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या एच 66601/सी-1/जल/जी-20/नोटिस-निक्षेप/2021 दिनांक 04.10.2021 के माध्यम से शेष पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रू0 45000/- (रू0 पैंतालिस हजार मात्र) को 01 माह के अन्दर सम्बन्धित बोर्ड खाते में जमा किये जाने के निर्देश दिये गये थे। उक्त अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति जमा किये जाने के सम्बन्ध में उद्योग द्वारा कोई सूचना प्रेषित नहीं की गयी है।

यह कि उद्योग मैसर्स कलर टच, प्लॉट नं0-56/28, साईट-4, इण्डस्ट्रियल एरिया, साहिबाबाद, गाजियाबाद द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 25/26 का उल्लंघन कर आस-पास के पर्यावरण एवं जन मानस के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाला जा रहा है, जोकि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित में निहित आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन तथा एक दण्डनीय अपराध है।

अग्रेतर अवगत कराना है कि आपकी इकाई : मा. एन.जी.टी. में योजित ओ.ए. संख्या- 859/2022 अभीष्ट कुसुम गुप्ता बनाम स्टेट ऑफ उ.प्र. के अन्तर्गत आच्छादित है। अवगत कराना है कि मा. एन.जी.टी. में योजित ओ.ए. संख्या- 859/2022 में पारित आदेश दिनांक-17.03.2023 के संसुगत अंश निम्नवत् हैं:-

" 20. The Committee may meet within one week and will be free to function online or offline, undertake visit to the sites and interact with concerned authorities and stakeholders. Remedial action will involve assessment of compensation against erring industries for past violations equal to 10% turnover but not lower than assessed cost of restoration, closure of units which are continuing to cause pollution, prosecution of the owners of the industries under the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, following due process of law....."

माननीय एन.जी.टी. द्वारा अपने उक्त आदेश दिनांक-17.03.2023 में दोशी इकाई के विरुद्ध पूर्व मे किये गये उल्लंघन के हेतु कम्पनी के टर्नओवर के 10 प्रतिशत के बराबर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

.....2/-

यह कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों तथा उद्योग द्वारा किये जा रहे जल प्रदूषण से जन स्वास्थ्य पर संभावित दुष्प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुये जनहित में जनस्वास्थ्य की रक्षा एवं जन सामान्य को स्वस्थ पर्यावरण प्रदान करने के उद्दे य से यह आव यक है कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33 ए सपटित धारा 27 (2) के अन्तर्गत निहित भाक्तियों के अनुसरण में आपकी औद्योगिक इकाई के विरुद्ध निशेधात्मक कार्यवाही करते हुये उद्योग के संचालन को रोका जाये।

अतः जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33 ए सपटित धारा 27 (2) के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त भाक्तियों के अधीन उद्योग मैसर्स कलर टच, प्लॉट नं0-56/28, साईट-4, इण्डस्ट्रियल एरिया, साहिबाबाद, गाजियाबाद के विरुद्ध सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरांत निम्नलिखित कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है:-

1. यह कि क्यो न उद्योग मैसर्स कलर टच, प्लॉट नं0-56/28, साईट-4, इण्डस्ट्रियल एरिया, साहिबाबाद, गाजियाबाद को बोर्ड द्वारा दिनांक 25.03.20221 के माध्यम से इकाई के संचालन हेतु प्रदत्त सहमति (जल) को रिवोक कर दिया जाये?
2. यह कि क्यो न उद्योग मैसर्स कलर टच, प्लॉट नं0-56/28, साईट-4, इण्डस्ट्रियल एरिया, साहिबाबाद, गाजियाबाद की समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया बन्द कर दी जाये?
3. यह कि क्यो न सक्षम प्राधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि उद्योग मैसर्स कलर टच, प्लॉट नं0-56/28, साईट-4, इण्डस्ट्रियल एरिया, साहिबाबाद, गाजियाबाद को मिलने वाली विद्युत एवं जल आपूर्ति को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दें?

क्यों न माननीय एन0जी0टी0 द्वारा ओ0ए0 संख्या 859/2022 में पारित आदेश दिनांक 17.03.2023 के अनुपलान में डिफाल्टर दिवस की गणना के आधार पर कम्पनी के टर्नओवर के 10 प्रतिशत के बराबर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाये।

उक्त के अतिरिक्त उद्योग द्वारा शेष पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रू0 45000/- (रू0 पैंतालिस हजार मात्र) को 15 दिन के अन्दर बोर्ड के सम्बन्धित खाते में जमा की जाये अन्यथा की दशा में उद्योग को निर्गत सहमति प्रतिसंरहित करते हुये पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की भू-राजस्व की भांति वसूली किये जाने हेतु जिलाधिकारी को पत्र प्रेषित कर दी जायेगी।

उपरोक्त के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय को प्रेशित करें। निर्धारित समयावधि में संतोशजनक उत्तर प्राप्त न होने की द ा में उपरोक्त निर्दे ां की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं उद्योग एवं उद्योग स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत

(विवेक राय)

मुख्य पर्यावरण अभियन्ता, वृत्त-1

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी, गाजियाबाद।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद को इस निर्दे ा के साथ प्रेशित कि उपरोक्तानुसार डिफाल्ट अवधि हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना कर आख्या स्पष्ट संस्तुति सहित 15 दिन में आव यक रूप से प्रेशित करना सुनि चित करें।

मुख्य पर्यावरण अभियन्ता, वृत्त-1



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

H-96517 /C-1/जी-154/का0ब0नो0/2023

Date: 20-06-23

सेवा में,

मा0 एन0जी0टी0/महत्वपूर्ण/समयबद्ध

पंज/अ.ए.

मैसर्स वर्षा वाषिंग,
प्लॉट नं0-49/25, साईट-4, साहिबाबाद औद्योगिक क्षेत्र,
गाजियाबाद।

विषय: मैसर्स वर्षा वाषिंग, प्लॉट नं0-49/25, साईट-4, साहिबाबाद औद्योगिक क्षेत्र, गाजियाबाद के विरुद्ध बोर्ड द्वारा निर्गत बन्दी आदेश दिनांक 11.05.2023 एवं मा. एन.जी.टी. में विचाराधीन ओ.ए. संख्या-859/2022 Abhisht Kusum Gupta Versus State of Uttar Pradesh & Ors. में पारित आदेश दिनांक 17.03.2023 के अनुपालन में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र संख्या: एच 93353/सी-1/जल/ जी-154/बन्दी आदेश/2023, दिनांक 11.05.2023 द्वारा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-32(1)(सी) के अन्तर्गत उद्योग को बन्दी आदेश जारी किया गया है जोकि वर्तमान में प्रभावी है, का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

अग्रेतर मा. एन.जी.टी. में योजित ओ.ए. संख्या- 859/2022 अभीष्ट कुसुम गुप्ता बनाम स्टेट ऑफ उ.प्र. एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 17.03.2023 के संसुगत अंश निम्नवत् हैं:-

“.... 20. The Committee may meet within one week and will be free to function online or offline, undertake visit to the sites and interact with concerned authorities and stakeholders. Remedial action will involve assessment of compensation against erring industries for past violations equal to 10% turnover but not lower than assessed cost of restoration, closure of units which are continuing to cause pollution, prosecution of the owners of the industries under the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, following due process of law.....”

माननीय एन.जी.टी. द्वारा अपने उक्त आदेश दिनांक 17.03.2023 में आपकी इकाई के विरुद्ध किये गये उल्लंघन के दृष्टिगत कम्पनी के टर्नओवर का 10 प्रतिशत के बराबर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। आपकी इकाई के विरुद्ध बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या: एच 93353/सी-1/जल/ जी-154/बन्दी आदेश/2023, दिनांक 11.05.2023 के माध्यम से बन्दी आदेश निर्गत है। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि माननीय एन.जी.टी. के आदेश दिनांक 17.03.2023 के अनुपालन में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का आंकलन तदनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु

कमशः.....2.

कम्पनी का नवीनतम ऑडिटेड बैलेन्सशीट (टर्नओवर सहित) 15 दिन के अन्दर प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें। यदि आप द्वारा निर्धारित समयावधि में इस नोटिस का उत्तर / अनुपालन नहीं किया जाता है तो बोर्ड में उपलब्ध अभिलेखों के आधार / उद्योग के पूँजीगत निवेश के आधार पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं आपका होगा।

सक्षम अधिकारी के द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

(विवेक राय)

मुख्य पर्यावरण अभियन्ता, वृत्त-1

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. जिलाधिकारी, गाजियाबाद।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि मा. एन. जी.टी. द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.03.2023 का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु उद्योग से नवीनतम ऑडिटेड बैलेन्सशीट (टर्नओवर सहित) निर्धारित समयावधि में प्राप्त कर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का आंकलन करते हुए स्पष्ट संस्तुति सहित आख्या बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अभियन्ता, वृत्त-1



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref No- H-96518 /C-1/ 103 /का0ब0नो0 /2023

Date: 28-06-23

सेवा में,

मा0 एन0जी0टी0 / महत्वपूर्ण / समयबद्ध

मैसर्स वी0आर0एस0 फूड्स ल0 (यूनिट-1),
प्लॉट नं0-बी-56, साइट-4, औ0 क्षेत्र,
साहिबाबाद, गाजियाबाद

पंजीकृत

विषय: मैसर्स वी0आर0एस0 फूड्स ल0 (यूनिट-1), प्लॉट नं0-बी-56, साइट-4, औ0 क्षेत्र, साहिबाबाद, गाजियाबाद के विरुद्ध बोर्ड द्वारा निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 02.002.2023 एवं मा. एन.जी. टी. में विचाराधीन ओ.ए. संख्या-859/2022 Abhisht Kusum Gupta Versus State of Uttar Pradesh & Ors. में पारित आदेश दिनांक 17.03.2023 के अनुपालन में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र संख्या: एच 76247/सी-1/जल/ जी-103/का0ब0नो0 /2023, दिनांक 25.05.2023 द्वारा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-27(2) के अन्तर्गत उद्योग को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है जोकि वर्तमान में प्रभावी है, का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

अग्रेतर मा. एन.जी.टी. में योजित ओ.ए. संख्या- 859/2022 अभीष्ट कुसुम गुप्ता बनाम स्टेट ऑफ उ.प्र. एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 17.03.2023 के संसुगत अंश निम्नवत् हैं:-

“.... 20. The Committee may meet within one week and will be free to function online or offline, undertake visit to the sites and interact with concerned authorities and stakeholders. Remedial action will involve assessment of compensation against erring industries for past violations equal to 10% turnover but not lower than assessed cost of restoration, closure of units which are continuing to cause pollution, prosecution of the owners of the industries under the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, following due process of law.....”

माननीय एन.जी.टी. द्वारा अपने उक्त आदेश दिनांक 17.03.2023 में आपकी इकाई के विरुद्ध किये गये उल्लंघन के दृष्टिगत कम्पनी के टर्नओवर का 10 प्रतिशत के बराबर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। आपकी इकाई के विरुद्ध बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या: एच 76247/सी-1/जल/ जी-103/का0ब0नो0 /2023, दिनांक 25.05.2023के माध्यम से कारण बताओ नोटिस निर्गत है। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि माननीय एन.जी.टी. के आदेश दिनांक 17.03.2023 के अनुपालन में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का आंकलन तदनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये

कमशः.....2.

जाने हेतु कम्पनी का नवीनतम ऑडिटेड बैलेन्सशीट (टर्नओवर सहित) 15 दिन के अन्दर प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें। यदि आप द्वारा निर्धारित समयावधि में इस नोटिस का उत्तर / अनुपालन नहीं किया जाता है तो बोर्ड में उपलब्ध अभिलेखों के आधार / उद्योग के पूँजीगत निवेश के आधार पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं आपका होगा।

सक्षम अधिकारी के द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

(विवेक राय)

मुख्य पर्यावरण अभियन्ता, वृत्त-1

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. जिलाधिकारी, गाजियाबाद।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि मा. एन. जी.टी. द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.03.2023 का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु उद्योग से नवीनतम ऑडिटेड बैलेन्सशीट (टर्नओवर सहित) निर्धारित समयावधि में प्राप्त कर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का आंकलन करते हुए स्पष्ट संस्तुति सहित आख्या बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अभियन्ता, वृत्त-1



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref No- H-96519 /C-1/जी-709/का0ब0नो0/2023

Date: 28-06-23

सेवा में,

मा0 एन0जी0टी0/महत्वपूर्ण/समयबद्ध

पंज/ड/0

मैसर्स सार स्टील बाल्ब प्रा0लि0,
42/30, साईट-4, साहिबाबाद औद्योगिक क्षेत्र,
गाजियाबाद।

विषय: मैसर्स सार स्टील बाल्ब प्रा0लि0, 42/30, साईट-4, साहिबाबाद औद्योगिक क्षेत्र, गाजियाबाद के विरुद्ध बोर्ड द्वारा निर्गत बन्दी आदेश दिनांक 10.05.2023 एवं मा. एन.जी.टी. में विचाराधीन ओ.ए. संख्या-859/2022 Abhisht Kusum Gupta Versus State of Uttar Pradesh & Ors. में पारित आदेश दिनांक 17.03.2023 के अनुपालन में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र संख्या: एच 93331/सी-1/जल/ जी-709/बन्दी आदेश/2023, दिनांक 10.05.2023 द्वारा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-32(1)(सी) के अन्तर्गत उद्योग को बन्दी आदेश जारी किया गया है जोकि वर्तमान में प्रभावी है, का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

अग्रेतर मा. एन.जी.टी. में योजित ओ.ए. संख्या- 859/2022 अभीष्ट कुसुम गुप्ता बनाम स्टेट ऑफ उ.प्र. एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 17.03.2023 के संसुगत अंश निम्नवत् हैं:-

“.... 20. The Committee may meet within one week and will be free to function online or offline, undertake visit to the sites and interact with concerned authorities and stakeholders. Remedial action will involve assessment of compensation against erring industries for past violations equal to 10% turnover but not lower than assessed cost of restoration, closure of units which are continuing to cause pollution, prosecution of the owners of the industries under the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, following due process of law.....”

माननीय एन.जी.टी. द्वारा अपने उक्त आदेश दिनांक 17.03.2023 में आपकी इकाई के विरुद्ध किये गये उल्लंघन के दृष्टिगत कम्पनी के टर्नओवर का 10 प्रतिशत के बराबर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। आपकी इकाई के विरुद्ध बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या: एच 93331/सी-1/जल/ जी-709/बन्दी आदेश/2023, दिनांक 10.05.2023 के माध्यम से बन्दी आदेश निर्गत है। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि माननीय एन.जी.टी. के आदेश दिनांक 17.03.2023 के अनुपालन में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का आंकलन तदनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु

कमशः.....2.

कम्पनी का नवीनतम ऑडिटेड बैलेन्सशीट (टर्नओवर सहित) 15 दिन के अन्दर प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें। यदि आप द्वारा निर्धारित समयावधि में इस नोटिस का उत्तर / अनुपालन नहीं किया जाता है तो बोर्ड में उपलब्ध अभिलेखों के आधार / उद्योग के पूँजीगत निवेश के आधार पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं आपका होगा।

सक्षम अधिकारी के द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

(विवेक राय)

मुख्य पर्यावरण अभियन्ता, वृत्त-1

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. जिलाधिकारी, गाजियाबाद।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि मा. एन. जी.टी. द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.03.2023 का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु उद्योग से नवीनतम ऑडिटेड बैलेन्सशीट (टर्नओवर सहित) निर्धारित समयावधि में प्राप्त कर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का आंकलन करते हुए स्पष्ट संस्तुति सहित आख्या बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अभियन्ता, वृत्त-1



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref No- H-96520 /C-1/ 294/का0ब0नो0/2023

Date: 28-06-23

मा0 एन0जी0टी0/महत्वपूर्ण/समयबद्ध

सेवा में,

मैसर्स लक्ष्मी डाइंग एण्ड प्रिन्टिंग वर्क्स प्रा0लि0,
एस-81, लोनी रोड, मोहन नगर,
गाजियाबाद

पंजीकृत

विषय: मैसर्स लक्ष्मी डाइंग एण्ड प्रिन्टिंग वर्क्स प्रा0लि0, एस-81, लोनी रोड, मोहन नगर, गाजियाबाद के विरुद्ध बोर्ड द्वारा निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 02.002.2023 एवं मा. एन.जी.टी. में विचाराधीन ओ.ए. संख्या-859/2022 Abhisht Kusum Gupta Versus State of Uttar Pradesh & Ors. में पारित आदेश दिनांक 17.03.2023 के अनुपालन में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र संख्या: एच 84751/सी-1/जल/ जी-220/का0ब0नो0/2023, दिनांक 28.11.2022 द्वारा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-27(2) के अन्तर्गत उद्योग को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है जोकि वर्तमान में प्रभावी है, का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

अग्रतर आपकी इकाई मा. एन.जी.टी. में योजित ओ.ए. संख्या- 859/2022 अभीष्ट कुसुम गुप्ता बनाम स्टेट ऑफ उ.प्र. एवं अन्य में आच्छादित है। अवगत कराना है कि मा. एन.जी.टी. में योजित ओ.ए. संख्या- 859/2022 में पारित आदेश दिनांक 17.03.2023 के संसुगत अंश निम्नवत् हैं:-

“... 20. The Committee may meet within one week and will be free to function online or offline, undertake visit to the sites and interact with concerned authorities and stakeholders. Remedial action will involve assessment of compensation against erring industries for past violations equal to 10% turnover but not lower than assessed cost of restoration, closure of units which are continuing to cause pollution, prosecution of the owners of the industries under the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, following due process of law....”

माननीय एन.जी.टी. द्वारा अपने उक्त आदेश दिनांक 17.03.2023 में आपकी इकाई के विरुद्ध किये गये उल्लंघन के दृष्टिगत कम्पनी के टर्नओवर का 10 प्रतिशत के बराबर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। आपकी इकाई के विरुद्ध बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या: एच 84751/सी-1/जल/ जी-220/का0ब0नो0/2023, दिनांक 28.11.2022 के माध्यम से कारण बताओ नोटिस निर्गत है। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि माननीय एन.जी.टी. के आदेश दिनांक 17.03.2023 के अनुपालन में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का आंकलन तदनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये

कमशः.....2.

जाने हेतु कम्पनी का नवीनतम ऑडिटेड बैलेन्सशीट (टर्नओवर सहित) 15 दिन के अन्दर प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें। यदि आप द्वारा निर्धारित समयावधि में इस नोटिस का उत्तर / अनुपालन नहीं किया जाता है तो बोर्ड में उपलब्ध अभिलेखों के आधार / उद्योग के पूँजीगत निवेश के आधार पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं आपका होगा।

सक्षम अधिकारी के द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

(विवेक राय)

मुख्य पर्यावरण अभियन्ता, वृत्त-1

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. जिलाधिकारी, गाजियाबाद।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि मा. एन. जी.टी. द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.03.2023 का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु उद्योग से नवीनतम ऑडिटेड बैलेन्सशीट (टर्नओवर सहित) निर्धारित समयावधि में प्राप्त कर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का आंकलन करते हुए स्पष्ट संस्तुति सहित आख्या बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अभियन्ता, वृत्त-1



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref No- H-96521 /C-1/ 294/का0ब0नो0/2023

Date: 28-06-23

सेवा में,

मैसर्स महालक्ष्मी डायर्स,
प्लॉट नं०-49/24, साइट-4, औ० क्षेत्र,
साहिबाबाद, गाजियाबाद

मा० एन०जी०टी०/महत्वपूर्ण/समयबद्ध

पंजीकृत

विषय: मैसर्स महालक्ष्मी डायर्स, प्लॉट नं०-49/24, साइट-4, औ० क्षेत्र, साहिबाबाद, गाजियाबाद के विरुद्ध बोर्ड द्वारा निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 02.002.2023 एवं मा. एन.जी.टी. में विचाराधीन ओ.ए. संख्या-859/2022 Abhisht Kusum Gupta Versus State of Uttar Pradesh & Ors. में पारित आदेश दिनांक 17.03.2023 के अनुपालन में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र संख्या: एच 93940/सी-1/जल/ जी-294/का0ब0नो0/2023, दिनांक 19.05.2023 द्वारा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-27(2) के अन्तर्गत उद्योग को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है जोकि वर्तमान में प्रभावी है, का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

अग्रेतर आपकी इकाई मा. एन.जी.टी. में योजित ओ.ए. संख्या- 859/2022 अभीष्ट कुसुम गुप्ता बनाम स्टेट ऑफ उ.प्र. एवं अन्य में आच्छादित है। अवगत कराना है कि मा. एन.जी.टी. में योजित ओ.ए. संख्या- 859/2022 में पारित आदेश दिनांक 17.03.2023 के संसुगत अंश निम्नवत् हैं:-

“... 20. The Committee may meet within one week and will be free to function online or offline, undertake visit to the sites and interact with concerned authorities and stakeholders. Remedial action will involve assessment of compensation against erring industries for past violations equal to 10% turnover but not lower than assessed cost of restoration, closure of units which are continuing to cause pollution, prosecution of the owners of the industries under the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, following due process of law.....”

माननीय एन.जी.टी. द्वारा अपने उक्त आदेश दिनांक 17.03.2023 में आपकी इकाई के विरुद्ध किये गये उल्लंघन के दृष्टिगत कम्पनी के टर्नओवर का 10 प्रतिशत के बराबर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। आपकी इकाई के विरुद्ध बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या: एच 93940/सी-1/जल/ जी-294/का0ब0नो0/2023, दिनांक 19.05.2023 के माध्यम से कारण बताओ नोटिस निर्गत है। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि माननीय एन.जी.टी. के आदेश दिनांक 17.03.2023 के अनुपालन में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का आंकलन तदनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये

कमशः.....2.

जाने हेतु कम्पनी का नवीनतम ऑडिटेड बैलेन्सशीट (टर्नओवर सहित) 15 दिन के अन्दर प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें। यदि आप द्वारा निर्धारित समयावधि में इस नोटिस का उत्तर / अनुपालन नहीं किया जाता है तो बोर्ड में उपलब्ध अभिलेखों के आधार / उद्योग के पूंजीगत निवेश के आधार पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं आपका होगा।

सक्षम अधिकारी के द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

(दिवेक राय)

मुख्य पर्यावरण अभियन्ता, वृत्त-1

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. जिलाधिकारी, गाजियाबाद।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि मा. एन. जी.टी. द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.03.2023 का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु उद्योग से नवीनतम ऑडिटेड बैलेन्सशीट (टर्नओवर सहित) निर्धारित समयावधि में प्राप्त कर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का आंकलन करते हुए स्पष्ट संस्तुति सहित आख्या बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अभियन्ता, वृत्त-1



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref No- H-96522 /C-1/ 294/का0ब0नो0/2023

Date: 28-06-23

मा0 एन0जी0टी0/महत्वपूर्ण/समयबद्ध

सेवा में,

मैसर्स बालाजी इण्टरप्राइजेज,
प्लॉट सं0-56/19, साईट-4, साहिबाबाद,
औद्योगिक क्षेत्र, गाजियाबाद।

पंजाबी

विषय: मैसर्स बालाजी इण्टरप्राइजेज, प्लॉट सं0-56/19, साईट-4, साहिबाबाद, औद्योगिक क्षेत्र, गाजियाबाद के विरुद्ध बोर्ड द्वारा निर्गत बन्दी आदेश दिनांक 15.05.2023 एवं मा. एन.जी.टी. में विचाराधीन ओ. ए. संख्या-859/2022 Abhisht Kusum Gupta Versus State of Uttar Pradesh & Ors. में पारित आदेश दिनांक 17.03.2023 के अनुपालन में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र संख्या: एच 93330/सी-1/जल/ जी-708/बन्दी आदेश /2023, दिनांक 15.05.2023 द्वारा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-27(2) के अन्तर्गत उद्योग को बन्दी आदेश निर्गत है जोकि वर्तमान में प्रभावी है, का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

अग्रेतर आपकी इकाई मा. एन.जी.टी. में योजित ओ.ए. संख्या- 859/2022 अभीष्ट कुसुम गुप्ता बनाम स्टेट ऑफ उ.प्र. एवं अन्य में आच्छादित है। अवगत कराना है कि मा. एन.जी.टी. में योजित ओ.ए. संख्या- 859/2022 में पारित आदेश दिनांक 17.03.2023 के संसुगत अंश निम्नवत् हैं:-

“.... 20. The Committee may meet within one week and will be free to function online or offline, undertake visit to the sites and interact with concerned authorities and stakeholders. Remedial action will involve assessment of compensation against erring industries for past violations equal to 10% turnover but not lower than assessed cost of restoration, closure of units which are continuing to cause pollution, prosecution of the owners of the industries under the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, following due process of law.....”

माननीय एन.जी.टी. द्वारा अपने उक्त आदेश दिनांक 17.03.2023 में आपकी इकाई के विरुद्ध किये गये उल्लंघन के दृष्टिगत कम्पनी के टर्नओवर का 10 प्रतिशत के बराबर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। आपकी इकाई के विरुद्ध बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या: एच 93330/सी-1/जल/ जी-708/ बन्दी आदेश /2023, दिनांक 15.05.2023 के माध्यम से कारण बताओ नोटिस निर्गत है। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि माननीय एन.जी.टी. के आदेश दिनांक 17.03.2023 के अनुपालन में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का आंकलन तदनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये

कमश:.....2.

जाने हेतु कम्पनी का नवीनतम ऑडिटेड बैलेन्सशीट (टर्नओवर सहित) 15 दिन के अन्दर प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें। यदि आप द्वारा निर्धारित समयावधि में इस नोटिस का उत्तर / अनुपालन नहीं किया जाता है तो बोर्ड में उपलब्ध अभिलेखों के आधार / उद्योग के पूँजीगत निवेश के आधार पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं आपका होगा।

सक्षम अधिकारी के द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

(विवेक राय)

मुख्य पर्यावरण अभियन्ता, वृत्त-1

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. जिलाधिकारी, गाजियाबाद।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि मा. एन. जी.टी. द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.03.2023 का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु उद्योग से नवीनतम ऑडिटेड बैलेन्सशीट (टर्नओवर सहित) निर्धारित समयावधि में प्राप्त कर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का आंकलन करते हुए स्पष्ट संस्तुति सहित आख्या बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अभियन्ता, वृत्त-1



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref No- H-96529 /C-1/ 294 / का0ब0नो0 / 2023

Date: 28-06-23

मा0 एन0जी0टी0 / महत्वपूर्ण / समयबद्ध पंजीकृत

सेवा में,

मैसर्स प्रमोशनल क्लब,
प्लॉट सं0-सी-1, सी-2, व सी-3,
ई0पी0आई0पी0, साईट-5, सूरजपुर, औद्योगिक क्षेत्र,
कासना, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर।

विषय: मैसर्स प्रमोशनल क्लब, प्लॉट सं0-सी-1, सी-2, व सी-3, ई0पी0आई0पी0, साईट-5, सूरजपुर, औद्योगिक क्षेत्र, कासना, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर के विरुद्ध बोर्ड द्वारा निर्गत बन्दी आदेश दिनांक 06.06.2023 एवं मा. एन.जी.टी. में विचाराधीन ओ.ए. संख्या-859/2022 Abhisht Kusum Gupta Versus State of Uttar Pradesh & Ors. में पारित आदेश दिनांक 17.03.2023 के अनुपालन में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र संख्या: एच 95148/सी-1/जल/ सा0-1179/ बन्दी आदेश /2023, दिनांक 06.06.2023 द्वारा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-27(2) के अन्तर्गत उद्योग को बन्दी आदेश निर्गत है जोकि वर्तमान में प्रभावी है, का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

अग्रेतर आपकी इकाई मा. एन.जी.टी. में योजित ओ.ए. संख्या- 859/2022 अभीष्ट कुसुम गुप्ता बनाम स्टेट ऑफ उ.प्र. एवं अन्य में आच्छादित है। अवगत कराना है कि मा. एन.जी.टी. में योजित ओ.ए. संख्या- 859/2022 में पारित आदेश दिनांक 17.03.2023 के संसुगत अंश निम्नवत् हैं:-

“.... 20. The Committee may meet within one week and will be free to function online or offline, undertake visit to the sites and interact with concerned authorities and stakeholders. Remedial action will involve assessment of compensation against erring industries for past violations equal to 10% turnover but not lower than assessed cost of restoration, closure of units which are continuing to cause pollution, prosecution of the owners of the industries under the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, following due process of law.....”

माननीय एन.जी.टी. द्वारा अपने उक्त आदेश दिनांक 17.03.2023 में आपकी इकाई के विरुद्ध किये गये उल्लंघन के दृष्टिगत कम्पनी के टर्नओवर का 10 प्रतिशत के बराबर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। आपकी इकाई के विरुद्ध बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या: एच 95148/सी-1/जल/ सा0-1179/ बन्दी आदेश /2023, दिनांक 06.06.2023 के माध्यम से बन्दी आदेश निर्गत है। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि माननीय एन.जी.टी. के आदेश दिनांक 17.03.2023 के अनुपालन में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का आंकलन तदनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये

कमशः.....2.

जाने हेतु कम्पनी का नवीनतम ऑडिटेड बैलेन्सशीट (टर्नओवर सहित) 15 दिन के अन्दर प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें। यदि आप द्वारा निर्धारित समयावधि में इस नोटिस का उत्तर / अनुपालन नहीं किया जाता है तो बोर्ड में उपलब्ध अभिलेखों के आधार / उद्योग के पूँजीगत निवेश के आधार पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं आपका होगा।

सक्षम अधिकारी के द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

(विवेक राय)

मुख्य पर्यावरण अभियन्ता, वृत्त-1

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्रेटर नोएडा को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि मा. एन. जी.टी. द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.03.2023 का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु उद्योग से नवीनतम ऑडिटेड बैलेन्सशीट (टर्नओवर सहित) निर्धारित समयावधि में प्राप्त कर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का आंकलन करते हुए स्पष्ट संस्तुति सहित आख्या बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अभियन्ता, वृत्त-1



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref No- H-96528/C-1/403/का0ब0नौ0/2023

Date: 28-06-23

मा0 एन0जी0टी0/महत्वपूर्ण/समयबद्ध

सेवा में,

मैसर्स रोबस्ट इन्फाटेक प्रा0लि0,
प्लॉट सं0-जे-13, सेक्टर-डी-1 (पी-3),
अपेल पार्क ट्रॉनिका सिटी, लोनी, गाजियाबाद।

पंज/ब/र

विषय: मैसर्स रोबस्ट इन्फाटेक प्रा0लि0, प्लॉट सं0-जे-13, सेक्टर-डी-1 (पी-3), अपेल पार्क ट्रॉनिका सिटी, लोनी, गाजियाबाद के विरुद्ध बोर्ड द्वारा निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 22.05.2023 एवं मा. एन.जी.टी. में विचाराधीन ओ.ए. संख्या-859/2022 *Abhisht Kusum Gupta Versus State of Uttar Pradesh & Ors.* में पारित आदेश दिनांक 17.03.2023 के अनुपालन में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र संख्या: एच 94025/सी-1/जल/जी-403/बन्दी आदेश /2022, दिनांक 22.05.2023 द्वारा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-27(2) के अन्तर्गत उद्योग को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है जोकि वर्तमान में प्रभावी है, का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

अग्रेतर आपकी इकाई मा. एन.जी.टी. में योजित ओ.ए. संख्या- 859/2022 अमीष्ट कुसुम गुप्ता बनाम स्टेट ऑफ उ.प्र. एवं अन्य में आच्छादित है। अवगत करना है कि मा. एन.जी.टी. में योजित ओ.ए. संख्या- 859/2022 में पारित आदेश दिनांक 17.03.2023 के संसुगत अंश निम्नवत् हैं:-

“..... 20. The Committee may meet within one week and will be free to function online or offline, undertake visit to the sites and interact with concerned authorities and stakeholders. Remedial action will involve assessment of compensation against erring industries for past violations equal to 10% turnover but not lower than assessed cost of restoration, closure of units which are continuing to cause pollution, prosecution of the owners of the industries under the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, following due process of law.....”

माननीय एन.जी.टी. द्वारा अपने उक्त आदेश दिनांक 17.03.2023 में आपकी इकाई के विरुद्ध किये गये उल्लंघन के दृष्टिगत कम्पनी के टर्नओवर का 10 प्रतिशत के बराबर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। आपकी इकाई के विरुद्ध बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या: एच 94025/सी-1/जल/ जी-403/ बन्दी आदेश /2022, दिनांक 22.05.2023 के माध्यम से कारण बताओ नोटिस निर्गत है। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि माननीय एन.जी.टी. के आदेश दिनांक 17.03.2023 के अनुपालन में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का आंकलन तदनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये

कमरा:.....2.

जाने हेतु कम्पनी का नवीनतम ऑडिटेड बैलेन्सशीट (टर्नओवर सहित) 15 दिन के अन्दर प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें। यदि आप द्वारा निर्धारित समयावधि में इस नोटिस का उत्तर / अनुपालन नहीं किया जाता है तो बोर्ड में उपलब्ध अभिलेखों के आधार / उद्योग के पूँजीगत निवेश के आधार पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं आपका होगा।

सक्षम अधिकारी के द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

(विवेक राय)

मुख्य पर्यावरण अभियन्ता, वृत्त-1

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. जिलाधिकारी, गाजियाबाद।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि मा. एन. जी.टी. द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.03.2023 का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु उद्योग से नवीनतम ऑडिटेड बैलेन्सशीट (टर्नओवर सहित) निर्धारित समयावधि में प्राप्त कर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का आंकलन करते हुए स्पष्ट संस्तुति सहित आख्या बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अभियन्ता, वृत्त-1



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref No- M-96527 /C-1/ 403/ का0ब0नो0/2023

Date: 28-06-23

मा0 एन0जी0टी0/ महत्वपूर्ण/ समयबद्ध

सेवा में,

मैसर्स बालाजी इण्डस्ट्री,
37रूरल इण्डस्ट्रियल एरिया,
लोनी, गाजियाबाद ।

पंजीकृत

विषय: मैसर्स बालाजी इण्डस्ट्री, 37रूरल इण्डस्ट्रियल एरिया, लोनी, गाजियाबाद के विरुद्ध बोर्ड द्वारा निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 15.02.2023 एवं मा. एन.जी.टी. में विचाराधीन ओ.ए. संख्या-859/2022 **Abhisht Kusum Gupta Versus State of Uttar Pradesh & Ors.** में पारित आदेश दिनांक 17.03.2023 के अनुपालन में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र संख्या: एच 89154/सी-1/जल/ जी-03/ कारण बताओ नोटिस/2022, दिनांक 15.02.2023 द्वारा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-27(2) के अन्तर्गत उद्योग को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है जोकि वर्तमान में प्रभावी है, का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

अग्रेतर आपकी इकाई मा. एन.जी.टी. में योजित ओ.ए. संख्या- 859/2022 अभीष्ट कुसुम गुप्ता बनाम स्टेट ऑफ उ.प्र. एवं अन्य में आच्छादित है। अवगत कराना है कि मा. एन.जी.टी. में योजित ओ.ए. संख्या- 859/2022 में पारित आदेश दिनांक 17.03.2023 के संसुगत अंश निम्नवत् हैं:-

“.... 20. The Committee may meet within one week and will be free to function online or offline, undertake visit to the sites and interact with concerned authorities and stakeholders. Remedial action will involve assessment of compensation against erring industries for past violations equal to 10% turnover but not lower than assessed cost of restoration, closure of units which are continuing to cause pollution, prosecution of the owners of the industries under the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, following due process of law.....”

माननीय एन.जी.टी. द्वारा अपने उक्त आदेश दिनांक 17.03.2023 में आपकी इकाई के विरुद्ध किये गये उल्लंघन के दृष्टिगत कम्पनी के टर्नओवर का 10 प्रतिशत के बराबर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। आपकी इकाई के विरुद्ध बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या: एच 89154/सी-1/जल/ जी-03/ कारण बताओ नोटिस/2022, दिनांक 15.02.2023 के माध्यम से कारण बताओ नोटिस निर्गत है। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि माननीय एन.जी.टी. के आदेश दिनांक 17.03.2023 के अनुपालन में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का आंकलन तदनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये

कमशः.....2.

जाने हेतु कम्पनी का नवीनतम ऑडिटेड बैलेन्सशीट (टर्नओवर सहित) 15 दिन के अन्दर प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें। यदि आप द्वारा निर्धारित समयावधि में इस नोटिस का उत्तर / अनुपालन नहीं किया जाता है तो बोर्ड में उपलब्ध अभिलेखों के आधार / उद्योग के पूँजीगत निवेश के आधार पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं आपका होगा।

सक्षम अधिकारी के द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

(विवेक राय)

मुख्य पर्यावरण अभियन्ता, वृत्त-1

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. जिलाधिकारी, गाजियाबाद।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि मा. एन. जी.टी. द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.03.2023 का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु उद्योग से नवीनतम ऑडिटेड बैलेन्सशीट (टर्नओवर सहित) निर्धारित समयावधि में प्राप्त कर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का आंकलन करते हुए स्पष्ट संस्तुति सहित आख्या बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अभियन्ता, वृत्त-1



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref No- H-96526 /C-1/ 403/का0ब0नो0/2023

Date: 28-06-23

सेवा में,

मा0 एन0जी0टी0 / महत्वपूर्ण / समयबद्ध

मैसर्स एन0जी0टैक्स प्रिन्ट प्रा0लि0,
13/2, सेक्टर-17, कवि नगर,
गाजियाबाद ।

पंजीकृत

विषय: मैसर्स एन0जी0टैक्स प्रिन्ट प्रा0लि0, 13/2, सेक्टर-17, कवि नगर, गाजियाबाद के विरुद्ध बोर्ड द्वारा निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 15.02.2023 एवं मा. एन.जी.टी. में विचाराधीन ओ.ए. संख्या-859/2022 Abhisht Kusum Gupta Versus State of Uttar Pradesh & Ors. में पारित आदेश दिनांक 17.03.2023 के अनुपालन में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र संख्या: एच 93944/सी-1/जल/ जी-396/ कारण बताओ नोटिस/2022, दिनांक 19.05.2023 द्वारा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-27(2) के अन्तर्गत उद्योग को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है जोकि वर्तमान में प्रभावी है, का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

अग्रतर आपकी इकाई मा. एन.जी.टी. में योजित ओ.ए. संख्या- 859/2022 अभीष्ट कुसुम गुप्ता बनाम स्टेट ऑफ उ.प्र. एवं अन्य में आच्छादित है। अवगत कराना है कि मा. एन.जी.टी. में योजित ओ.ए. संख्या- 859/2022 में पारित आदेश दिनांक 17.03.2023 के संसुगत अंश निम्नवत् हैं:-

“.... 20. The Committee may meet within one week and will be free to function online or offline, undertake visit to the sites and interact with concerned authorities and stakeholders. Remedial action will involve assessment of compensation against erring industries for past violations equal to 10% turnover but not lower than assessed cost of restoration, closure of units which are continuing to cause pollution, prosecution of the owners of the industries under the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, following due process of law.....”

माननीय एन.जी.टी. द्वारा अपने उक्त आदेश दिनांक 17.03.2023 में आपकी इकाई के विरुद्ध किये गये उल्लंघन के दृष्टिगत कम्पनी के टर्नओवर का 10 प्रतिशत के बराबर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। आपकी इकाई के विरुद्ध बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या: एच 93944/सी-1/जल/ जी-396/ कारण बताओ नोटिस/2022, दिनांक 19.05.2023 के माध्यम से कारण बताओ नोटिस निर्गत है। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि माननीय एन.जी.टी. के आदेश दिनांक 17.03.2023 के अनुपालन में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का आंकलन तदनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये

कमश:.....2.

टी0सी0-12वीं, विभूति खण्ड
गोमती नगर, लखनऊ-226010
दूरभाष : 2720831, 2720828, 2720691, 2720681
फैक्स : 0522-2720764

TC-12V, Vibhuti Khand,
Gomti Nagar, Lucknow-226010
Phone : 2720831, 2720828, 2720691, 2720681
Fax : 0522-2720764

जाने हेतु कम्पनी का नवीनतम ऑडिटेड बैलेन्सशीट (टर्नओवर सहित) 15 दिन के अन्दर प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें। यदि आप द्वारा निर्धारित समयावधि में इस नोटिस का उत्तर / अनुपालन नहीं किया जाता है तो बोर्ड में उपलब्ध अभिलेखों के आधार / उद्योग के पूँजीगत निवेश के आधार पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं आपका होगा।

सक्षम अधिकारी के द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

(विवेक राय)

मुख्य पर्यावरण अभियन्ता, वृत्त-1

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. जिलाधिकारी, गाजियाबाद।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि मा. एन. जी.टी. द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.03.2023 का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु उद्योग से नवीनतम ऑडिटेड बैलेन्सशीट (टर्नओवर सहित) निर्धारित समयावधि में प्राप्त कर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का आंकलन करते हुए स्पष्ट संस्तुति सहित आख्या बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अभियन्ता, वृत्त-1



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref No- HA 96525 /C-1/ 294/ का0ब0नो0/2023

Date: २६.०६.२३

मा0 एन0जी0टी0/महत्वपूर्ण/समयबद्ध

सेवा में,

मैसर्स प्रेम प्रोसेसर्स,
प्लॉट सं0-52, राजेन्द्र नगर औद्योगिक,
गाजियाबाद।

पंजीकृत

विषय: मैसर्स प्रेम प्रोसेसर्स, प्लॉट सं0-52, राजेन्द्र नगर औद्योगिक, गाजियाबाद के विरुद्ध बोर्ड द्वारा निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 26.05.2023 एवं मा. एन.जी.टी. में विचाराधीन ओ.ए. संख्या-859/2022 *Abhisht Kusum Gupta Versus State of Uttar Pradesh & Ors.* में पारित आदेश दिनांक 17.03.2023 के अनुपालन में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र संख्या: ए 94528/सी-1/जल/ जी-302/का0ब0नो0/2023, दिनांक 26.05.2023 द्वारा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-27(2) के अन्तर्गत उद्योग को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है जोकि वर्तमान में प्रभावी है, का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

अग्रेतर आपकी इकाई मा. एन.जी.टी. में योजित ओ.ए. संख्या- 859/2022 अमीष्ट कुसुम गुप्ता बनाम स्टेट ऑफ उ.प्र. एवं अन्य में आच्छादित है। अवगत कराना है कि मा. एन.जी.टी. में योजित ओ.ए. संख्या- 859/2022 में पारित आदेश दिनांक 17.03.2023 के संसुगत अंश निम्नवत् है:-

“.... 20. The Committee may meet within one week and will be free to function online or offline, undertake visit to the sites and interact with concerned authorities and stakeholders. Remedial action will involve assessment of compensation against erring industries for past violations equal to 10% turnover but not lower than assessed cost of restoration, closure of units which are continuing to cause pollution, prosecution of the owners of the industries under the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, following due process of law.....”

माननीय एन.जी.टी. द्वारा अपने उक्त आदेश दिनांक 17.03.2023 में आपकी इकाई के विरुद्ध किये गये उल्लंघन के दृष्टिगत कम्पनी के टर्नओवर का 10 प्रतिशत के बराबर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के निर्देश किये गये हैं। आपकी इकाई के विरुद्ध बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या: ए 94528/सी-1/जल/ जी-302/का0ब0नो0/2023, दिनांक 26.05.2023 के माध्यम से कारण बताओ नोटिस निर्गत है। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि माननीय एन.जी.टी. के आदेश दिनांक 17.03.2023 के अनुपालन में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का आंकलन तदनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये

कमरा:.....2.

जाने हेतु कम्पनी का नवीनतम ऑडिटेड बैलेन्सशीट (टर्नओवर सहित) 15 दिन के अन्दर प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें। यदि आप द्वारा निर्धारित समयावधि में इस नोटिस का उत्तर / अनुपालन नहीं किया जाता है तो बोर्ड में उपलब्ध अभिलेखों के आधार / उद्योग के पूंजीगत निवेश के आधार पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं आपका होगा।

सक्षम अधिकारी के द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

(विवेक राय)

मुख्य पर्यावरण अभियन्ता, वृत्त-1

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. जिलाधिकारी, गाजियाबाद।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि मा. एन. जी.टी. द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.03.2023 का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु उद्योग से नवीनतम ऑडिटेड बैलेन्सशीट (टर्नओवर सहित) निर्धारित समयावधि में प्राप्त कर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का आंकलन करते हुए स्पष्ट संस्तुति सहित आख्या बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अभियन्ता, वृत्त-1



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref No- H-96524/C-1/ जल/एन-440/का0ब0नो0/2023

Date: 28-06-2023

मा0 एन0जी0टी0/महत्वपूर्ण/समयबद्ध

पंजी0

सेवा में,

मैसर्स पाल निट फ़ैब,
प्लॉट सं0-54/14, औद्योगिक क्षेत्र साईट-4,
सहिबाबाद, गाजियाबाद ।

विषय: मैसर्स पाल निट फ़ैब, प्लॉट सं0-54/14, औद्योगिक क्षेत्र साईट-4, सहिबाबाद, गाजियाबाद के विरुद्ध बोर्ड द्वारा निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 19.03.2023 एवं मा. एन.जी.टी. में विचाराधीन ओ.ए. संख्या-859/2022 Abhisht Kusum Gupta Versus State of Uttar Pradesh & Ors. में पारित आदेश दिनांक 17.03.2023 के अनुपालन में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र संख्या: एच 93343/सी-1/जल/ जी-314/ क0ब0नो0 /2023, दिनांक 19.03.2023 द्वारा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-27(2) के अन्तर्गत उद्योग को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है जोकि वर्तमान में प्रभावी है, का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

अग्रेतर आपकी इकाई मा. एन.जी.टी. में योजित ओ.ए. संख्या- 859/2022 अभीष्ट कुसुम गुप्ता बनाम स्टेट ऑफ उ.प्र. एवं अन्य में आच्छादित है। अवगत कराना है कि मा. एन.जी.टी. में योजित ओ.ए. संख्या- 859/2022 में पारित आदेश दिनांक 17.03.2023 के संसुगत अंश निम्नवत् हैं:-

“.... 20. The Committee may meet within one week and will be free to function online or offline, undertake visit to the sites and interact with concerned authorities and stakeholders. Remedial action will involve assessment of compensation against erring industries for past violations equal to 10% turnover but not lower than assessed cost of restoration, closure of units which are continuing to cause pollution, prosecution of the owners of the industries under the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, following due process of law.....”

माननीय एन.जी.टी. द्वारा अपने उक्त आदेश दिनांक 17.03.2023 में आपकी इकाई के विरुद्ध किये गये उल्लंघन के दृष्टिगत कम्पनी के टर्नओवर का 10 प्रतिशत के बराबर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। आपकी इकाई के विरुद्ध बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या: एच 93343/सी-1/जल/ जी-314/ क0ब0नो0 /2023, दिनांक 19.03.2023 के माध्यम से कारण बताओ नोटिस निर्गत है। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि माननीय एन.जी.टी. के आदेश दिनांक 17.03.2023 के अनुपालन में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का आंकलन तदनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये

कमशः.....2.

जाने हेतु कम्पनी का नवीनतम ऑडिटेड बैलेन्सशीट (टर्नओवर सहित) 15 दिन के अन्दर प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें। यदि आप द्वारा निर्धारित समयावधि में इस नोटिस का उत्तर / अनुपालन नहीं किया जाता है तो बोर्ड में उपलब्ध अभिलेखों के आधार / उद्योग के पूंजीगत निवेश के आधार पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं आपका होगा।

सक्षम अधिकारी के द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

(विवेक राय)

मुख्य पर्यावरण अभियन्ता, वृत्त-1

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. जिलाधिकारी, गाजियाबाद।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि मा. एन. जी.टी. द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.03.2023 का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु उद्योग से नवीनतम ऑडिटेड बैलेन्सशीट (टर्नओवर सहित) निर्धारित समयावधि में प्राप्त कर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का आंकलन करते हुए स्पष्ट संस्तुति सहित आख्या बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अभियन्ता, वृत्त-1



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref No- H-96523 /C-1/ 294/का0ब0नो0/2023

पंजी0
Date: 20.03.23

मा0 एन0जी0टी0/महत्वपूर्ण/समयबद्ध

सेवा में,

मैसर्स पूजा प्रोसेसर्स
प्लॉट सं0-62, /2/3, साईट-4,
साहिबाबाद क्षेत्र, गाजियाबाद

पंजीकृत

विषय: मैसर्स पूजा प्रोसेसर्स प्लॉट सं0-62, /2/3, साईट-4, साहिबाबाद क्षेत्र, गाजियाबाद के विरुद्ध बोर्ड द्वारा निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 19.03.2023 एवं मा. एन.जी.टी. में विचाराधीन ओ.ए. संख्या-859/2022 Abhisht Kusum Gupta Versus State of Uttar Pradesh & Ors. में पारित आदेश दिनांक 17.03.2023 के अनुपालन में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र संख्या: एच 93939/सी-1/जल/ जी-185/का0ब0नो0/2023, दिनांक 19.03.2023 द्वारा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-27(2) के अन्तर्गत उद्योग को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है जोकि वर्तमान में प्रभावी है, का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

अग्रेतर आपकी इकाई मा. एन.जी.टी. में योजित ओ.ए. संख्या- 859/2022 अभीष्ट कुसुम गुप्ता बनाम स्टेट ऑफ उ.प्र. एवं अन्य में आच्छादित है। अवगत कराना है कि मा. एन.जी.टी. में योजित ओ.ए. संख्या- 859/2022 में पारित आदेश दिनांक 17.03.2023 के संसुगत अंश निम्नवत् हैं:-

“.... 20. The Committee may meet within one week and will be free to function online or offline, undertake visit to the sites and interact with concerned authorities and stakeholders. Remedial action will involve assessment of compensation against erring industries for past violations equal to 10% turnover but not lower than assessed cost of restoration, closure of units which are continuing to cause pollution, prosecution of the owners of the industries under the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, following due process of law.....”

माननीय एन.जी.टी. द्वारा अपने उक्त आदेश दिनांक 17.03.2023 में आपकी इकाई के विरुद्ध किये गये उल्लंघन के दृष्टिगत कम्पनी के टर्नओवर का 10 प्रतिशत के बराबर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। आपकी इकाई के विरुद्ध बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या: एच 93939/सी-1/जल/ जी-185/का0ब0नो0/2023, दिनांक 19.03.2023के माध्यम से कारण बताओ नोटिस निर्गत है। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि माननीय एन.जी.टी. के आदेश दिनांक 17.03.2023 के अनुपालन में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का आंकलन तदनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये

कमश:.....2.

जाने हेतु कम्पनी का नवीनतम ऑडिटेड बैलेन्सशीट (टर्नओवर सहित) 15 दिन के अन्दर प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें। यदि आप द्वारा निर्धारित समयावधि में इस नोटिस का उत्तर / अनुपालन नहीं किया जाता है तो बोर्ड में उपलब्ध अभिलेखों के आधार / उद्योग के पूंजीगत निवेश के आधार पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं आपका होगा।

सक्षम अधिकारी के द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

(विवेक राय)

मुख्य पर्यावरण अभियन्ता, वृत्त-1

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. जिलाधिकारी, गाजियाबाद।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि मा. एन. जी.टी. द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.03.2023 का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु उद्योग से नवीनतम ऑडिटेड बैलेन्सशीट (टर्नओवर सहित) निर्धारित समयावधि में प्राप्त कर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का आंकलन करते हुए स्पष्ट संस्तुति सहित आख्या बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अभियन्ता, वृत्त-1



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ संख्या: 1961/P/सी-3/जल/43/2023

दिनांक: 28/6/23

सेवा में,

मा. एन.जी.टी./महत्वपूर्ण/समयबद्ध/पंजीकृत

मैसर्स अनमोल टेक्सटाइल्स,
प्लांट नं. 02,03 व 04 ग्राम- तिपरपुर, जनता रोड
जनपद सहारनपुर।

विषय: मैसर्स अनमोल टेक्सटाइल्स, प्लांट नं. 02,03 व 04 ग्राम- तिपरपुर, जनता रोड जनपद सहारनपुर के विरुद्ध बोर्ड द्वारा निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक-26.06.2023 एवं मा. एन.जी.टी. में विचाराधीन ओ.ए. संख्या-859/2022 Abhisht Kusum Gupta Versus State of Uttar Pradesh & Ors. में पारित आदेश दिनांक-17.03.2023 के अनुपालन में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र संख्या: एच 96305/सी-3/जल-543/2023, दिनांक-26.06.2023 द्वारा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा-33(ए) के अन्तर्गत उद्योग को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है जोकि वर्तमान में प्रभावी है, का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त कारण बताओ नोटिस में क्षेत्रीय कार्यालय, सहारनपुर की आख्या के अनुसार इकाई द्वारा कारण बताओ नोटिस दिनांक-26.06.2023 में वर्णित तथ्यों के आधार पर पर्यावरणीय मानकों का उल्लंघन पाये जाने पर मा. एन.जी.टी. द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उद्योगों पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु जारी गाईडलाइन्स के अनुसार रुपये-10,000/- प्रतिदिन की दर से दिनांक-23.03.2023 से उल्लंघनकारी दिवसों की अवधि हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु बोर्ड के पत्र संख्या: एच 96305/सी-3/जल-543/2023, दिनांक-26.06.2023 द्वारा कारण बताओ नोटिस दिया गया।

यतः मा. एन.जी.टी. में योजित ओ.ए. संख्या- 859/2022 अभीष्ट कुसुम गुप्ता बनाम स्टेट ऑफ उ.प्र. एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक-17.03.2023 के संसुगत अंश निम्नवत् है:-

" 20. The Committee may meet within one week and will be free to function online or offline, undertake visit to the sites and interact with concerned authorities and stakeholders. Remedial action will involve assessment of compensation against erring industries for past violations equal to 10% turnover but not lower than assessed cost of restoration, closure of units which are continuing to cause pollution, prosecution of the owners of the industries under the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, following due process of law....."

माननीय एन.जी.टी. द्वारा अपने उक्त आदेश दिनांक-17.03.2023 में दोषी इकाई के विरुद्ध पूर्व में किये गये उल्लंघन के हेतु कम्पनी के टर्नओवर के 10 प्रतिशत के बराबर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। आपकी इकाई के विरुद्ध बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या: एच 96305/सी-3/जल-543/2023, दिनांक-26.06.2023 के माध्यम से कारण बताओ नोटिस निर्गत है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि माननीय एन.जी.टी. के आदेश दिनांक-17.03.2023 के अनुपालन में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का आंकलन तदनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु कम्पनी का नवीनतम ऑडिटेड बैलेन्सशीट (टर्नओवर सहित) 02 सप्ताह के अन्दर प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें। यदि आप द्वारा निर्धारित समयावधि में इस नोटिस का उत्तर/अनुपालन नहीं किया जाता है तो बोर्ड में उपलब्ध अभिलेखों के आधार/उद्योग के पूंजीगत निवेश के आधार पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं आपका होगा।

सक्षम अधिकारी के द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-3

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. जिलाधिकारी, सहारनपुर।
2. पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर।
3. अधिशासी अभियन्ता, उ.प्र. पावर कार्पोरेशन लि., विद्युत वितरण खण्ड, सहारनपुर।
4. अधिशासी अभियन्ता, जल संस्थान, सहारनपुर।
5. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वेस्ट मैनेजमेन्ट डिविजन (1/2), उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
6. क्षेत्रीय अधिकारी, उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सहारनपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि मा. एन.जी.टी. द्वारा पारित आदेश दिनांक-17.03.2023 का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु उद्योग से नवीनतम ऑडिटेड बैलेन्सशीट (टर्नओवर सहित) निर्धारित समयावधि में प्राप्त कर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का आंकलन करते हुए स्पष्ट संस्तुति सहित आख्या बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-3



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
655
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ संख्या: 19652/सी-3/जल-25/2023

दिनांक: 28/6/23

सेवा में,

मा. एन.जी.टी./महत्वपूर्ण/समयबद्ध/पंजीकृत

मैसर्स दया शुगर मिल (ए यूनिट ऑफ बी.के. इन्वेस्टमेंट प्रा.लि.),
ग्राम-नयाबांस, गागलहेड़ी,
तहसील व जनपद-सहारनपुर।

विषय: मैसर्स दया शुगर मिल (ए यूनिट ऑफ बी.के. इन्वेस्टमेंट प्रा.लि.), ग्राम-नयाबांस, गागलहेड़ी, तहसील व जनपद-सहारनपुर के विरुद्ध बोर्ड द्वारा निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक-25.04.2023 एवं मा. एन.जी.टी. में विचाराधीन ओ.ए. संख्या-859/2022 Abhisht Kusum Gupta Versus State of Uttar Pradesh & Ors. में पारित आदेश दिनांक-17.03.2023 के अनुपालन में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र संख्या एच 92552/सी-3/जल-25/सहा0/2023, दिनांक-25.04.2023 द्वारा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा-33(ए) के अन्तर्गत उद्योग को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है जोकि वर्तमान में प्रभावी है, का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त कारण बताओ नोटिस में क्षेत्रीय कार्यालय, सहारनपुर की आख्या के अनुसार इकाई द्वारा कारण बताओ नोटिस दिनांक-25.04.2023 में वर्णित तथ्यों के आधार पर पर्यावरणीय मानकों का उल्लंघन पाये जाने पर मा. एन.जी.टी. द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उद्योगों पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु जारी गाईडलाइन्स के अनुसार रुपये-30,000/- प्रतिदिन की दर से दिनांक-11.03.2023 से उल्लंघनकारी दिवसों की अवधि हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु बोर्ड के पत्र संख्या एच 92552/सी-3/जल-25/सहा0/2023, दिनांक-25.04.2023 द्वारा कारण बताओ नोटिस दिया गया।

यतः मा. एन.जी.टी. में योजित ओ.ए. संख्या- 859/2022 अभीष्ट कुसुम गुप्ता बनाम स्टेट ऑफ उ.प्र. एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक-17.03.2023 के संसुगत अंश निम्नवत् हैं:-

" 20. The Committee may meet within one week and will be free to function online or offline, undertake visit to the sites and interact with concerned authorities and stakeholders. Remedial action will involve assessment of compensation against erring industries for past violations equal to 10% turnover but not lower than assessed cost of restoration, closure of units which are continuing to cause pollution, prosecution of the owners of the industries under the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, following due process of law....."

माननीय एन.जी.टी. द्वारा अपने उक्त आदेश दिनांक-17.03.2023 में दोषी इकाई के विरुद्ध पूर्व में किये गये उल्लंघन के हेतु कम्पनी के टर्नओवर के 10 प्रतिशत के बराबर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। आपकी इकाई के विरुद्ध बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या एच 92552/सी-3/जल-25/सहा0/2023, दिनांक-25.04.2023 के माध्यम से कारण बताओ नोटिस निर्गत है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि माननीय एन.जी.टी. के आदेश दिनांक-17.03.2023 के अनुपालन में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का आंकलन तदनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु कम्पनी का नवीनतम ऑडिटेड बैलेन्सशीट (टर्नओवर सहित) 02 सप्ताह के अन्दर प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें। यदि आप द्वारा निर्धारित समयावधि में इस नोटिस का उत्तर/अनुपालन नहीं किया जाता है तो बोर्ड में उपलब्ध अभिलेखों के आधार/उद्योग के पूंजीगत निवेश के आधार पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं आपका होगा।

सक्षम अधिकारी के द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-3

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. जिलाधिकारी, सहारनपुर।
2. पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर।
3. अधिशासी अभियन्ता, उ.प्र. पावर कारपोरेशन लि., विद्युत वितरण खण्ड, सहारनपुर।
4. अधिशासी अभियन्ता, जल संस्थान, सहारनपुर।
5. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वेस्ट मैनेजमेंट डिविजन (1/2), उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
6. क्षेत्रीय अधिकारी, उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सहारनपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि मा. एन.जी.टी. द्वारा पारित आदेश दिनांक-17.03.2023 का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु उद्योग से नवीनतम ऑडिटेड बैलेन्सशीट (टर्नओवर सहित) निर्धारित समयावधि में प्राप्त कर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का आंकलन करते हुए स्पष्ट सस्तुति सहित आख्या बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-3



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

656

संदर्भ संख्या: H.5657/सी-3/जल 350/2023

दिनांक: 28/6/23

सेवा में,

मैसर्स सिद्धार्थ टैक्सटाइल्स,
अजीज कॉलोनी, चिल्काना रोड,
सहारनपुर।

मा. एन.जी.टी./महत्वपूर्ण/समयबद्ध/पंजीकृत

विषय: मैसर्स सिद्धार्थ टैक्सटाइल्स, अजीज कॉलोनी, चिल्काना रोड, सहारनपुर के विरुद्ध बोर्ड द्वारा निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक-26.06.2023 एवं मा. एन.जी.टी. में विचाराधीन ओ.ए. संख्या-859/2022 Abhisht Kusum Gupta Versus State of Uttar Pradesh & Ors. में पारित आदेश दिनांक-17.03.2023 के अनुपालन में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र संख्या: एच 96307/सी-3/जल-350/2023, दिनांक-26.06.2023 द्वारा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा-33(ए) के अन्तर्गत उद्योग को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है जोकि वर्तमान में प्रभावी है, का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त कारण बताओ नोटिस में क्षेत्रीय कार्यालय, सहारनपुर की आख्या के अनुसार इकाई द्वारा कारण बताओ नोटिस दिनांक-26.06.2023 में वर्णित तथ्यों के आधार पर पर्यावरणीय मानकों का उल्लंघन पाये जाने पर मा. एन.जी.टी. द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उद्योगों पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु जारी गाईडलाइन्स के अनुसार रुपये-10,000/- प्रतिदिन की दर से दिनांक-09.05.2023 से उल्लंघनकारी दिवसों की अवधि हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु बोर्ड के पत्र संख्या: एच 96307/सी-3/जल-350/2023, दिनांक-26.06.2023 द्वारा कारण बताओ नोटिस दिया गया।

यतः मा. एन.जी.टी. में योजित ओ.ए. संख्या- 859/2022 अभीष्ट कुसुम गुप्ता बनाम स्टेट ऑफ उ.प्र. एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक-17.03.2023 के संसुगत अंश निम्नवत् हैं:-

"..... 20. The Committee may meet within one week and will be free to function online or offline, undertake visit to the sites and interact with concerned authorities and stakeholders. Remedial action will involve assessment of compensation against erring industries for past violations equal to 10% turnover but not lower than assessed cost of restoration, closure of units which are continuing to cause pollution, prosecution of the owners of the industries under the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, following due process of law....."

माननीय एन.जी.टी. द्वारा अपने उक्त आदेश दिनांक-17.03.2023 में दोषी इकाई के विरुद्ध पूर्व में किये गये उल्लंघन के हेतु कम्पनी के टर्नओवर के 10 प्रतिशत के बराबर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। आपकी इकाई के विरुद्ध बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या: एच 96307/सी-3/जल-350/2023, दिनांक-26.06.2023 के माध्यम से कारण बताओ नोटिस निर्गत है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि माननीय एन.जी.टी. के आदेश दिनांक-17.03.2023 के अनुपालन में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का आंकलन तदनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु कम्पनी का नवीनतम ऑडिटेड बैलेन्सशीट (टर्नओवर सहित) 02 सप्ताह के अन्दर प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें। यदि आप द्वारा निर्धारित समयावधि में इस नोटिस का उत्तर/अनुपालन नहीं किया जाता है तो बोर्ड में उपलब्ध अभिलेखों के आधार/उद्योग के पूंजीगत निवेश के आधार पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं आपका होगा।

सक्षम अधिकारी के द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-3

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. जिलाधिकारी, सहारनपुर।
2. पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर।
3. अधिशासी अभियन्ता, उ.प्र. पावर कार्पोरेशन लि., विद्युत निवारण खण्ड, सहारनपुर।
4. अधिशासी अभियन्ता, जल संस्थान, सहारनपुर।
5. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वेस्ट मैनेजमेन्ट डिविजन (1/2), उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
6. क्षेत्रीय अधिकारी, उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सहारनपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि मा. एन.जी.टी. द्वारा पारित आदेश दिनांक-17.03.2023 का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु उद्योग से नवीनतम ऑडिटेड बैलेन्सशीट (टर्नओवर सहित) निर्धारित समयावधि में प्राप्त कर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का आंकलन करते हुए स्पष्ट संस्तुति सहित आख्या बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-3

टी0सी0-12 वी, विगूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010

ई-मेल-info@uppcb.com

वेब साइट www.uppcb.com

T.C-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010

e-mail: info@uppcb.com

Web site www.uppcb.com



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
657
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ संख्या: 196539/सी-3/जल-73/2023

दिनांक: 28/6/23

सेवा में,

मैसर्स सहारनपुर वूल्स लि.,
06 किमी. दिल्ली रोड मवी. कलां,
सहारनपुर।

विषय: मैसर्स सहारनपुर वूल्स लि., 06 किमी. दिल्ली रोड मवी. कलां, सहारनपुर के विरुद्ध बोर्ड द्वारा निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक-26.06.2023 एवं मा. एन.जी.टी. में विचाराधीन ओ.ए. संख्या-859/2022 Abhisht Kusum Gupta Versus State of Uttar Pradesh & Ors. में पारित आदेश दिनांक-17.03.2023 के अनुपालन में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र संख्या एच 96308/सी-3/जल-73/2023, दिनांक-26.06.2023 द्वारा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा-33(ए) के अन्तर्गत उद्योग को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है जोकि वर्तमान में प्रभावी है, का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त कारण बताओ नोटिस में क्षेत्रीय कार्यालय, सहारनपुर की आख्या के अनुसार इकाई द्वारा कारण बताओ नोटिस दिनांक-26.06.2023 में वर्णित तथ्यों के आधार पर पर्यावरणीय मानकों का उल्लंघन पाये जाने पर मा. एन.जी.टी. द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उद्योगों पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु जारी गाईडलाइन्स के अनुसार रुपये-10,000/- प्रतिदिन की दर से दिनांक-15.03.2023 से उल्लंघनकारी दिवसों की अवधि हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु बोर्ड के पत्र संख्या एच 96308/सी-3/जल-73/2023, दिनांक-26.06.2023 द्वारा कारण बताओ नोटिस दिया गया।


यतः मा. एन.जी.टी. में योजित ओ.ए. संख्या- 859/2022 अभीष्ट कुसुम गुप्ता बनाम स्टेट ऑफ उ.प्र. एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक-17.03.2023 के संसुगत अंश निम्नवत् हैं:-

" 20. The Committee may meet within one week and will be free to function online or offline, undertake visit to the sites and interact with concerned authorities and stakeholders. Remedial action will involve assessment of compensation against erring industries for past violations equal to 10% turnover but not lower than assessed cost of restoration, closure of units which are continuing to cause pollution, prosecution of the owners of the industries under the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, following due process of law....."

माननीय एन.जी.टी. द्वारा अपने उक्त आदेश दिनांक-17.03.2023 में दोषी इकाई के विरुद्ध पूर्व में किये गये उल्लंघन के हेतु कम्पनी के टर्नओवर के 10 प्रतिशत के बराबर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। आपकी इकाई के विरुद्ध बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या एच 96308/सी-3/जल-73/2023, दिनांक-26.06.2023 के माध्यम से कारण बताओ नोटिस निर्गत है।


अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि माननीय एन.जी.टी. के आदेश दिनांक-17.03.2023 के अनुपालन में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का आंकलन तदनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु कम्पनी का नवीनतम ऑडिटेड बैलेन्सशीट (टर्नओवर सहित) 02 सप्ताह के अन्दर प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें। यदि आप द्वारा निर्धारित समयावधि में इस नोटिस का उत्तर/अनुपालन नहीं किया जाता है तो बोर्ड में उपलब्ध अभिलेखों के आधार/उद्योग के पूंजीगत निवेश के आधार पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं आपका होगा।

सक्षम अधिकारी के द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।


मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-3

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. जिलाधिकारी, सहारनपुर।
2. पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर।
3. अधिशासी अभियन्ता, उ.प्र. पावर कार्पोरेशन लि., विद्युत वितरण खण्ड, सहारनपुर।
4. अधिशासी अभियन्ता, जल संस्थान, सहारनपुर।
5. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वेस्ट मैनेजमेन्ट डिविजन (1/2), उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
6. क्षेत्रीय अधिकारी, उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सहारनपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि मा. एन.जी.टी. द्वारा पारित आदेश दिनांक-17.03.2023 का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु उद्योग से नवीनतम ऑडिटेड बैलेन्सशीट (टर्नओवर सहित) निर्धारित समयावधि में प्राप्त कर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का आंकलन करते हुए स्पष्ट संस्तुति सहित आख्या बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें।


मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-3



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ संख्या: 196582/सी-3/जल-569/2023

दिनांक: 28/6/23

सेवा में,

मा. एन.जी.टी./महत्वपूर्ण/समयबद्ध/पंजीकृत

मैसर्स आर.के. टेक्सटाइल्स,
ग्राम- उग्राह, मुस्तकम, देहरादून रोड, गागलहेडी,
जनपद सहारनपुर।

विषय: मैसर्स आर.के. टेक्सटाइल्स, ग्राम- उग्राह, मुस्तकम, देहरादून रोड, गागलहेडी, जनपद सहारनपुर के विरुद्ध बोर्ड द्वारा निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक-26.06.2023 एवं मा. एन.जी.टी. में विचाराधीन ओ.ए. संख्या-859/2022 Abhisht Kusum Gupta Versus State of Uttar Pradesh & Ors. में पारित आदेश दिनांक-17.03.2023 के अनुपालन में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र संख्या एच 96311/सी-3/जल-569/2023, दिनांक-26.06.2023 द्वारा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा-33(ए) के अन्तर्गत उद्योग को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है जोकि वर्तमान में प्रभावी है, का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त कारण बताओ नोटिस में क्षेत्रीय कार्यालय, सहारनपुर की आख्या के अनुसार इकाई द्वारा कारण बताओ नोटिस दिनांक-26.06.2023 में वर्णित तथ्यों के आधार पर पर्यावरणीय मानकों का उल्लंघन पाये जाने पर मा. एन.जी.टी. द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उद्योगों पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु जारी गाईडलाइन्स के अनुसार रुपये-10,000/- प्रतिदिन की दर से दिनांक-09.05.2023 से उल्लंघनकारी दिवसों की अवधि हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु बोर्ड के पत्र संख्या: एच 96311/सी-3/जल-569/2023, दिनांक-26.06.2023 द्वारा कारण बताओ नोटिस दिया गया।

यतः मा. एन.जी.टी. में योजित ओ.ए. संख्या- 859/2022 अभीष्ट कुसुम गुप्ता बनाम स्टेट ऑफ उ.प्र. एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक-17.03.2023 के संसुगत अंश निम्नवत् हैं:-

" 20. The Committee may meet within one week and will be free to function online or offline, undertake visit to the sites and interact with concerned authorities and stakeholders. Remedial action will involve assessment of compensation against erring industries for past violations equal to 10% turnover but not lower than assessed cost of restoration, closure of units which are continuing to cause pollution, prosecution of the owners of the industries under the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, following due process of law....."

माननीय एन.जी.टी. द्वारा अपने उक्त आदेश दिनांक-17.03.2023 में दोषी इकाई के विरुद्ध पूर्व में किये गये उल्लंघन के हेतु कम्पनी के टर्नओवर के 10 प्रतिशत के बराबर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। आपकी इकाई के विरुद्ध बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या एच 96311/सी-3/जल-569/2023, दिनांक-26.06.2023 के माध्यम से कारण बताओ नोटिस निर्गत है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि माननीय एन.जी.टी. के आदेश दिनांक-17.03.2023 के अनुपालन में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का आंकलन तदनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु कम्पनी का नवीनतम ऑडिटेड बैलेन्सशीट (टर्नओवर सहित) 02 सप्ताह के अन्दर प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें। यदि आप द्वारा निर्धारित समयावधि में इस नोटिस का उत्तर/अनुपालन नहीं किया जाता है तो बोर्ड में उपलब्ध अभिलेखों के आधार/उद्योग के पूंजीगत निवेश के आधार पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं आपका होगा।

सक्षम अधिकारी के द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-3

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. जिलाधिकारी, सहारनपुर।
2. पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर।
3. अधिशासी अभियन्ता, उ.प्र. पावर कार्पोरेशन लि., विद्युत वितरण खण्ड, सहारनपुर।
4. अधिशासी अभियन्ता, जल संस्थान, सहारनपुर।
5. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वेस्ट मैनेजमेन्ट डिविजन (1/2), उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
6. क्षेत्रीय अधिकारी, उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सहारनपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि मा. एन.जी.टी. द्वारा पारित आदेश दिनांक-17.03.2023 का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु उद्योग से नवीनतम ऑडिटेड बैलेन्सशीट (टर्नओवर सहित) निर्धारित समयावधि में प्राप्त कर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का आंकलन करते हुए रपट संस्तुति सहित आख्या बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-3



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ संख्या: H.9658/सी-3/जल/571/2023

दिनांक: 28/6/23

सेवा में,

मा. एन.जी.टी./महत्वपूर्ण/समयबद्ध/पंजीकृत

मैसर्स एकता टेक्सटाइल्स इण्डिया,

04 किमी. जनता रोड,

जनपद सहारनपुर।

विषय: मैसर्स एकता टेक्सटाइल्स इण्डिया, 04 किमी. जनता रोड, जनपद सहारनपुर के विरुद्ध बोर्ड द्वारा निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक-26.06.2023 एवं मा. एन.जी.टी. में विचाराधीन ओ.ए. संख्या-859/2022 *Abhisht Kusum Gupta Versus State of Uttar Pradesh & Ors.* में पारित आदेश दिनांक-17.03.2023 के अनुपालन में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र संख्या: एच 96304/सी-3/जल-531/2023, दिनांक-26.06.2023 द्वारा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा-33(ए) के अन्तर्गत उद्योग को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है जोकि वर्तमान में प्रभावी है, का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त कारण बताओ नोटिस में क्षेत्रीय कार्यालय, सहारनपुर की आख्या के अनुसार इकाई द्वारा कारण बताओ नोटिस दिनांक-26.06.2023 में वर्णित तथ्यों के आधार पर पर्यावरणीय मानकों का उल्लंघन पाये जाने पर मा. एन.जी.टी. द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उद्योगों पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु जारी गाईडलाइन्स के अनुसार रुपये-10,000/- प्रतिदिन की दर से दिनांक-09.05.2023 से उल्लंघनकारी दिवसों की अवधि हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु बोर्ड के पत्र संख्या: एच 96304/सी-3/जल-531/2023, दिनांक-26.06.2023 द्वारा कारण बताओ नोटिस दिया गया।

यतः मा. एन.जी.टी. में योजित ओ.ए. संख्या- 859/2022 अभीष्ट कुसुम गुप्ता बनाम स्टेट ऑफ उ.प्र. एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक-17.03.2023 के संसुगत अंश निम्नवत् है:-

"..... 20. The Committee may meet within one week and will be free to function online or offline, undertake visit to the sites and interact with concerned authorities and stakeholders. Remedial action will involve assessment of compensation against erring industries for past violations equal to 10% turnover but not lower than assessed cost of restoration, closure of units which are continuing to cause pollution, prosecution of the owners of the industries under the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, following due process of law....."

माननीय एन.जी.टी. द्वारा अपने उक्त आदेश दिनांक-17.03.2023 में दोषी इकाई के विरुद्ध पूर्व में किये गये उल्लंघन के हेतु कम्पनी के टर्नओवर के 10 प्रतिशत के बराबर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। आपकी इकाई के विरुद्ध बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या: एच 96304/सी-3/जल-531/2023, दिनांक-26.06.2023 के माध्यम से कारण बताओ नोटिस निर्गत है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि माननीय एन.जी.टी. के आदेश दिनांक-17.03.2023 के अनुपालन में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का आंकलन तदनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु कम्पनी का नवीनतम ऑडिटेड बैलेन्सशीट (टर्नओवर सहित) 02 सप्ताह के अन्दर प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें। यदि आप द्वारा निर्धारित समयावधि में इस नोटिस का उत्तर/अनुपालन नहीं किया जाता है तो बोर्ड में उपलब्ध अभिलेखों के आधार/उद्योग के पूंजीगत निवेश के आधार पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं आपका होगा।

सक्षम अधिकारी के द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-3

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. जिलाधिकारी, सहारनपुर।
2. पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर।
3. अधिशासी अभियन्ता, उ.प्र. पावर कार्पोरेशन लि., विद्युत वितरण खण्ड, सहारनपुर।
4. अधिशासी अभियन्ता, जल संस्थान, सहारनपुर।
5. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वेस्ट मैनेजमेन्ट डिविजन (1/2), उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
6. क्षेत्रीय अधिकारी, उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सहारनपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि मा. एन.जी.टी. द्वारा पारित आदेश दिनांक-17.03.2023 का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु उद्योग से नवीनतम ऑडिटेड बैलेन्सशीट (टर्नओवर सहित) निर्धारित समयावधि में प्राप्त कर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का आंकलन करते हुए स्पष्ट संस्तुति सहित आख्या बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-3

टी0सी0-12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010

ई-मेल-info@uppcb.com

वेब साइट www.uppcb.com

T.C-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010

e-mail: info@uppcb.com

Web site www.uppcb.com



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ संख्या: H.9.657.2/सी-3/जल-155/2023

दिनांक: 28/6/23

सेवा में,

मैसर्स अरोड़ा हौजरी,
जनता रोड,
जनपद-सहारनपुर।

विषय: मैसर्स अरोड़ा हौजरी, जनता रोड, जनपद-सहारनपुर के विरुद्ध बोर्ड द्वारा निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक-26.06.2023 एवं मा. एन.जी.टी. में विचाराधीन ओ.ए. संख्या-859/2022 Abhisht Kusum Gupta Versus State of Uttar Pradesh & Ors. में पारित आदेश दिनांक-17.03.2023 के अनुपालन में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र संख्या एच 96310/सी-3/जल-155/2023, दिनांक-26.06.2023 द्वारा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा-33(ए) के अन्तर्गत उद्योग को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है जोकि वर्तमान में प्रभावी है, का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त कारण बताओ नोटिस में क्षेत्रीय कार्यालय, सहारनपुर की आख्या के अनुसार इकाई द्वारा कारण बताओ नोटिस दिनांक-26.06.2023 में वर्णित तथ्यों के आधार पर पर्यावरणीय मानकों का उल्लंघन पाये जाने पर मा. एन.जी.टी. द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में कन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उद्योगों पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु जारी गाईडलाइन्स के अनुसार रुपये-10,000/- प्रतिदिन की दर से दिनांक-27.03.2023 से उल्लंघनकारी दिवसों की अवधि हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु बोर्ड के पत्र संख्या एच 96310/सी-3/जल-155/2023, दिनांक-26.06.2023 द्वारा कारण बताओ नोटिस दिया गया।

यतः मा. एन.जी.टी. में योजित ओ.ए. संख्या- 859/2022 अभीष्ट कुसुम गुप्ता बनाम स्टेट ऑफ उ.प्र. एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक-17.03.2023 के संसुगत अंश निम्नवत् हैं:-

" 20. The Committee may meet within one week and will be free to function online or offline, undertake visit to the sites and interact with concerned authorities and stakeholders. Remedial action will involve assessment of compensation against erring industries for past violations equal to 10% turnover but not lower than assessed cost of restoration, closure of units which are continuing to cause pollution, prosecution of the owners of the industries under the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, following due process of law....."

माननीय एन.जी.टी. द्वारा अपने उक्त आदेश दिनांक-17.03.2023 में दोषी इकाई के विरुद्ध पूर्व में किये गये उल्लंघन के हेतु कम्पनी के टर्नओवर के 10 प्रतिशत के बराबर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। आपकी इकाई के विरुद्ध बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या एच 96310/सी-3/जल-155/2023, दिनांक-26.06.2023 के माध्यम से कारण बताओ नोटिस निर्गत है।


अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि माननीय एन.जी.टी. के आदेश दिनांक-17.03.2023 के अनुपालन में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का आकलन तदनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु कम्पनी का नवीनतम ऑडिटेड बैलेन्सशीट (टर्नओवर सहित) 02 सप्ताह के अन्दर प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें। यदि आप द्वारा निर्धारित समयावधि में इस नोटिस का उत्तर/अनुपालन नहीं किया जाता है तो बोर्ड में उपलब्ध अभिलेखों के आधार/उद्योग के पूंजीगत निवेश के आधार पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं आपका होगा।

सक्षम अधिकारी के द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।


मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-3

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. जिलाधिकारी, सहारनपुर।
2. पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर।
3. अधिशासी अभियन्ता, उ.प्र. पावर कार्पोरेशन लि., विद्युत वितरण खण्ड, सहारनपुर।
4. अधिशासी अभियन्ता, जल संस्थान, सहारनपुर।
5. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वेस्ट मैनेजमेंट डिविजन (1/2), उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
6. क्षेत्रीय अधिकारी, उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सहारनपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि मा. एन.जी.टी. द्वारा पारित आदेश दिनांक-17.03.2023 का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु उद्योग से नवीनतम ऑडिटेड बैलेन्सशीट (टर्नओवर सहित) निर्धारित समयावधि में प्राप्त कर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का आकलन करते हुए स्पष्ट संस्तुति सहित आख्या बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें।


मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-3



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ संख्या: H 96498/सी-3/जल-6/2023

दिनांक: 28/6/23

सेवा में,

मा. एन.जी.टी./ महत्वपूर्ण/ समयबद्ध/ पंजीकृत

मैसर्स स्टार पेपर मिल्स लिमिटेड,
जनपद-सहारनपुर, उ.प्र.।

विषय: मैसर्स स्टार पेपर मिल्स लि., सहारनपुर के विरुद्ध बोर्ड द्वारा निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक-09.05.2023 एवं मा. एन.जी.टी. में विचाराधीन ओ.ए. संख्या-859/2022 Abhisht Kusum Gupta Versus State of Uttar Pradesh & Ors. में पारित आदेश दिनांक-17.03.2023 के अनुपालन में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र संख्या: एच 93265/सी-3/जल-6/सहा./2023, दिनांक-09.05.2023 द्वारा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा-33(ए) के अन्तर्गत उद्योग को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है जोकि वर्तमान में प्रभावी है, का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त कारण बताओ नोटिस में क्षेत्रीय कार्यालय, सहारनपुर की आख्या के अनुसार इकाई द्वारा कारण बताओ नोटिस दिनांक-09.05.2023 में वर्णित तथ्यों के आधार पर पर्यावरणीय मानकों का उल्लंघन पाये जाने पर मा. एन.जी.टी. द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उद्योगों पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु जारी गाईडलाइन्स के अनुसार रुपये-30,000/- प्रतिदिन की दर से दिनांक-04.01.2023 से उल्लंघनकारी दिवसों की अवधि हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु बोर्ड के पत्र संख्या: एच 93265/सी-3/जल-6/सहा./2023, दिनांक-09.05.2023 द्वारा कारण बताओ नोटिस दिया गया।

यतः मा. एन.जी.टी. में योजित ओ.ए. संख्या- 859/2022 अभीष्ट कुसुम गुप्ता बनाम स्टेट ऑफ उ.प्र. एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक-17.03.2023 के संसुगत अंश निम्नवत् हैं:-

" 20. The Committee may meet within one week and will be free to function online or offline, undertake visit to the sites and interact with concerned authorities and stakeholders. Remedial action will involve assessment of compensation against erring industries for past violations equal to 10% turnover but not lower than assessed cost of restoration, closure of units which are continuing to cause pollution, prosecution of the owners of the industries under the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, following due process of law....."

माननीय एन.जी.टी. द्वारा अपने उक्त आदेश दिनांक-17.03.2023 में दोषी इकाई के विरुद्ध पूर्व में किये गये उल्लंघन के हेतु कम्पनी के टर्नओवर के 10 प्रतिशत के बराबर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। आपकी इकाई के विरुद्ध बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या: एच 93265/सी-3/जल-6/सहा./2023, दिनांक-09.05.2023 के माध्यम से कारण बताओ नोटिस निर्गत है।


अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि माननीय एन.जी.टी. के आदेश दिनांक-17.03.2023 के अनुपालन में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का आंकलन तदनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु कम्पनी का नवीनतम ऑडिटेड बैलेन्सशीट (टर्नओवर सहित) 02 सप्ताह के अन्दर प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें। यदि आप द्वारा निर्धारित समयावधि में इस नोटिस का उत्तर/अनुपालन नहीं किया जाता है तो बोर्ड में उपलब्ध अभिलेखों के आधार/उद्योग के पूंजीगत निवेश के आधार पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं आपका होगा।

सक्षम अधिकारी के द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।


मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-3

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. जिलाधिकारी, सहारनपुर।
2. पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर।
3. अधिशासी अभियन्ता, उ.प्र. पावर कार्पोरेशन लि., विद्युत वितरण खण्ड, खेखडा, सहारनपुर।
4. अधिशासी अभियन्ता, जल संस्थान, सहारनपुर।
5. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वेरट मैनेजमेन्ट डिविजन (1/2), उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
6. क्षेत्रीय अधिकारी, उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सहारनपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि मा. एन.जी.टी. द्वारा पारित आदेश दिनांक-17.03.2023 का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु उद्योग से नवीनतम ऑडिटेड बैलेन्सशीट (टर्नओवर सहित) निर्धारित समयावधि में प्राप्त कर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का आंकलन करते हुए स्पष्ट संस्तुति सहित आख्या बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें।


मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-3



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
662
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ संख्या: H.9.6521 सी-3/जल-262/2023

दिनांक: 28/6/23

सेवा में,

मा. एन.जी.टी./ महत्वपूर्ण/ समयबद्ध/ पंजीकृत

मैसर्स अपर दोआब शुगर मिल्स,
(ए यूनिट आफ मै. सर शादीलाल इण्टरप्राइजेज लि.)
जनपद-शामली, उ.प्र।

विषय: मैसर्स अपर दोआब शुगर मिल्स, (ए यूनिट आफ मै. सर शादीलाल इण्टरप्राइजेज लि.) जनपद-शामली, उ.प्र. के विरुद्ध बोर्ड द्वारा निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक-09.06.2023 एवं मा. एन.जी.टी. में विचाराधीन ओ.ए. संख्या-859/2022 Abhisht Kusum Gupta Versus State of Uttar Pradesh & Ors. में पारित आदेश दिनांक-17.03.2023 के अनुपालन में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र संख्या एच 95790/सी-3/जल-262/मु0नगर/2023, दिनांक-09.06.2023 द्वारा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा-33(ए) के अन्तर्गत उद्योग को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है जोकि वर्तमान में प्रभावी है, का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त कारण बताओ नोटिस दिनांक-13.05.2022 में वर्णित तथ्यों के आधार पर पर्यावरणीय मानकों का उल्लंघन पाये जाने पर मा. एन.जी.टी. द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उद्योगों पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु जारी गार्ड-डलाइन्स के अनुसार रुपये-30,000/- प्रतिदिन की दर से दिनांक-14.12.2022 से उल्लंघनकारी दिवसों की अवधि हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु बोर्ड के पत्र संख्या एच 95790/सी-3/जल-262/मु0नगर/2023, दिनांक-09.06.2023 द्वारा कारण बताओ नोटिस दिया गया।

यतः मा. एन.जी.टी. में योजित ओ.ए. संख्या- 859/2022 अभीष्ट कुसुम गुप्ता बनाम स्टेट ऑफ उ.प्र. एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक-17.03.2023 के संसुगत अंश निम्नवत् है:-

" 20. The Committee may meet within one week and will be free to function online or offline, undertake visit to the sites and interact with concerned authorities and stakeholders. Remedial action will involve assessment of compensation against erring industries for past violations equal to 10% turnover but not lower than assessed cost of restoration, closure of units which are continuing to cause pollution, prosecution of the owners of the industries under the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, following due process of law....."

माननीय एन.जी.टी. द्वारा अपने उक्त आदेश दिनांक-17.03.2023 में दोषी इकाई के विरुद्ध पूर्व में किये गये उल्लंघन के हेतु कम्पनी के टर्नओवर के 10 प्रतिशत के बराबर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। आपकी इकाई के विरुद्ध बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या एच 95790/सी-3/जल-262/मु0नगर/2023, दिनांक-09.06.2023 के माध्यम से कारण बताओ नोटिस निर्गत है।


अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि माननीय एन.जी.टी. के आदेश दिनांक-17.03.2023 के अनुपालन में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का आंकलन तदनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु कम्पनी का नवीनतम ऑडिटेड बैलेन्सशीट (टर्नओवर सहित) 02 सप्ताह के अन्दर प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें। यदि आप द्वारा निर्धारित समयावधि में इस नोटिस का उत्तर/अनुपालन नहीं किया जाता है तो बोर्ड में उपलब्ध अभिलेखों के आधार/उद्योग के पूंजीगत निवेश के आधार पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं आपका होगा।

सक्षम अधिकारी के द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।


मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-3

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. जिलाधिकारी, मुजफ्फरनगर।
2. पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरनगर।
3. अधिशासी अभियन्ता, उ.प्र. पावर कार्पोरेशन लि., विद्युत वितरण खण्ड, मुजफ्फरनगर।
4. अधिशासी अभियन्ता, जल संस्थान, मुजफ्फरनगर।
5. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वेस्ट मैनेजमेन्ट डिविजन (1/2), उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
6. क्षेत्रीय अधिकारी, उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुजफ्फरनगर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि मा. एन.जी.टी. द्वारा पारित आदेश दिनांक-17.03.2023 का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु उद्योग से नवीनतम ऑडिटेड बैलेन्सशीट (टर्नओवर सहित) निर्धारित समयावधि में प्राप्त कर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का आंकलन करते हुए स्पष्ट सारतुति सहित आख्या बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें।


मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-3



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ संख्या: 119/2022/सी-3/जल-243/2023

दिनांक: 28/6/23

सेवा में,

मा. एन.जी.टी./महत्वपूर्ण/समयबद्ध/पंजीकृत

मैसर्स सर शादीलाल डिस्टिलरी एण्ड केमिकल वर्क्स,
मन्सूरपुर,
मुजफ्फरनगर।

विषय: मैसर्स सर शादीलाल डिस्टिलरी एण्ड केमिकल वर्क्स, मन्सूरपुर, मुजफ्फरनगर के विरुद्ध बोर्ड द्वारा निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक-11.05.2022 एवं मा. एन.जी.टी. में विचाराधीन ओ.ए. संख्या-859/2022 Abhisht Kusum Gupta Versus State of Uttar Pradesh & Ors. में पारित आदेश दिनांक-17.03.2023 के अनुपालन में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र संख्या एच 93376/सी-3/जल-243/मु0नगर/2023, दिनांक-11.05.2023 द्वारा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा-33(ए) के अन्तर्गत उद्योग को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है जोकि वर्तमान में प्रभावी है, का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त कारण बताओ नोटिस में क्षेत्रीय कार्यालय, मुजफ्फरनगर की आख्या के अनुसार इकाई द्वारा कारण बताओ नोटिस दिनांक-11.05.2023 में वर्णित तथ्यों के आधार पर पर्यावरणीय मानकों का उल्लंघन पाये जाने पर मा. एन.जी.टी. द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उद्योगों पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु जारी गाईडलाइन्स के अनुसार रुपये-30,000/- प्रतिदिन की दर से दिनांक-04.05.2023 से उल्लंघनकारी दिवसों की अवधि हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु बोर्ड के पत्र संख्या एच 93376/सी-3/जल-243/मु0नगर/2023, दिनांक-11.05.2023 द्वारा कारण बताओ नोटिस दिया गया।

यतः मा. एन.जी.टी. में योजित ओ.ए. संख्या- 859/2022 अभीष्ट कुसुम गुप्ता बनाम स्टेट ऑफ उ.प्र. एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक-17.03.2023 के संसुगत अंश निम्नवत् है:-

" 20. The Committee may meet within one week and will be free to function online or offline, undertake visit to the sites and interact with concerned authorities and stakeholders. Remedial action will involve assessment of compensation against erring industries for past violations equal to 10% turnover but not lower than assessed cost of restoration, closure of units which are continuing to cause pollution, prosecution of the owners of the industries under the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, following due process of law....."

माननीय एन.जी.टी. द्वारा अपने उक्त आदेश दिनांक-17.03.2023 में दोषी इकाई के विरुद्ध पूर्व में किये गये उल्लंघन के हेतु कम्पनी के टर्नओवर के 10 प्रतिशत के बराबर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। आपकी इकाई के विरुद्ध बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या एच 93376/सी-3/जल-243/मु0नगर/2023, दिनांक-11.05.2023 के माध्यम से कारण बताओ नोटिस निर्गत है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि माननीय एन.जी.टी. के आदेश दिनांक-17.03.2023 के अनुपालन में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का आंकलन तदनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु कम्पनी का नवीनतम ऑडिटेड बैलेंसशीट (टर्नओवर सहित) 02 सप्ताह के अन्दर प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें। यदि आप द्वारा निर्धारित समयावधि में इस नोटिस का उत्तर/अनुपालन नहीं किया जाता है तो बोर्ड में उपलब्ध अभिलेखों के आधार/उद्योग के पूंजीगत निवेश के आधार पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं आपका होगा।

सक्षम अधिकारी के द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. जिलाधिकारी, मुजफ्फरनगर।
2. पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरनगर।
3. अधिशासी अभियन्ता, उ.प्र. पावर कार्पोरेशन लि., विद्युत वितरण खण्ड, मुजफ्फरनगर।
4. अधिशासी अभियन्ता, जल संस्थान, मुजफ्फरनगर।
5. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वेस्ट मैनेजमेंट डिविजन (1/2), उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
6. क्षेत्रीय अधिकारी, उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुजफ्फरनगर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि मा. एन.जी.टी. द्वारा पारित आदेश दिनांक-17.03.2023 का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु उद्योग से नवीनतम ऑडिटेड बैलेंसशीट (टर्नओवर सहित) निर्धारित समयावधि में प्राप्त कर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का आंकलन करते हुए स्पष्ट संस्तुति सहित आख्या बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-3

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-3



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ संख्या: 1196576/सी-3/अल465/2023

दिनांक: 28/6/23

सेवा में,

मैसर्स एच.जे. टैनरी,
जानसठ रोड,
मुजफ्फरनगर।

मा. एन.जी.टी./महत्वपूर्ण/समयबद्ध/पंजीकृत

विषय: मैसर्स एच.जे. टैनरी, जानसठ रोड, मुजफ्फरनगर के विरुद्ध बोर्ड द्वारा निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक-13.05.2022 एवं मा. एन.जी.टी. में विचाराधीन ओ.ए. संख्या-859/2022 Abhisht Kusum Gupta Versus State of Uttar Pradesh & Ors. में पारित आदेश दिनांक-17.03.2023 के अनुपालन में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र संख्या एच 75639/सी-3/जल-465/का0ब0नोटिस/मु0नगर/2022, दिनांक-13.05.2022 द्वारा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा-33(ए) के अन्तर्गत उद्योग को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है जोकि वर्तमान में प्रभावी है, का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त कारण बताओ नोटिस में क्षेत्रीय कार्यालय, मुजफ्फरनगर की आख्या के अनुसार इकाई द्वारा कारण बताओ नोटिस दिनांक-13.05.2022 में वर्णित तथ्यों के आधार पर पर्यावरणीय मानकों का उल्लंघन पाये जाने पर मा. एन.जी.टी. द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उद्योगों पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु जारी गाईडलाइन्स के अनुसार रुपये-10,375/- प्रतिदिन की दर से दिनांक-04.02.2022 से उल्लंघनकारी दिवसों की अवधि हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु बोर्ड के पत्र संख्या एच 75639/सी-3/जल-465/का0ब0नोटिस/मु0नगर/2022, दिनांक-13.05.2022 द्वारा कारण बताओ नोटिस दिया गया।

यतः मा. एन.जी.टी. में योजित ओ.ए. संख्या- 859/2022 अभीष्ट कुसुम गुप्ता बनाम स्टेट ऑफ उ.प्र. एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक-17.03.2023 के संसुगत अंश निम्नवत् है:-

" 20. The Committee may meet within one week and will be free to function online or offline, undertake visit to the sites and interact with concerned authorities and stakeholders. Remedial action will involve assessment of compensation against erring industries for past violations equal to 10% turnover but not lower than assessed cost of restoration, closure of units which are continuing to cause pollution, prosecution of the owners of the industries under the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, following due process of law....."

माननीय एन.जी.टी. द्वारा अपने उक्त आदेश दिनांक-17.03.2023 में दोषी इकाई के विरुद्ध पूर्व में किये गये उल्लंघन के हेतु कम्पनी के टर्नओवर के 10 प्रतिशत के बराबर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। आपकी इकाई के विरुद्ध बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या एच 75639/सी-3/जल-465/का0ब0नोटिस/मु0नगर/2022, दिनांक-13.05.2022 के माध्यम से कारण बताओ नोटिस निर्गत है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि माननीय एन.जी.टी. के आदेश दिनांक-17.03.2023 के अनुपालन में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का आंकलन तदनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु कम्पनी का नवीनतम ऑडिटेड बैलेन्सशीट (टर्नओवर सहित) 02 सप्ताह के अन्दर प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें। यदि आप द्वारा निर्धारित समयावधि में इस नोटिस का उत्तर/अनुपालन नहीं किया जाता है तो बोर्ड में उपलब्ध अभिलेखों के आधार/उद्योग के पूंजीगत निवेश के आधार पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं आपका होगा।

सक्षम अधिकारी के द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-3

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. जिलाधिकारी, मुजफ्फरनगर।
2. पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरनगर।
3. अधिशासी अभियन्ता, उ.प्र. पावर कार्पोरेशन लि., विद्युत वितरण खण्ड, मुजफ्फरनगर।
4. अधिशासी अभियन्ता, जल संस्थान, मुजफ्फरनगर।
5. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वेस्ट मैनेजमेन्ट डिविजन (1/2), उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
6. क्षेत्रीय अधिकारी, उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुजफ्फरनगर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि मा. एन.जी.टी. द्वारा पारित आदेश दिनांक-17.03.2023 का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु उद्योग से नवीनतम ऑडिटेड बैलेन्सशीट (टर्नओवर सहित) निर्धारित समयावधि में प्राप्त कर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का आंकलन करते हुए स्पष्ट संस्तुति सहित आख्या बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-3



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

665

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संख्या: 11.96.521/सी-3/जल/उप/2023

दिनांक: 28/6/23

सेवा में,

मा. एन.जी.टी./ महत्वपूर्ण/ समयबद्ध/ पंजीकृत

मैसर्स महालक्ष्मी क्राफ्ट एण्ड टिश्यूज प्रा.लि.,
9 किमी. जानसठ रोड,
मुजफ्फरनगर।

विषय: मैसर्स महालक्ष्मी क्राफ्ट एण्ड टिश्यूज प्रा.लि., 9 किमी. जानसठ रोड, मुजफ्फरनगर के विरुद्ध बोर्ड द्वारा निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक-13.05.2022 एवं मा. एन.जी.टी. में विचाराधीन ओ.ए. संख्या-859/2022 Abhisht Kusum Gupta Versus State of Uttar Pradesh & Ors. में पारित आदेश दिनांक-17.03.2023 के अनुपालन में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र संख्या एच 75641/सी-3/जल-504/का0ब0नोटिस/मु0नगर/2022, दिनांक-13.05.2022 द्वारा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा-33(ए) के अन्तर्गत उद्योग को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है जोकि वर्तमान में प्रभावी है, का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त कारण बताओ नोटिस में क्षेत्रीय कार्यालय, मुजफ्फरनगर की आख्या के अनुसार इकाई द्वारा कारण बताओ नोटिस दिनांक-13.05.2022 में वर्णित तथ्यों के आधार पर पर्यावरणीय मानकों का उल्लंघन पाये जाने पर मा. एन.जी.टी. द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उद्योगों पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु जारी गाईडलाइन्स के अनुसार रुपये-30,000/- प्रतिदिन की दर से दिनांक-03.02.2022 से उल्लंघनकारी दिवसों की अवधि हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु बोर्ड के पत्र संख्या एच 75641/सी-3/जल-504/का0ब0नोटिस/मु0नगर/2022, दिनांक-13.05.2022 द्वारा कारण बताओ नोटिस दिया गया।

यतः मा. एन.जी.टी. में योजित ओ.ए. संख्या- 859/2022 अभीष्ट कुसुम गुप्ता बनाम स्टेट ऑफ उ.प्र. एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक-17.03.2023 के संसुगत अंश निम्नवत् हैं:-

" 20. The Committee may meet within one week and will be free to function online or offline, undertake visit to the sites and interact with concerned authorities and stakeholders. Remedial action will involve assessment of compensation against erring industries for past violations equal to 10% turnover but not lower than assessed cost of restoration, closure of units which are continuing to cause pollution, prosecution of the owners of the industries under the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, following due process of law....."

माननीय एन.जी.टी. द्वारा अपने उक्त आदेश दिनांक-17.03.2023 में दोषी इकाई के विरुद्ध पूर्व में किये गये उल्लंघन के हेतु कम्पनी के टर्नओवर के 10 प्रतिशत के बराबर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। आपकी इकाई के विरुद्ध बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या एच 75641/सी-3/जल-504/का0ब0नोटिस/मु0नगर/2022, दिनांक-13.05.2022 के माध्यम से कारण बताओ नोटिस निर्गत है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि माननीय एन.जी.टी. के आदेश दिनांक-17.03.2023 के अनुपालन में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का आंकलन तदनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु कम्पनी का नवीनतम ऑडिटेड बैलेन्सशीट (टर्नओवर सहित) 02 सप्ताह के अन्दर प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें। यदि आप द्वारा निर्धारित समयावधि में इस नोटिस का उत्तर/अनुपालन नहीं किया जाता है तो बोर्ड में उपलब्ध अभिलेखों के आधार/उद्योग के पूंजीगत निवेश के आधार पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं आपका होगा।

सक्षम अधिकारी के द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-3

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. जिलाधिकारी, मुजफ्फरनगर।
2. पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरनगर।
3. अधिशासी अभियन्ता, उ.प्र. पावर कार्पोरेशन लि., विद्युत वितरण खण्ड, मुजफ्फरनगर।
4. अधिशासी अभियन्ता, जल संस्थान, मुजफ्फरनगर।
5. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वेस्ट मैनेजमेन्ट डिविजन (1/2), उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
6. क्षेत्रीय अधिकारी, उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुजफ्फरनगर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि मा. एन.जी.टी. द्वारा पारित आदेश दिनांक-17.03.2023 का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु उद्योग से नवीनतम ऑडिटेड बैलेन्सशीट (टर्नओवर सहित) निर्धारित समयावधि में प्राप्त कर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का आंकलन करते हुए स्पष्ट सारवृत्ति सहित आख्या बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-3



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ संख्या: 19.6522/सी-3/जल-256/2023

दिनांक: 28/6/23

सेवा में,

मा. एन.जी.टी./ महत्वपूर्ण/ समयबद्ध/ पंजीकृत

मैसर्स इंडियन पोटाश लि.
(यूनिट-तितावी शुगर काम्पलेक्स), तितावी,
मुजफ्फरनगर।

विषय: मैसर्स इंडियन पोटाश लि. (यूनिट-तितावी शुगर काम्पलेक्स), तितावी, मुजफ्फरनगर के विरुद्ध बोर्ड द्वारा निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक-23.01.2023 एवं मा. एन.जी.टी. में विचाराधीन ओ.ए. संख्या-859/2022 Abhisht Kusum Gupta Versus State of Uttar Pradesh & Ors. में पारित आदेश दिनांक-17.03.2023 के अनुपालन में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र संख्या एच 87657/सी-3/जल-256/2023, दिनांक-23.01.2023 द्वारा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा-33(ए) के अन्तर्गत उद्योग को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है जोकि वर्तमान में प्रभावी है, का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त कारण बताओ नोटिस में क्षेत्रीय कार्यालय, मुजफ्फरनगर की आख्या के अनुसार इकाई द्वारा कारण बताओ नोटिस दिनांक-23.01.2023 में वर्णित तथ्यों के आधार पर पर्यावरणीय मानकों का उल्लंघन पाये जाने पर मा. एन.जी.टी. द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उद्योगों पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु जारी गाईडलाइन्स के अनुसार रुपये-30,000/- प्रतिदिन की दर से दिनांक-20.12.2022 से उल्लंघनकारी दिवसों की अवधि हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु बोर्ड के पत्र संख्या एच 87657/सी-3/जल-256/2023, दिनांक-23.01.2023 द्वारा कारण बताओ नोटिस दिया गया।

यतः मा. एन.जी.टी. में योजित ओ.ए. संख्या- 859/2022 अभीष्ट कुसुम गुप्ता बनाम स्टेट ऑफ उ.प्र. एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक-17.03.2023 के संसुगत अंश निम्नवत् हैं:-

" 20. The Committee may meet within one week and will be free to function online or offline, undertake visit to the sites and interact with concerned authorities and stakeholders. Remedial action will involve assessment of compensation against erring industries for past violations equal to 10% turnover but not lower than assessed cost of restoration, closure of units which are continuing to cause pollution, prosecution of the owners of the industries under the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, following due process of law....."

माननीय एन.जी.टी. द्वारा अपने उक्त आदेश दिनांक-17.03.2023 में दोषी इकाई के विरुद्ध पूर्व में किये गये उल्लंघन के हेतु कम्पनी के टर्नओवर के 10 प्रतिशत के बराबर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। आपकी इकाई के विरुद्ध बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या एच 87657/सी-3/जल-256/2023, दिनांक-23.01.2023 के माध्यम से कारण बताओ नोटिस निर्गत है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि माननीय एन.जी.टी. के आदेश दिनांक-17.03.2023 के अनुपालन में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का आंकलन तदनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु कम्पनी का नवीनतम ऑडिटेड बैलेन्सशीट (टर्नओवर सहित) 02 सप्ताह के अन्दर प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें। यदि आप द्वारा निर्धारित समयावधि में इस नोटिस का उत्तर/अनुपालन नहीं किया जाता है तो बोर्ड में उपलब्ध अभिलेखों के आधार/उद्योग के पूंजीगत निवेश के आधार पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं आपका होगा।

राक्षम अधिकारी के द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-3

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. जिलाधिकारी, मुजफ्फरनगर।
2. पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरनगर।
3. अधिशासी अभियन्ता, उ.प्र. पावर कार्पोरेशन लि., विद्युत वितरण खण्ड, मुजफ्फरनगर।
4. अधिशासी अभियन्ता, जल संस्थान, मुजफ्फरनगर।
5. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वेस्ट मैनेजमेन्ट डिविजन (1/2), उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
6. क्षेत्रीय अधिकारी, उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुजफ्फरनगर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि मा. एन.जी.टी. द्वारा पारित आदेश दिनांक-17.03.2023 का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु उद्योग से नवीनतम ऑडिटेड बैलेन्सशीट (टर्नओवर सहित) निर्धारित समयावधि में प्राप्त कर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का आंकलन करते हुए स्पष्ट संस्तुति सहित आख्या बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-3



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ संख्या: 196/सी-3/जल-140/2023

दिनांक: 28/6/23

सेवा में,

मा. एन.जी.टी./ महत्वपूर्ण/ समयबद्ध/ पंजीकृत

मैसर्स जे.जे. टेक्सटाइल्स,
कामधेनू काम्पलेक्स, जनता रोड,
जनपद-सहारनपुर।

विषय: मैसर्स जे.जे. टेक्सटाइल्स, कामधेनू काम्पलेक्स, जनता रोड, जनपद-सहारनपुर के विरुद्ध बोर्ड द्वारा निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक-26.06.2023 एवं मा. एन.जी.टी. में विचाराधीन ओ.ए. संख्या-859/2022 Abhisht Kusum Gupta Versus State of Uttar Pradesh & Ors. में पारित आदेश दिनांक-17.03.2023 के अनुपालन में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र संख्या एच 96309/सी-3/जल-140/2023, दिनांक-26.06.2023 द्वारा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा-33(ए) के अन्तर्गत उद्योग को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है जोकि वर्तमान में प्रभावी है, का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त कारण बताओ नोटिस में क्षेत्रीय कार्यालय, सहारनपुर की आख्या के अनुसार इकाई द्वारा कारण बताओ नोटिस दिनांक-26.06.2023 में वर्णित तथ्यों के आधार पर पर्यावरणीय मानकों का उल्लंघन पाये जाने पर मा. एन.जी.टी. द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उद्योगों पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु जारी गाईडलाइन्स के अनुसार रुपये-10,000/- प्रतिदिन की दर से दिनांक-15.03.2023 से उल्लंघनकारी दिवसों की अवधि हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु बोर्ड के पत्र संख्या एच 96309/सी-3/जल-140/2023, दिनांक-26.06.2023 द्वारा कारण बताओ नोटिस दिया गया।

यतः मा. एन.जी.टी. में योजित ओ.ए. संख्या- 859/2022 अभीष्ट कुसुम गुप्ता बनाम स्टेट ऑफ उ.प्र. एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक-17.03.2023 के संसुगत अंश निम्नवत् हैं:-

" 20. The Committee may meet within one week and will be free to function online or offline, undertake visit to the sites and interact with concerned authorities and stakeholders. Remedial action will involve assessment of compensation against erring industries for past violations equal to 10% turnover but not lower than assessed cost of restoration, closure of units which are continuing to cause pollution, prosecution of the owners of the industries under the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, following due process of law....."

माननीय एन.जी.टी. द्वारा अपने उक्त आदेश दिनांक-17.03.2023 में दोषी इकाई के विरुद्ध पूर्व में किये गये उल्लंघन के हेतु कम्पनी के टर्नओवर के 10 प्रतिशत के बराबर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। आपकी इकाई के विरुद्ध बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या एच 96309/सी-3/जल-140/2023, दिनांक-26.06.2023 के माध्यम से कारण बताओ नोटिस निर्गत है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि माननीय एन.जी.टी. के आदेश दिनांक-17.03.2023 के अनुपालन में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का आंकलन तदनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु कम्पनी का नवीनतम ऑडिटेड बैलेंसशीट (टर्नओवर सहित) 02 सप्ताह के अन्दर प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें। यदि आप द्वारा निर्धारित समयावधि में इस नोटिस का उत्तर/अनुपालन नहीं किया जाता है तो बोर्ड में उपलब्ध अभिलेखों के आधार/उद्योग के पूंजीगत निवेश के आधार पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं आपका होगा।

सक्षम अधिकारी के द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, पत्र-3

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. जिलाधिकारी, सहारनपुर।
2. पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर।
3. अधिशासी अभियन्ता, उ.प्र. पावर कार्पोरेशन लि., विद्युत वितरण खण्ड, सहारनपुर।
4. अधिशासी अभियन्ता, जल संस्थान, सहारनपुर।
5. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वेस्ट मैनेजमेन्ट डिविजन (1/2), उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
6. क्षेत्रीय अधिकारी, उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सहारनपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि मा. एन.जी.टी. द्वारा पारित आदेश दिनांक-17.03.2023 का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु उद्योग से नवीनतम ऑडिटेड बैलेंसशीट (टर्नओवर सहित) निर्धारित समयावधि में प्राप्त कर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का आंकलन करते हुए स्पष्ट संस्तुति सहित आख्या बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, पत्र-3



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ संख्या: 19657/सी-3/जल-541/2023

दिनांक: 28/6/23

सेवा में,

मा. एन.जी.टी./ महत्वपूर्ण/ समयबद्ध/ पंजीकृत

मैसर्स शाह इण्डस्ट्रीज,
ग्राम-तिपरपुर, जनता रोड,
जनपद सहारनपुर।

विषय: मैसर्स शाह इण्डस्ट्रीज, ग्राम-तिपरपुर, जनता रोड, जनपद सहारनपुर के विरुद्ध बोर्ड द्वारा निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक-26.06.2023 एवं मा. एन.जी.टी. में विचाराधीन ओ.ए. संख्या-859/2022 Abhisht Kusum Gupta Versus State of Uttar Pradesh & Ors. में पारित आदेश दिनांक-17.03.2023 के अनुपालन में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र संख्या: एच 96306/सी-3/जल-541/2023, दिनांक-26.06.2023 द्वारा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा-33(ए) के अन्तर्गत उद्योग को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है जोकि वर्तमान में प्रभावी है, का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त कारण बताओ नोटिस में क्षेत्रीय कार्यालय, सहारनपुर की आख्या के अनुसार इकाई द्वारा कारण बताओ नोटिस दिनांक-26.06.2023 में वर्णित तथ्यों के आधार पर पर्यावरणीय मानकों का उल्लंघन पाये जाने पर मा. एन.जी.टी. द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उद्योगों पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु जारी गाईडलाइन्स के अनुसार रुपये-10,000/- प्रतिदिन की दर से दिनांक-09.05.2023 से उल्लंघनकारी दिवसों की अवधि हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु बोर्ड के पत्र संख्या: एच 96306/सी-3/जल-541/2023, दिनांक-26.06.2023 द्वारा कारण बताओ नोटिस दिया गया।


यतः मा. एन.जी.टी. में योजित ओ.ए. संख्या- 859/2022 अमीष्ट कुसुम गुप्ता बनाम स्टेट ऑफ उ.प्र. एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक-17.03.2023 के संसुगत अंश निम्नवत् है:-

“ 20. The Committee may meet within one week and will be free to function online or offline, undertake visit to the sites and interact with concerned authorities and stakeholders. Remedial action will involve assessment of compensation against erring industries for past violations equal to 10% turnover but not lower than assessed cost of restoration, closure of units which are continuing to cause pollution, prosecution of the owners of the industries under the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, following due process of law.....”

माननीय एन.जी.टी. द्वारा अपने उक्त आदेश दिनांक-17.03.2023 में दोषी इकाई के विरुद्ध पूर्व में किये गये उल्लंघन के हेतु कम्पनी के टर्नओवर के 10 प्रतिशत के बराबर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। आपकी इकाई के विरुद्ध बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या: एच 96306/सी-3/जल-541/2023, दिनांक-26.06.2023 के माध्यम से कारण बताओ नोटिस निर्गत है।


अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि माननीय एन.जी.टी. के आदेश दिनांक-17.03.2023 के अनुपालन में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का आंकलन तदनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु कम्पनी का नवीनतम ऑडिटेड बैलेन्सशीट (टर्नओवर सहित) 02 सप्ताह के अन्दर प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें। यदि आप द्वारा निर्धारित समयावधि में इस नोटिस का उत्तर/अनुपालन नहीं किया जाता है तो बोर्ड में उपलब्ध अभिलेखों के आधार/उद्योग के पूंजीगत निवेश के आधार पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं आपका होगा।

सक्षम अधिकारी के द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।


मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-3

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. जिलाधिकारी, सहारनपुर।
2. पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर।
3. अधिशासी अभियन्ता, उ.प्र. पावर कार्पोरेशन लि., विद्युत वितरण खण्ड, सहारनपुर।
4. अधिशासी अभियन्ता, जल संस्थान, सहारनपुर।
5. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वेस्ट मैनेजमेन्ट डिविजन (1/2), उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
6. क्षेत्रीय अधिकारी, उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सहारनपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि मा. एन.जी.टी. द्वारा पारित आदेश दिनांक-17.03.2023 का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु उद्योग से नवीनतम ऑडिटेड बैलेन्सशीट (टर्नओवर सहित) निर्धारित समयावधि में प्राप्त कर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का आंकलन करते हुए स्पष्ट संस्तुति, सहित आख्या बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें।


मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-3



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ संख्या: 196575/सी-3/जल-22/2023

दिनांक: 28/6/23

सेवा में,

मा. एन.जी.टी./महत्वपूर्ण/समयबद्ध/पंजीकृत

मैसर्स किसान सहकारी चीनी मिल्स लि.,
ग्राम- ननौता, तहसील-रामपुर मनिहारन,
जनपद-सहारनपुर।

विषय: मैसर्स किसान सहकारी चीनी मिल्स लि., ग्राम- ननौता, तहसील-रामपुर मनिहारन, जनपद-सहारनपुर के विरुद्ध बोर्ड द्वारा निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक-25.04.2023 एवं मा. एन.जी.टी. में विचाराधीन ओ.ए. संख्या-859/2022 Abhisht Kusum Gupta Versus State of Uttar Pradesh & Ors. में पारित आदेश दिनांक-17.03.2023 के अनुपालन में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र संख्या एच 92554/सी-3/जल-22/सहा0/2023, दिनांक-25.04.2023 द्वारा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा-33(ए) के अन्तर्गत उद्योग को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है जोकि वर्तमान में प्रभावी है, का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त कारण बताओ नोटिस में क्षेत्रीय कार्यालय, सहारनपुर की आख्या के अनुसार इकाई द्वारा कारण बताओ नोटिस दिनांक-25.04.2023 में वर्णित तथ्यों के आधार पर पर्यावरणीय मानकों का उल्लंघन पाये जाने पर मा. एन.जी.टी. द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उद्योगों पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु जारी गाईडलाइन्स के अनुसार रुपये-30,000/- प्रतिदिन की दर से दिनांक-11.03.2023 से उल्लंघनकारी दिवसों की अवधि हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु बोर्ड के पत्र संख्या एच 92554/सी-3/जल-22/सहा0/2023, दिनांक-25.04.2023 द्वारा कारण बताओ नोटिस दिया गया।

यतः मा. एन.जी.टी. में योजित ओ.ए. संख्या- 859/2022 अभीष्ट कुसुम गुप्ता बनाम स्टेट ऑफ उ.प्र. एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक-17.03.2023 के संसुगत अंश निम्नवत् है:-

“ 20. The Committee may meet within one week and will be free to function online or offline, undertake visit to the sites and interact with concerned authorities and stakeholders. Remedial action will involve assessment of compensation against erring industries for past violations equal to 10% turnover but not lower than assessed cost of restoration, closure of units which are continuing to cause pollution, prosecution of the owners of the industries under the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, following due process of law.....”

माननीय एन.जी.टी. द्वारा अपने उक्त आदेश दिनांक-17.03.2023 में दोषी इकाई के विरुद्ध पूर्व में किये गये उल्लंघन के हेतु कम्पनी के टर्नओवर के 10 प्रतिशत के बराबर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। आपकी इकाई के विरुद्ध बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या एच 92554/सी-3/जल-22/सहा0/2023, दिनांक-25.04.2023 के माध्यम से कारण बताओ नोटिस निर्गत है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि माननीय एन.जी.टी. के आदेश दिनांक-17.03.2023 के अनुपालन में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का आंकलन तदनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु कम्पनी का नवीनतम ऑडिटेड बैलेन्सशीट (टर्नओवर सहित) 02 सप्ताह के अन्दर प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें। यदि आप द्वारा निर्धारित समयावधि में इस नोटिस का उत्तर/अनुपालन नहीं किया जाता है तो बोर्ड में उपलब्ध अभिलेखों के आधार/उद्योग के पूंजीगत निवेश के आधार पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं आपका होगा।

सक्षम अधिकारी के द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-3

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. जिलाधिकारी, सहारनपुर।
2. पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर।
3. अधिशासी अभियन्ता, उ.प्र. पावर कार्पोरेशन लि., विद्युत वितरण खण्ड, सहारनपुर।
4. अधिशासी अभियन्ता, जल संस्थान, सहारनपुर।
5. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वेस्ट मैनेजमेन्ट डिविजन (1/2), उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
6. क्षेत्रीय अधिकारी, उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सहारनपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि मा. एन.जी.टी. द्वारा पारित आदेश दिनांक-17.03.2023 का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु उद्योग से नवीनतम ऑडिटेड बैलेन्सशीट (टर्नओवर सहित) निर्धारित समयावधि में प्राप्त कर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का आंकलन करते हुए स्पष्ट संस्तुति सहित आख्या बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-3

नगर पालिका परिषद, सरधना, जनपद-मेरठ के क्षेत्रान्तर्गत स्थित 123 डेयरी इकाईयों की सूची

क्र.सं.	इकाई का नाम	इकाई का पता	जनपद
1	श्री हकीमुद्दीन पुत्र श्री अल्लाराजी मौ0 धर्मपुरा (चौड़ा रास्ता)	मौ0 धर्मपुरा (चौड़ा रास्ता)	जनपद-मेरठ।
2	श्री रहीस पुत्र श्री अल्लाराजी मौ0 धर्मपुरा (चौड़ा रास्ता)	मौ0 धर्मपुरा (चौड़ा रास्ता)	जनपद-मेरठ।
3	श्री हनीफ पुत्र श्री अब्दुल वहीद मौ0 धर्मपुरा (चौड़ा रास्ता)	मौ0 धर्मपुरा (चौड़ा रास्ता)	जनपद-मेरठ।
4	श्री सलीम पुत्र गफूर मौ0 धर्मपुरा (चौड़ा रास्ता)	मौ0 धर्मपुरा (चौड़ा रास्ता)	जनपद-मेरठ।
5	श्री मंजूर पुत्र श्री शौकीन मौ0 कालन्द रोड (चौड़ा रास्ता)	मौ0 कालन्द रोड (चौड़ा रास्ता)	जनपद-मेरठ।
6	श्री सलीम पुत्र श्री खुशीद मौ0 धर्मपुरा (चौड़ा रास्ता)	मौ0 धर्मपुरा (चौड़ा रास्ता)	जनपद-मेरठ।
7	श्री राशिद पुत्र श्री अब्दुल गनी मौ0 धर्मपुरा (चौड़ा रास्ता)	मौ0 धर्मपुरा (चौड़ा रास्ता)	जनपद-मेरठ।
8	श्री छोटू पुत्र श्री रहीस मौ0 धर्मपुरा (चौड़ा रास्ता)	मौ0 धर्मपुरा (चौड़ा रास्ता)	जनपद-मेरठ।
9	श्री जाकिर पुत्र श्री अल्लाराजी मौ0 धर्मपुरा (चौड़ा रास्ता)	मौ0 धर्मपुरा (चौड़ा रास्ता)	जनपद-मेरठ।
10	श्री राजेन्द्र पुत्र श्री जगदीश मौ0 धर्मपुरा (चौड़ा रास्ता)	मौ0 धर्मपुरा (चौड़ा रास्ता)	जनपद-मेरठ।
11	श्री इन्तेजार पुत्र श्री अल्लाराजी मौ0 धर्मपुरा (चौड़ा रास्ता)	मौ0 धर्मपुरा (चौड़ा रास्ता)	जनपद-मेरठ।
12	श्री आदिल पुत्र श्री रहीसुदीन मौ0 धर्मपुरा (चौड़ा रास्ता)	मौ0 धर्मपुरा (चौड़ा रास्ता)	जनपद-मेरठ।
13	श्री आशू मलिक पुत्र श्री गुलशेर मौ0 धर्मपुरा आंशिक	मौ0 धर्मपुरा आंशिक	जनपद-मेरठ।
14	श्री रहीसू पुत्र श्री रमजानी मौ0 धर्मपुरा आंशिक	मौ0 धर्मपुरा आंशिक	जनपद-मेरठ।
15	श्री सर्द पुत्र श्री यामीन मौ0 धर्मपुरा आंशिक	मौ0 धर्मपुरा आंशिक	जनपद-मेरठ।
16	श्री सलमान पुत्र श्री मुन्ना मौ0 धर्मपुरा आंशिक	मौ0 धर्मपुरा आंशिक	जनपद-मेरठ।
17	श्री राजूदीन पुत्र श्री इमामुद्दीन मौ0 धर्मपुरा आंशिक	मौ0 धर्मपुरा आंशिक	जनपद-मेरठ।
18	श्री पप्पू पुत्र श्री शब्बीर मौ0 धर्मपुरा आंशिक	मौ0 धर्मपुरा आंशिक	जनपद-मेरठ।
19	श्री यसीन पुत्र श्री इमामुद्दीन मौ0 धर्मपुरा आंशिक	मौ0 धर्मपुरा आंशिक	जनपद-मेरठ।
20	श्री जावेद पुत्र श्री हफीजू मौ0 धर्मपुरा आंशिक	मौ0 धर्मपुरा आंशिक	जनपद-मेरठ।
21	श्री मौहब्बत पुत्र श्री अजीज मौ0 धर्मपुरा आंशिक	मौ0 धर्मपुरा आंशिक	जनपद-मेरठ।
22	श्री सलमान पुत्र श्री हफीजुद्दीन मौ0 धर्मपुरा आंशिक	मौ0 धर्मपुरा आंशिक	जनपद-मेरठ।
23	श्री नवाब पुत्र श्री कादरखान मौ0 धर्मपुरा आंशिक	मौ0 धर्मपुरा आंशिक	जनपद-मेरठ।
24	श्री अनीस पुत्र श्री शब्बीर मौ0 धर्मपुरा आंशिक	मौ0 धर्मपुरा आंशिक	जनपद-मेरठ।
25	श्री आसू कुरेशी पुत्र श्री मोबीन मौ0 धर्मपुरा आंशिक	मौ0 धर्मपुरा आंशिक	जनपद-मेरठ।
26	श्री फिरोज कुरेशी पुत्र मोबीन मौ0 धर्मपुरा आंशिक	मौ0 धर्मपुरा आंशिक	जनपद-मेरठ।
27	श्री नसीम पुत्र श्री यासीन मौ0 धर्मपुरा आंशिक	मौ0 धर्मपुरा आंशिक	जनपद-मेरठ।
28	हाजी अब्दुल गनी पुत्र श्री इस्माईल मौ0 धर्मपुरा आंशिक	मौ0 धर्मपुरा आंशिक	जनपद-मेरठ।
29	श्री याकूब पुत्र श्री घसीटा मौ0 कालन्द रोड (चौड़ा रास्ता)	मौ0 कालन्द रोड (चौड़ा रास्ता)	जनपद-मेरठ।
30	श्री गफफार पुत्र श्री यासीन मौ0 आजादनगर	मौ0 आजादनगर	जनपद-मेरठ।
31	श्री इमरान पुत्र श्री शरीफ मौ0 किला खैवान	मौ0 किला खैवान	जनपद-मेरठ।
32	श्री साजिद मलिक पुत्र श्री रफीक मौ0 किला खैवान	मौ0 किला खैवान	जनपद-मेरठ।
33	श्री फरमान पुत्र श्री फिरोज उर्फ बरवालिया मौ0 मण्डी चमारान सरधना	मौ0 मण्डी चमारान सरधना	जनपद-मेरठ।
34	श्री मुनफरीद पुत्र श्री यामीन मौ0 मण्डी चमारान सरधना	मौ0 मण्डी चमारान सरधना	जनपद-मेरठ।
35	श्री संजय पुत्र श्री हरिप्रकाश मौ0 आदर्श नगर सरधना	मौ0 आदर्श नगर सरधना	जनपद-मेरठ।
36	श्री विकास साम पुत्र श्री बिजेन्द्र सिंह मौ0 आदर्श नगर सरधना	मौ0 आदर्श नगर सरधना	जनपद-मेरठ।
37	श्री ईनू डेयरी फार्म मौ0 कमरानवाबान सरधना	मौ0 कमरानवाबान सरधना	जनपद-मेरठ।
38	श्री मौहसीन पुत्र श्री रहीसुदन मौ0 कमरानवाबान सरधना	मौ0 कमरानवाबान सरधना	जनपद-मेरठ।
39	श्री यासीन पुत्र श्री रिल्लो मौ0 कमरानवाबान सरधना	मौ0 कमरानवाबान सरधना	जनपद-मेरठ।
40	श्री नसरू पुत्र श्री नसीर मौ0 कमरानवाबान सरधना	मौ0 कमरानवाबान सरधना	जनपद-मेरठ।
41	श्री दीनू पुत्र अब्दुल अजीज मौ0 कमरानवाबान सरधना	मौ0 कमरानवाबान सरधना	जनपद-मेरठ।
42	श्री गुलाब पुत्र श्री इस्लाम मौ0 कालन्द रोड	मौ0 कालन्द रोड	जनपद-मेरठ।
43	श्री जुल्फुकार पुत्र श्री इस्लाम मौ0 कालन्द रोड	मौ0 कालन्द रोड	जनपद-मेरठ।
44	श्री इदरीस पुत्र श्री घसीटा मौ0 कालन्द रोड	मौ0 कालन्द रोड	जनपद-मेरठ।
45	श्री हाजी मुन्ना पुत्र श्री हबीब चौधरी मौ0 कालन्द रोड	मौ0 कालन्द रोड	जनपद-मेरठ।
46	श्री बेजू पुत्र श्री अलीबक्श मौ0 नंगलाऑर्डर रोड सरधना	मौ0 नंगलाऑर्डर रोड सरधना	जनपद-मेरठ।
47	श्री खलील पुत्र श्री छोटा मौ0 नंगलाऑर्डर रोड सरधना	मौ0 नंगलाऑर्डर रोड सरधना	जनपद-मेरठ।
48	श्री आदिल चौधरी पुत्र श्री मुन्ना चौधरी मौ0 नंगलाऑर्डर रोड सरधना	मौ0 नंगलाऑर्डर रोड सरधना	जनपद-मेरठ।
49	श्री अकबर पुत्र श्री हबीब चौधरी मौ0 नंगलाऑर्डर रोड सरधना	मौ0 नंगलाऑर्डर रोड सरधना	जनपद-मेरठ।

50	श्री सादिक पुत्र श्री शरीफ मौ0 नंगलाऑर्डर रोड सरधना	मौ0 नंगलाऑर्डर रोड सरधना	जनपद-मेरठ ।
51	श्री शाहनवाज पुत्र श्री सलीम मौ0 नंगलाऑर्डर रोड सरधना	मौ0 नंगलाऑर्डर रोड सरधना	जनपद-मेरठ ।
52	श्री अमजद पुत्र युनुस छुटवा मौ0 नंगलाऑर्डर रोड सरधना	मौ0 नंगलाऑर्डर रोड सरधना	जनपद-मेरठ ।
53	श्री शम्भू पुत्र श्री सादी मौ0 नंगलाऑर्डर रोड सरधना	मौ0 नंगलाऑर्डर रोड सरधना	जनपद-मेरठ ।
54	श्री गुलजार पुत्र श्री जामू मौ0 नंगलाऑर्डर रोड सरधना	मौ0 नंगलाऑर्डर रोड सरधना	जनपद-मेरठ ।
55	श्री शहजाद पुत्र श्री बशीर मौ0 नवाबगढी रोड सरधना	मौ0 नवाबगढी रोड सरधना	जनपद-मेरठ ।
56	श्री गपफार पुत्र श्री गुलफाम मौ0 नवाबगढी रोड सरधना	मौ0 नवाबगढी रोड सरधना	जनपद-मेरठ ।
57	श्री फाय्याज पुत्र श्री नूरू मौ0 नवाबगढी रोड सरधना	मौ0 नवाबगढी रोड सरधना	जनपद-मेरठ ।
58	श्री अशरफ पुत्र श्री डल्ला मौ0 नवाबगढी रोड सरधना	मौ0 नवाबगढी रोड सरधना	जनपद-मेरठ ।
59	श्री मुस्तकीम पुत्र श्री अजीज मौ0 नवाबगढी रोड सरधना	मौ0 नवाबगढी रोड सरधना	जनपद-मेरठ ।
60	श्री शमीम पुत्र श्री रफीक मौ0 नवाबगढी रोड सरधना	मौ0 नवाबगढी रोड सरधना	जनपद-मेरठ ।
61	श्री फेरू पुत्र श्री मवासी मौहल्ला धर्मपुरा, गणेशी का दगड़ा सरधना	मौहल्ला धर्मपुरा, गणेशी का दगड़ा सरधना	जनपद-मेरठ ।
62	श्री मीरू पुत्र श्री हमीद मौहल्ला किला खैवान सरधना	मौहल्ला किला खैवान सरधना	जनपद-मेरठ ।
63	श्री जमील पुत्र श्री अजीज मौहल्ला नवाबगढी, सरधना	मौहल्ला नवाबगढी, सरधना	जनपद-मेरठ ।
64	श्री लक्ष्मण पुत्र श्री गणेशी मौहल्ला किला खैवान सरधना	मौहल्ला किला खैवान सरधना	जनपद-मेरठ ।
65	श्री आबिद पुत्र श्री मंगतामौहल्ला नवाबगढी, सरधना	मौहल्ला नवाबगढी, सरधना	जनपद-मेरठ ।
66	श्री विषम्बर पुत्र श्री सुजान मौहल्ला पाण्डवषिला रोड, सरधना	मौहल्ला पाण्डवषिला रोड, सरधना	जनपद-मेरठ ।
67	श्री अकबर पुत्र श्री बशीर मौहल्ला नंगलाऑर्डर रोड सरधना	मौहल्ला नंगलाऑर्डर रोड सरधना	जनपद-मेरठ ।
68	श्री गुलफाम पुत्र श्री आपू मौहल्ला कमरानवाबान सरधना	मौहल्ला कमरानवाबान सरधना	जनपद-मेरठ ।
69	श्री हाजी नसीम पुत्र श्री फिक्के मौहल्ला नंगलाऑर्डर रोड सरधना	मौहल्ला नंगलाऑर्डर रोड सरधना	जनपद-मेरठ ।
70	श्री खलील पुत्र श्री छोटा मौहल्ला नंगलाऑर्डर रोड सरधना	मौहल्ला नंगलाऑर्डर रोड सरधना	जनपद-मेरठ ।
71	श्री बिल्लू पुत्र श्री बिषम्बर मौहल्ला पाण्डवषिला रोड, सरधना	मौहल्ला पाण्डवषिला रोड, सरधना	जनपद-मेरठ ।
72	श्री पिन्दू पुत्र श्री रामकला मौहल्ला पाण्डवषिला रोड, सरधना	मौहल्ला पाण्डवषिला रोड, सरधना	जनपद-मेरठ ।
73	श्री अतर सिंह पुत्र श्री सुजन सिंह मौहल्ला पाण्डवषिला रोड, सरधना	मौहल्ला पाण्डवषिला रोड, सरधना	जनपद-मेरठ ।
74	श्री यामीन पुत्र श्री नथू मौहल्ला किला खैवान सरधना	मौहल्ला किला खैवान सरधना	जनपद-मेरठ ।
75	श्री शरीफ पुत्र श्री रमजानी मौहल्ला किला खैवान सरधना	मौहल्ला किला खैवान सरधना	जनपद-मेरठ ।
76	श्री जयपाल पुत्र श्री सुजान मौहल्ला पाण्डवषिला रोड, सरधना	मौहल्ला पाण्डवषिला रोड, सरधना	जनपद-मेरठ ।
77	श्री ताहित पुत्र श्री इमामुदीन मौहल्ला नंगलाऑर्डर रोड सरधना	मौहल्ला नंगलाऑर्डर रोड सरधना	जनपद-मेरठ ।
78	श्री ब्रिजेश पुत्र श्री नकली सिंह मौहल्ला झिटकरी रोड, सरधना	मौहल्ला झिटकरी रोड, सरधना	जनपद-मेरठ ।
79	श्री तेजपाल पुत्र श्री नानक मौहल्ला झिटकरी रोड सरधना	मौहल्ला झिटकरी रोड सरधना	जनपद-मेरठ ।
80	श्री युनुस पुत्र श्री छुटवा मौहल्ला नंगलाऑर्डर रोड सरधना	मौहल्ला नंगलाऑर्डर रोड सरधना	जनपद-मेरठ ।
81	श्री इस्लाम पुत्र श्री नसरू मौहल्ला कालन्दा रोड	मौहल्ला कालन्दा रोड	जनपद-मेरठ ।
82	श्री शिवकुमार पुत्र श्री नकली सिंह मौहल्ला झिटकरी रोड	मौहल्ला झिटकरी रोड	जनपद-मेरठ ।
83	श्री नूरू पुत्र श्री हसमत खां मौहल्ला कमरा नवाबान सरधना	मौहल्ला कमरा नवाबान सरधना	जनपद-मेरठ ।
84	श्री जाहरिया पुत्र श्री बलजीत मौहल्ला पाण्डवषिला रोड, सरधना	मौहल्ला पाण्डवषिला रोड, सरधना	जनपद-मेरठ ।
85	श्री फरमान पुत्र श्री कालू मौहल्ला नंगलाऑर्डर रोड सरधना	मौहल्ला नंगलाऑर्डर रोड सरधना	जनपद-मेरठ ।
86	श्री शाहिद पुत्र श्री अ0 गनी मौहल्ला किला खैवान सरधना	मौहल्ला किला खैवान सरधना	जनपद-मेरठ ।
87	श्री अमर पुत्र श्री मुन्याज मौहल्ला नवाबगढी रोड सरधना	मौहल्ला नवाबगढी रोड सरधना	जनपद-मेरठ ।
88	श्री रामनाथ पुत्र श्री कलीराम मौहल्ला झिटकरी रोड सरधना	मौहल्ला झिटकरी रोड सरधना	जनपद-मेरठ ।
89	श्री शोकीन पुत्र श्री जिकरिया तैली मौहल्ला कालन्द रोड	मौहल्ला कालन्द रोड	जनपद-मेरठ ।
90	श्री हारुन पुत्र श्री अब्दुल गनी मौहल्ला किला खैवान सरधना	मौहल्ला किला खैवान सरधना	जनपद-मेरठ ।
91	श्री सत्तार पुत्र श्री गबरुद्दीन मौहल्ला मण्डी चमारान सरधना	मौहल्ला मण्डी चमारान सरधना	जनपद-मेरठ ।
92	श्री वकील पुत्र यामीन मौहल्ला नंगलाऑर्डर रोड सरधना	मौहल्ला नंगलाऑर्डर रोड सरधना	जनपद-मेरठ ।
93	श्री सलमान पुत्र समीम मौहल्ला आजाद नगर, सरधना	मौहल्ला आजाद नगर, सरधना	जनपद-मेरठ ।
94	श्री विजय पाल पुत्र रामफल मौहल्ला आजाद नगर, सरधना	मौहल्ला आजाद नगर, सरधना	जनपद-मेरठ ।
95	श्री चरन सिंह पुत्र आषा राम मौहल्ला आजाद नगर, सरधना	मौहल्ला आजाद नगर, सरधना	जनपद-मेरठ ।
96	श्री नरेश पुत्र रामफल मौहल्ला आजाद नगर, सरधना	मौहल्ला आजाद नगर, सरधना	जनपद-मेरठ ।
97	श्री एहसान पुत्र तोती मौहल्ला नंगलाऑर्डर रोड सरधना	मौहल्ला नंगलाऑर्डर रोड सरधना	जनपद-मेरठ ।
98	श्री हाजी अख्तर पुत्र तोती मौहल्ला नंगलाऑर्डर रोड सरधना	मौहल्ला नंगलाऑर्डर रोड सरधना	जनपद-मेरठ ।
99	श्री उमरद्दीन पुत्र अमीरुद्दीन मौहल्ला नंगलाऑर्डर रोड सरधना	मौहल्ला नंगलाऑर्डर रोड सरधना	जनपद-मेरठ ।
100	श्री संजय पुत्र जयप्रकाश मौहल्ला नवाबगढी रोड सरधना	मौहल्ला नवाबगढी रोड सरधना	जनपद-मेरठ ।
101	श्रीमती शकीला पत्नी मुन्ना मौहल्ला घोषियान	मौहल्ला घोषियान	जनपद-मेरठ ।

102	श्री मौहम्मदीन पुत्र नल्थू मौहल्ला किला खैवान सरधना	मौहल्ला किला खैवान सरधना	जनपद-मेरठ ।
103	श्री उस्मान पुत्र हनीफ	मौहल्ला नवाबगढी रोड, सरधना	जनपद-मेरठ ।
104	श्री साजिद पुत्र मोहब्बत	मौहल्ला किला खैवान सरधना	जनपद-मेरठ ।
105	श्री मुन्ना पुत्र नल्थू	मौहल्ला किला खैवान सरधना	जनपद-मेरठ ।
106	श्री गुलजार पुत्र बलिया	मौहल्ला नंगलाऑर्डर रोड सरधना	जनपद-मेरठ ।
107	श्री शकरू पुत्र छुटवा	मौहल्ला नंगलाऑर्डर रोड सरधना	जनपद-मेरठ ।
108	श्री इरषाद अली पुत्र तोती	मौहल्ला नंगलाऑर्डर रोड सरधना	जनपद-मेरठ ।
109	श्री बब्लू पुत्र धर्मवीर	मौहल्ला आजादनगर, सरधना	जनपद-मेरठ ।
110	श्री इदरीष पुत्र घसीटा	मौहल्ला कालन्द रोड	जनपद-मेरठ ।
111	श्री सलीम पुत्र खुर्षीद	मौहल्ला नवाबगढी रोड सरधना	जनपद-मेरठ ।
112	श्री लियाकत पुत्र तोती	मौहल्ला नंगलाऑर्डर रोड सरधना	जनपद-मेरठ ।
113	श्रीमती खुर्षीदा पत्नी याकूब	मौहल्ला नंगलाऑर्डर रोड सरधना	जनपद-मेरठ ।
114	श्री मोती पुत्र चत्तूरू	मौहल्ला पाण्डुषिला रोड सरधना	जनपद-मेरठ ।
115	श्री शाहिद पुत्र तोती	मौहल्ला नंगलाऑर्डर रोड सरधना	जनपद-मेरठ ।
116	श्री दीन मौहम्मद पुत्र इस्लाम	मौहल्ला कमरानवाबान सरधना	जनपद-मेरठ ।
117	श्री सलमान पुत्र नूर मौहम्मद	मौहल्ला कमरानवाबान सरधना	जनपद-मेरठ ।
118	श्री रहीसुद्दीन पुत्र रंगरेज	मौहल्ला मण्डी चमारान सरधना	जनपद-मेरठ ।
119	श्री इस्लाम पुत्र रज्जाक	मौहल्ला कालंद रोड, सरधना	जनपद-मेरठ ।
120	श्री जिल्फुकार पुत्र महबूब जोगी	मौहल्ला मण्डी चमारान, सरधना	जनपद-मेरठ ।
121	श्री अमजद पुत्र हफीज	मौहल्ला कमरानवाबान सरधना	जनपद-मेरठ ।
122	श्री वकील पुत्र नुरू	मौहल्ला मण्डी चमारान, सरधना	जनपद-मेरठ ।
123	श्री आपु पुत्र निजामु	मौहल्ला कमरानवाबान सरधना	जनपद-मेरठ ।

Illegal Units Closed in Loni Since April 2018 to Till Now.

Sl no	Name and address of unit/ person operating the unit	Nature of Unit	Date of Inspection	Action Taken	No. of Units
1	Shri Jitender Kumar, VillTilaShahbajpur, Loni, Ghaziabad	Ice Cream Manufacturing	4/3/2018	Electrical connection disconnected, DG set sealed.	1
2	Shri Jitender Kumar, VillTilaShahbajpur, Loni, Ghaziabad	Jeans Dyeing and Washing		Electrical connection disconnected, DG set sealed and main gate sealed	1
3	Shri Om veer singh, Pradhan, Tilashahbajpur, Loni, Ghaziabad	Jeans Dyeing and Washing	4/6/2018	Electrical connection disconnected and unit sealed	1
4	Smt. Vidyadevi w/o ShriDharam pal, Tilashahbajpur, Loni, Ghaziabad	Jeans Dyeing and Washing		Electrical connection disconnected and unit sealed	1
5	ShriOmveer Singh, near house of Pradhan, Tilashahbajpur, Loni, Ghaziabad	E waste recovery unit		Electrical connection disconnected and unit sealed	1
	ShriJitender Singh S/o Mahender Singh, Tila Main road, Loni, Ghaziabad (Land owner ShriJaiveer)	Jeans Dyeing and Washing		Electrical connection disconnected and unit sealed	1
	ShriSunderBhati S/o Shri Baleshwar, VillTilaShahbajpur, Loni Ghaziabad	Jeans Dyeing and Washing	Electrical connection disconnected and unit sealed	1	
	ShriSunderBhati S/o Shri Baleshwar, VillTilaShahbajpur, Loni Ghaziabad	Jeans Dyeing and Washing		Electrical connection disconnected and unit sealed	1
6	ShriSunderBhati S/o Shri Baleshwar, VillTilaShahbajpur, Loni Ghaziabad	Jeans Dyeing and Washing		Electrical connection disconnected and unit sealed	1
7	ShriSunderBhati S/o Shri Baleshwar, VillTilaShahbajpur, Loni Ghaziabad	Jeans Dyeing and Washing		Electrical connection disconnected and unit sealed	1
8	ShrilswarBhati S/o ShriKishan, VillTilaShahbajpur, Loni Ghaziabad	Jeans Dyeing and Washing		Electrical connection disconnected and unit sealed	1
9	ShriAmit, VillTilaShahbajpur, Loni Ghaziabad	Cloth printing		Electrical connection disconnected and unit sealed	1
	ShriVikram (Near house of ShriAmit), VillTilaShahbajpur, Loni Ghaziabad	Jeans Dyeing and Washing		Electrical connection disconnected and unit sealed	1
	M/s Chandel Engineering Company, Opposite SewaBharti School, Plot no 1, Krishna Vihar, SewaDham, Loni, Ghaziabad	Foundry for melting iron and making Engg Parts	4/7/2018	Electrical connection disconnected and unit sealed	1
Shri Om prakash S/o KailashDatbhaat, Plot no 4, 1904, Krishna Vihar, Loni, Ghaziabad (electric connection in the name of ShriMewa Ram S/o Ram Nath)	Electroplating work	Electrical connection disconnected and unit sealed		1	
10	ShriMahipal S/o Shri Ram, near SewaDham Temple, Krishna Vihar, Loni, Ghaziabad	Foundry		Electrical connection disconnected and unit sealed	1
11	Shri Ram Nath S/o ShriVishram, 1707, near SewaDham Temple, Krishna Vihar, Loni, Ghaziabad	Pit furnace		Electrical connection disconnected and unit sealed	1
12	ShriMewa Ram S/o Shri Ram Nath, 1986, near SewaDham Temple, Krishna Vihar, Loni, Ghaziabad	Pit furnace		Electrical connection disconnected and unit sealed	1

13	ShriRavinder Kumar S/o ShriMahaveer Singh, 1905, near SewaDham Temple, Krishna Vihar, Loni, Ghaziabad	Pit furnace	Electrical connection disconnected and unit sealed	1
14	ShriRavinder alias Bittu, s/o ShriMahaveer Singh, 1905, near SewaDham Temple, Krishna Vihar, Loni, Ghaziabad	Pit furnace	unit sealed. It was found that the unit is taking electricity from Delhi area	1
15	Unknown, opposite factory of ShriRavinder , near SewaDham Temple, Krishna Vihar, Loni, Ghaziabad	Pit furnace	Electrical connection disconnected and unit sealed	1
16	Unknown, near SewaDham Temple, Krishna Vihar, Loni, Ghaziabad	Fly ash storage	Electrical connection from DG set . Hence DG set sealed and unit sealed	1
17	ShriSatyaPrakash, Krishna Vihar, Loni, Ghaziabad	Pit furnace	Electrical connection disconnected and unit sealed	1
18	Shri Om Prakash S/o ShriKailashDatbaat, near SewaDham Temple, Krishna Vihar, Loni, Ghaziabad	Panel Assembling	GDA has issued notice to the unit during inspection for establishment of industrial unit against land use	1
19	ShriVijender Kumar S/o ShriHarpool Singh, near SewaDham Temple, Krishna Vihar, Loni, Ghaziabad	Paint Godown	GDA has issued notice to the unit during inspection for establishment of industrial unit against land use	1
20	ShriArwind Kumar S/o Sheilnder Singh, near SewaDham Temple, Krishna Vihar, Loni, Ghaziabad	Coal Godown	GDA has issued notice to the unit during inspection for establishment of industrial unit against land use	1
21	Shri S.P. Gupta S/o Shri Om Prakash, near SewaDham Temple, Krishna Vihar, Loni, Ghaziabad	Coal Godown	GDA has issued notice to the unit during inspection for establishment of industrial unit against land use	1
22	Unknown, near SewaDham Temple, Krishna Vihar, Loni, Ghaziabad	Coal Godown	GDA has issued notice to the unit during inspection for establishment of industrial unit against land use	1
23	ShriMewa Ram, near SewaDham Temple, Krishna Vihar, Loni, Ghaziabad	Chemical Unit	Electrical connection from DG set . Hence DG set sealed and unit sealed	1
24	Unknown, SewaDham Temple, Krishna Vihar, Loni, Ghaziabad	Pit Furnace	Electrical connection from DG set . Hence DG set sealed and unit sealed	1
25	SheiBittu S/o ShriMool Chand, SewaDham Temple, Krishna Vihar, Loni, Ghaziabad	Pit Furnace	Electrical connection from DG set . Hence DG set sealed and unit sealed	1

26	M/s Coax India, MahamayaKunj, SewaDham, Loni Ghaziabad	Sheet metal Cutting	4/8/2018	GDA has issued notice to the unit during inspection for establishment of industrial unit against <u>land use</u>	1
27	M/s Kayam Steel, MahamayaKunj, SewaDham, Loni Ghaziabad	Sheet metal Cutting		GDA has issued notice to the unit during inspection for establishment of industrial unit against <u>land use</u>	1
28	Unknown MahamayaKunj, SewaDham, Loni Ghaziabad	Coal Godown		GDA has issued notice to the unit during inspection for establishment of industrial unit against <u>land use</u>	1
29	Unknown MahamayaKunj, SewaDham, Loni Ghaziabad	Coal Godown		GDA has issued notice to the unit during inspection for establishment of industrial unit against <u>land use</u>	1
30	Unknown MahamayaKunj, SewaDham, Loni Ghaziabad	Lead Scrap unit		Electrical connection disconnected and unit <u>sealed</u>	1
31	Unknown MahamayaKunj, SewaDham, Loni Ghaziabad	Lead Scrap unit		Electrical connection disconnected and unit <u>sealed</u>	1
32	Unknown, MahamayaKunj, SewaDham, Loni Ghaziabad	Lead Scrap unit		Electrical connection disconnected and unit <u>sealed</u>	1
33	SuchitraBonal, MahamayaKunj, SewaDham, Loni Ghaziabad	Wire burning unit		Electrical connection disconnected and unit <u>sealed</u>	1
34	Shri Rang Bahadur, MahamayaKunj, SewaDham, Loni Ghaziabad	Wire scrap and burning unit		Electrical connection disconnected and unit <u>sealed</u>	1
35	Unknown, MahamayaKunj, SewaDham, Loni Ghaziabad	Wire scrap unit		Electrical connection disconnected and unit <u>sealed</u>	1
36	ShriMithleshYadav, MahamayaKunj, SewaDham, Loni Ghaziabad	Wire scrap unit		Electrical connection disconnected and unit <u>sealed</u>	1
37	Unknown, MahamayaKunj, SewaDham, Loni Ghaziabad	Wire scrap unit		Electrical connection disconnected and unit <u>sealed</u>	1
38	Unknown, MahamayaKunj, SewaDham, Loni Ghaziabad	Wire scrap unit		Electrical connection disconnected and unit <u>sealed</u>	1
39	Unknown, MahamayaKunj, SewaDham, Loni Ghaziabad	Wire scrap unit		Electrical connection disconnected and unit <u>sealed</u>	1
40	Unknown, Shanti Garden, AmitVihar, Loni, Ghaziabad	Pit Furnace	4/9/2018	Electrical connection disconnected and unit <u>sealed</u>	1
41	Unknown, Shanti Garden, AmitVihar, Loni, Ghaziabad	Pit Furnace		Electrical connection disconnected and unit <u>sealed</u>	1

62	Unknown, Next to BalajiMandir, Shanti Garden, AmitVihar, Loni, Ghaziabad	Pit Furnace		Electrical connection disconnected and unit sealed	1
63	Unknown, Shanti Garden, AmitVihar, Loni, Ghaziabad	Pit Furnace		Electrical connection disconnected and unit sealed	1
64	Shri Manu Singh, Shanti Garden, AmitVihar, Loni, Ghaziabad	Almirah Assembling		GDA has issued notice to the unit during inspection for establishment of industrial unit against land use	1
65	SmtSunitaYadav, Shanti Garden, AmitVihar, Loni, Ghaziabad	Pit Furnace		Electrical connection disconnected and unit sealed	1
66	Unknown, Shanti Garden, AmitVihar, Loni, Ghaziabad	Pit Furnace		Electrical connection disconnected and unit sealed	1
67	M/s Riyan Traders (ShriFareedaKhatoon), Shanti Garden, AmitVihar, Loni, Ghaziabad	Godown		GDA has issued notice to the unit during inspection for establishment of industrial unit against land use	1
68	Shri Hakim , Krishna Vihar Phase 1, Loni, Ghaziabad	Pit Furnace	4/10/2018	Electrical connection disconnected and unit sealed	1
69	Unknown , Main mandoli Road, Krishna Vihar Phase 1, Loni, Ghaziabad	Pit Furnace		Electrical connection disconnected and unit sealed	1
70	Unknown , Main Mandoli Road, Gali no 1, Krishna Vihar Phase 1, Loni, Ghaziabad	Pit Furnace		Electrical connection disconnected and unit sealed	1
71	ShriPradeep Kumar S/o Shri Ram Kishore , gali no 1, Krishna Vihar Phase 1, Loni, Ghaziabad	Vapolizer Powder		Electrical connection disconnected and unit sealed	1
72	ShriDevender Kumar Jain , gali no 1, Krishna Vihar Phase 1, Loni, Ghaziabad	Vapolizer Powder		Electrical connection disconnected and unit sealed	1
73	ShriHarbhajan Singh , gali no 1, mail mandolin road, Krishna Vihar Phase 1, Loni, Ghaziabad	Pit Furnace		Electrical connection disconnected and unit sealed	1
74	ShriDulari , Main mandolin road, Krishna Vihar Phase 1, Loni, Ghaziabad	Pit Furnace		Electrical connection disconnected and unit sealed	1
75	Unknown , Syndicate Garden, near Mela Ram gate, Krishna Vihar Phase 2, Loni, Ghaziabad	Pit Furnace		Electrical connection disconnected and unit sealed	1
76	ShriBudhhapal S/o ShriBhajanLal(Owner) , Operation by ShriBrijbhhanYadav , Syndicate Garden, near Mela Ram gate, Krishna Vihar Phase 2 Loni Ghaziabad	Pit Furnace		Electrical connection disconnected and unit sealed	1
77	ShriGolu , Syndicate Garden, near Mela Ram gate, Krishna Vihar Phase 2, Loni, Ghaziabad	Pit Furnace		Electrical connection disconnected and unit sealed	1
78	Shri Abdul Hamid, Syndicate Garden, near Mela Ram gate, Krishna Vihar Phase 2, Loni, Ghaziabad	Pit Furnace		Electrical connection disconnected and unit sealed	1

79	ShriBudhhupal S/o ShriBhajanLal(Owner) , Operation by ShriBrijbhhanYadav, , Syndicate Garden, near Mela Ram gate, Krishna Vihar Phase 2 Loni Ghaziabad	Pit Furnace		Electrical connection disconnected and unit sealed	1
80	SmtUsha Devi , Syndicate Garden, near Mela Ram gate, Krishna Vihar Phase 2, Loni, Ghaziabad	Pit Furnace		Electrical connection disconnected and unit sealed	1
81	M/s ManaKatyani Metal (ShriBhupenderPoddar) , Syndicate Garden, near Mela Ram gate, Krishna Vihar Phase 2, Loni, Ghaziabad	Pit Furnace		Electrical connection disconnected and unit sealed	1
82	ShriRaghav, Syndicate Garden, near Mela Ram gate, Krishna Vihar Phase 2, Loni, Ghaziabad	Pit Furnace		Electrical connection disconnected and unit sealed	1
83	Shri Krishna Engineering (ShriRamveer), C-3, 4, Gali no 14, Krishna Vihar Phase 1, Loni, Ghaziabad	Pit Furnace		Electrical connection disconnected and unit sealed	1
84	Shri Ganesh Enginnering Works, Syndicate Garden, near Mela Ram gate, Krishna Vihar Phase 2, Loni, Ghaziabad	Lathe machine		GDA has issued notice to the unit during inspection for establishment of industrial unit against land use	1
85	ShriSubhash Chand, Syndicate Garden, near Mela Ram gate, Krishna Vihar Phase 2, Loni, Ghaziabad	Lathe machine		GDA has issued notice to the unit during inspection for establishment of industrial unit against land use	1
86	ShriNeelkanth Enterprises, 1921, Gali no 1, Krishna Vihar Phase 1, Loni, Ghaziabad	Break Shoe manufacturing		GDA has issued notice to the unit during inspection for establishment of industrial unit against land use	1
87	ShriNandkishore S/o ShriBhagwat Prasad, Gali no 1, Krishna Vihar Phase 1, Loni, Ghaziabad	Fabrication unit		GDA has issued notice to the unit during	1 1
88	ShriRinku S/o ShriEnglishBhaan , 1590, Kaveri City- II, Ram Vihar, Banthala, Loni, Ghaziabad	Jeans Dyeing and Washing	4/11/2018	Electrical connection disconnected and unit sealed	1
89	ShriParamjeet S/o ShriBalveer Singh , 1590, Kaveri City- II, Ram Vihar, Banthala, Loni, Ghaziabad	Jeans Dyeing and Washing		Electrical connection disconnected and unit sealed	1
90	ShriKapil S/o Shri Mange Ram, VillJawli, Loni, Ghaziabad	Jeans Dyeing and Washing		Electrical connection disconnected and unit sealed	1
91	Shri Rishi, Jawli Main Road, VillJawli, , Loni, Ghaziabad	Jeans Dyeing and Washing		Electrical connection disconnected and unit sealed	1
92	ShriSahilKasana, VillJawli, , Loni, Ghaziabad	Jeans Dyeing and Washing		Electrical connection disconnected and unit sealed	1
93	Shri Pal Lootan, VillJawli, , Loni, Ghaziabad	Jeans Dyeing and Washing		Electrical connection disconnected and unit sealed	1
94	ShriReya Gupta Shakti Garden, Loni, Ghaziabad (electric connection no 2417565342)	Pit Furnace	4/12/2018	Electrical connection disconnected and unit sealed	1

114	Unknown, Shakti Garden, Loni, Ghaziabad	Pit Furnace		Electrical connection disconnected and unit sealed	1
115	Unknown, Shakti Garden, Loni, Ghaziabad	Pit Furnace		Electrical connection disconnected and unit sealed	1
116	Unknown, Shakti Garden, Loni, Ghaziabad	Pit Furnace		Electrical connection disconnected and unit sealed	1
117	ShriReya Gupta Shakti Garden, Loni, Ghaziabad (electric connection no 2417565342)	Pit Furnace		Electrical connection disconnected and unit sealed	1
118	ShriReya Gupta Shakti Garden, Loni, Ghaziabad (electric connection no 2417565342)	Pit Furnace		Electrical connection disconnected and unit sealed	1
119	ShriReya Gupta Shakti Garden, Loni, Ghaziabad (electric connection no 2417565342)	Pit Furnace		Electrical connection disconnected and unit sealed	1
120	ShriReya Gupta Shakti Garden, Loni, Ghaziabad (electric connection no 2417565342)	Pit Furnace		Electrical connection disconnected and unit sealed	1
121	ShriReya Gupta Shakti Garden, Loni, Ghaziabad (electric connection no 2417565342)	Pit Furnace		Electrical connection disconnected and unit sealed	1
122	ShriReya Gupta Shakti Garden, Loni, Ghaziabad (electric connection no 2417565342)	Pit Furnace		Electrical connection disconnected and unit sealed	1
123	ShriReya Gupta Shakti Garden, Loni, Ghaziabad (electric connection no 2417565342)	Pit Furnace		Electrical connection disconnected and unit sealed	1
124	ShriReya Gupta Shakti Garden, Loni, Ghaziabad (electric connection no 2417565342)	Pit Furnace		Electrical connection disconnected and unit sealed	1
125	ShriReya Gupta Shakti Garden, Loni, Ghaziabad (electric connection no 2417565342)	Pit Furnace		Electrical connection disconnected and unit sealed	1
126	ShriReya Gupta Shakti Garden, Loni, Ghaziabad (electric connection no 2417565342)	Pit Furnace		Electrical connection disconnected and unit sealed	1
127	ShriReya Gupta Shakti Garden, Loni, Ghaziabad (electric connection no 2417565342)	Pit Furnace		Electrical connection disconnected and unit sealed	1
128	ShriReya Gupta Shakti Garden, Loni, Ghaziabad (electric connection no 2417565342)	Pit Furnace		Electrical connection disconnected and unit sealed	1
129	ShriBhrampal S/o Jagpal, Krishna Vihar, Main Mandoli Road, Loni, Ghaziabad	Pit furnace	4/13/2018	Electrical connection disconnected and unit sealed	1
130	ShriBhrampal S/o Jagpal, Krishna Vihar, Main Mandoli Road, Loni, Ghaziabad	Pit furnace		Electrical connection disconnected and unit sealed	1
131	ShriBhrampal S/o Jagpal, Krishna Vihar, Main Mandoli Road, Loni, Ghaziabad	Pit furnace		Electrical connection disconnected and unit sealed	1
132	ShriBhrampal S/o Jagpal, Krishna Vihar, Main Mandoli Road, Loni, Ghaziabad	Pit furnace		Electrical connection disconnected and unit sealed	1
133	Shri Sunil Kumar S/o ShriShyam Singh, Krishna Vihar, Main Mandoli Road, Loni, Ghaziabad	Scrap godown and item dismantling		Electrical connection disconnected and unit sealed	1

134	ShriBhramPrakash, Krishna Vihar- II, Loni, Ghaziabad	Pit furnace
135	ShriBhramPrakash, Krishna Vihar- II, Loni, Ghaziabad	Pit furnace
136	ShriBhramPrakash, Krishna Vihar- II, Loni, Ghaziabad	Pit furnace
137	ShriBhramPrakash, Krishna Vihar- II, Loni, Ghaziabad	Pit furnace
138	ShriBhramPrakash, Krishna Vihar- II, Loni, Ghaziabad	Pit furnace
139	ShriBhramPrakash, Krishna Vihar- II, Loni, Ghaziabad	Pit furnace
140	Unknown, Krishna Vihar- II, Loni, Ghaziabad	Pit furnace
141	Unknown, Krishna Vihar- II, Loni, Ghaziabad	Pit furnace
142	Unknown, Krishna Vihar- II, Loni, Ghaziabad	Pit furnace
143	Unknown, Krishna Vihar- II, Loni, Ghaziabad	Pit furnace
144	Unknown, Krishna Vihar- II, Loni, Ghaziabad	Pit furnace
145	Unknown, Krishna Vihar- II, Loni, Ghaziabad	Pit furnace
146	ShriKanhaiyya, Krishna Vihar- II, Loni, Ghaziabad	Pit furnace
147	Shri Ajay Pal, Krishna Vihar- II, Loni, Ghaziabad	Pit furnace
148	ShriRaam veer, Krishna Vihar- II, Loni, Ghaziabad	Godown
149	Unknown, Krishna Vihar- II, Loni, Ghaziabad	Pit furnace
150	Unknown, Krishna Vihar- II, Loni, Ghaziabad	Pit furnace
151	Unknown, Krishna Vihar- II, Loni, Ghaziabad	Pit furnace
152	Unknown, Krishna Vihar- II, Loni, Ghaziabad	Pit furnace

Electrical connection disconnected and unit sealed	1
Electrical connection disconnected and unit sealed	1
Electrical connection disconnected and unit sealed	1
Electrical connection disconnected and unit sealed	1
Electrical connection disconnected and unit sealed	1
Electrical connection disconnected and unit sealed	1
Electrical connection disconnected and unit sealed	1
Electrical connection disconnected and unit sealed	1
Electrical connection disconnected and unit sealed	1
Electrical connection disconnected and unit sealed	1
Electrical connection disconnected and unit sealed	1
Electrical connection disconnected and unit sealed	1
Electrical connection disconnected and unit sealed	1
Electrical connection disconnected and unit sealed	1
Electrical connection disconnected and unit sealed	1
Electrical connection disconnected and unit sealed	1
Electrical connection disconnected and unit sealed	1
Electrical connection disconnected and unit sealed	1
GDA has issued notice to the unit during inspection for establishment of industrial unit against land use	1
Electrical connection disconnected and unit sealed	1
Electrical connection disconnected and unit sealed	1
Electrical connection disconnected and unit sealed	1
Electrical connection disconnected and unit sealed	1

153	Unknown, Krishna Vihar- II, Loni, Ghaziabad	Pit furnace		Electrical connection disconnected and unit sealed	1
154	Unknown, Krishna Vihar- II, Loni, Ghaziabad	Pit furnace		Electrical connection disconnected and unit sealed	1
155	Unknown, Krishna Vihar- II, Loni, Ghaziabad	Pit furnace		Electrical connection disconnected and unit sealed	1
156	Unknown, Krishna Vihar- II, Loni, Ghaziabad	Pit furnace		Electrical connection disconnected and unit sealed	1
157	Unknown, Krishna Vihar- II, Loni, Ghaziabad	Pit furnace		Electrical connection disconnected and unit sealed	1
158	Unknown, Krishna Vihar- II, Loni, Ghaziabad	Pit furnace		Electrical connection disconnected and unit sealed	1
159	Unknown, Krishna Vihar- II, Loni, Ghaziabad	Pit furnace		Electrical connection disconnected and unit sealed	1
160	Unknown, Krishna Vihar- II, Loni, Ghaziabad	Pit furnace		Electrical connection disconnected and unit sealed	1
161	Shri Raj Kumar Singh, Krishna Vihar- II, Loni, Ghaziabad	Pit furnace		Electrical connection disconnected and unit sealed	1
162	ShriBrajpal, Krishna Vihar- II, Loni, Ghaziabad	Pit furnace		Electrical connection disconnected and unit sealed	1
163	Unknown, Krishna Vihar- II, Loni, Ghaziabad	Pit furnace		Electrical connection disconnected and unit sealed	1
164	M/s Krishna MurariUdyog, Krishna Vihar- II, Loni, Ghaziabad	Pit Furnace		Electrical connection disconnected and unit sealed	1
165	Shri Sachin S/o ShriChaanga, Shakti Garden , AmitVihar, Loni, Ghaziabad	Pit Furnace	4/16/2018	Electrical connection disconnected and unit sealed	1
166	ShriRayees S/o ShriTilak Ram, Shakti Garden , AmitVihar, Loni, Ghaziabad	Pit Furnace		Electrical connection disconnected and unit sealed	1
167	ShriMonu, Shakti Garden , AmitVihar, Loni, Ghaziabad	Pit Furnace		Electrical connection disconnected and unit sealed	1
168	ShriMonu, Shakti Garden , AmitVihar, Loni, Ghaziabad	Pit Furnace		Electrical connection disconnected and unit sealed	1
169	ShriMonu, Shakti Garden , AmitVihar, Loni, Ghaziabad	Pit Furnace		Electrical connection disconnected and unit sealed	1
170	ShriMonu, Shakti Garden , AmitVihar, Loni, Ghaziabad	Pit Furnace		Electrical connection disconnected and unit sealed	1
171	ShriMonu, Shakti Garden , AmitVihar, Loni, Ghaziabad	Pit Furnace		Electrical connection disconnected and unit sealed	1
172	ShriMonu, Shakti Garden , AmitVihar, Loni, Ghaziabad	Pit Furnace		Electrical connection disconnected and unit sealed	1

199	Unknown, Shakti Garden , AmitVihar, Loni, Ghaziabad				1
200	Unknown, Shakti Garden , AmitVihar, Loni, Ghaziabad				1
201	M/s Ruby KacchriUdyog (ShriRizwaan), 24, Roop Nagar, Loni, Ghaziabad	Noodles manufacturing	4/18/2018	Electrical connection disconnected and unit sealed	1
202	Om Plastic, Roop Nagar, Loni, Ghaziabad	Plastic melting		Electrical connection disconnected and unit sealed	1
203	Shri Shadaab Ali, B- 85, Roop Nagar industrial area, Loni, Ghaziabad	RO Plant		Borewell dismantled and sealed in compliance of Hon'ble NGT order as the unit does not have permission from CGWA for extraction of ground water	1
204	M/s Poonam Enterprises, B- 7, Roop Nagar Industrial area, Loni, Ghaziabad	Jeans Dyeing and washing		Unit sealed and electric connection disconnected in compliance to the closure order dated 22/1/2018 issued by UPNCP	1
205	M/s Vikas Jeans, Shabhaapur Vistaar, Chaman Vihar, Loni, Ghaziabad	Jeans Dyeing and washing	4/19/2018	Unit sealed and electric connection	1
206	M/s Aalishaan Fibre Product (Prop Moh Sameer), Shabhaapur Vistaar, Chaman Vihar, Loni, Ghaziabad	Jeans Dyeing and washing		Unit sealed and electric connection	1
207	M/s Shri Baba Washing (Shri Shailender), Shabhaapur Vistaar, Chaman Vihar, Loni, Ghaziabad	Jeans Dyeing and washing		Unit sealed and electric connection	1
208	Unknown, Shabhaapur Vistaar, Chaman Vihar, Loni, Ghaziabad	Jeans Dyeing and washing		Unit sealed and electric connection	1
209	Unknown, Shabhaapur Vistaar, Chaman Vihar, Loni, Ghaziabad	Jeans Dyeing and washing		Unit sealed and electric connection	1
210	Shri Sumit Pradhaan, Shabhaapur Vistaar, Chaman Vihar, Loni, Ghaziabad	Fabric Dyeing		Unit sealed and electric connection	1
211	M/s Krish Kraft (Prop Shri Farukh Jamaal), Vikas Kunj, Shabhaapur Vistaar Loni, Ghaziabad	Silk Thread Sticking		GDA has issued notice to the unit during inspection for establishment of industrial unit against land use	1
212	Unknown, Chaman Vihar, Loni, Ghaziabad	Jeans Dyeing and washing		Unit sealed and electric connection	1
213	Unknown, Chaman Vihar, Loni, Ghaziabad	Jeans Dyeing and washing		Unit sealed and electric connection	1
214	Unknown, Chaman Vihar, Loni, Ghaziabad	Jeans Dyeing and washing		Unit sealed and electric connection	1
215	Subhash Jeans Dyeing, Chaman Vihar, Loni, Ghaziabad	Jeans Dyeing and washing		Unit sealed and electric connection	1
216	Shri Shyam Veer S/o Shri Raghuvveer, Chaman Vihar, Pusta Road, Loni, Ghaziabad	Jeans Dyeing and washing	4/20/2018	Unit sealed and electric connection	1
217	Shri Shyam Veer S/o Shri Raghuvveer, Chaman Vihar, Pusta Road, Loni, Ghaziabad	Jeans Dyeing and washing		Unit sealed and electric connection	1

218	Shri Shyam Veer S/o Shri Raghuvеer, Chaman Vihar, Pusta Road, Loni, Ghaziabad	Jeans Dyeing and washing		Unit sealed and electric connection	1
219	Shri Shyam Veer S/o Shri Raghuvеer, Chaman Vihar, Pusta Road, Loni, Ghaziabad	Jeans Dyeing and washing		Unit sealed and electric connection	1
220	Shri Shyam Veer S/o Shri Raghuvеer, Chaman Vihar, Pusta Road, Loni, Ghaziabad	Jeans Dyeing and washing		Unit sealed and electric connection	1
221	Shri Shyam Veer S/o Shri Raghuvеer, Chaman Vihar, Pusta Road, Loni, Ghaziabad	Jeans Dyeing and washing		Unit sealed and electric connection	1
222	Shri Shyam Veer S/o Shri Raghuvеer, Chaman Vihar, Pusta Road, Loni, Ghaziabad	Jeans Dyeing and washing		Unit sealed and electric connection	1
223	Unknown, Chaman Vihar, Pusta Road, Loni, Ghaziabad	Jeans Dyeing and washing		Unit sealed and electric connection	1
224	M/s Vaishnavi Dyeing, Chaman Vihar, Pusta Road, Loni, Ghaziabad	Jeans Dyeing and washing		Unit sealed and electric connection	1
225	Satpal Pradhaan, Chaman Vihar, Pusta Road, Loni, Ghaziabad	Fabric Dyeing		Unit sealed and electric connection	1
226	M/s Karan Washing (Shri Karan Singh), Chaman Vihar, Pusta Road, Loni, Ghaziabad	Jeans Dyeing and washing		Unit sealed and electric connection	1
227	Shri Ashok Verma, Chaman Vihar, Pusta Road, Loni, Ghaziabad	Fabric Dyeing		Unit sealed and electric connection	1
228	Smt Asha Devi, Chaman Vihar, Pusta Road, Loni, Ghaziabad	Screen Printing		Unit sealed and electric connection	1
229	M/s Kishan Bhagal, Chaman Vihar, Pusta Road, Loni, Ghaziabad	Screen Printing		GDA has issued notice to the unit during inspection for establishment of industrial unit against land use	1
230	Unknown, Chaman Vihar, Pusta Road, Loni, Ghaziabad	Jeans Dyeing and washing		Unit sealed and electric connection	1
231	Unknown, Chaman Vihar, Pusta Road, Loni, Ghaziabad	Jeans Dyeing and washing		Unit sealed and electric connection	1
232	Unknown, Chaman Vihar, Pusta Road, Loni, Ghaziabad	Jeans Dyeing and washing		Unit sealed and electric connection	1
233	Shri Vinod Kumar, Sant Colony Loni, Gzb	Jeans Dyeing	21.04.2018	Unit dismantling electric connection disconnected.	1
234	Unknown Name, Ankur Enclave, Loni, gzb	Jeans washing		Unit dismantling electric connection disconnected.	1
235	Shri Caran Dev, Ankur Enclave Loni, Gzb	Jeans Dyeing		Unit dismantling electric connection disconnected.	1
236	Shri Pappu, Ankur Enclave Loni, Gzb	Jeans Dyeing		Unit sealed electric connection disconnected.	1
237	Shri Yashpal Chawla, Ali Nagar, Ankur Enclave, Loni, Gzb	Printing Press		Unit sealed electric connection disconnected.	1
238	Shri Hasim Ali Nagar, Ankur Enclave, Loni, Gzb	Jeans washing		Unit sealed electric connection disconnected.	1

239	Shri Ali Mohamad, Ali Nagar, Ankur Enclave, Loni, Gzb	Jeans Dyeing		Unit sealed electric connection <u>disconnected.</u>	1
240	Shri Vinod, Karawal Nagar wale, Ankur Enclave, Loni, Gzb	Jeans Dyeing		Unit sealed electric connection <u>disconnected.</u>	1
241	Shri Sahid, Ankur Enclave, Loni, Gzb	Jeans Dyeing		Unit sealed electric connection <u>disconnected.</u>	1
242	Shri Pal Prem, Ankur Enclave, Loni, Gzb	Jeans Dyeing		Unit sealed electric connection <u>disconnected.</u>	1
243	Shri M.S. Chemical, Ankur Enclave, Loni, Gzb	Chemical		Unit sealed electric connection <u>disconnected.</u>	1
244	Unknown Nane, Enclave, Loni, Gzb	Jeans Dyeing		Unit sealed electric connection <u>disconnected.</u>	1
245	Unknown Nane, Enclave, Loni, Gzb	Jeans Dyeing		Unit sealed electric connection <u>disconnected.</u>	1
246	M/s. Madhur Ice Cream, Krishna Vihar, Phase-2, Loni, Gzb	Ice Cream	24.04.2018	Unit sealed electric connection <u>disconnected.</u>	1
247	M/s. Tinku Dhalai Factory, Krishna Vihar, Phase-2, Loni, Gzb	Metal Scrap		Unit sealed electric connection <u>disconnected.</u>	1
248	Unknown E-Waste Godown, Krishna Vihar, Phase-2, Loni, Gzb	E-waste Godown		Unit sealed electric connection <u>disconnected.</u>	1
249	M/s Roop Pal Belt Udyog, House No-34, Govind Town, Kumhar Colony, Krishna Vihar, Loni, Gzb	Belt bakal powder		Unit sealed electric connection <u>disconnected.</u>	1
250	Shri Shri Rardeer Singh, Amit Vihar, Loni, Gzb	Ingot Ugyog		Unit sealed electric connection <u>disconnected.</u>	1
251	M/s. Bala Ji Fabrication & Engg. Amit Vihar, Loni, Gzb	Fabrication work		Unit sealed electric connection <u>disconnected.</u>	1
252	Shri Lav Kush Pandey, Amit Vihar, Loni, Gzb	E-waste repairing		Unit sealed electric connection <u>disconnected.</u>	1
253	Shri Ram Aachal , Amit Vihar, Loni, Gzb	Aluminium ingot		Unit sealed electric connection <u>disconnected.</u>	1
254	Shri Ramesh Yadav, Amit Viahr, Loni, Gzb	Battery Scrap & lead ingots		Unit sealed electric connection <u>disconnected.</u>	1
255	Shri Ram Niwas, Plot No. D-8/19, DLF Ankur Vihar, Loni, gzb	Jeans Dyeing	25.04.2018	Unit sealed electric connection <u>disconnected.</u>	1
256	Unknown Name Udyog, Sabhapur, Vistar, Loni, Gzb	Jeans Dyeing		Unit sealed electric connection <u>disconnected.</u>	1
257	M/s. Raj Bala Dyeing, Khasra No-979, Sabhapur, Bistar Loni, Gzb	Jeans Dyeing		Unit sealed electric connection <u>disconnected.</u>	1
258	Shri Nilesh Rajput Printing, Khasra No-1192, Sabhapur Bistar Loni, Gzb	Weding Card Printing		Unit sealed electric connection <u>disconnected.</u>	1

259	Shri Vijay Kitgate Aggarwal Chemical Works, Sabhapur Loni, Gzb	Paper/Clothe Gam		Unit sealed electric connection <u>disconnected.</u>	1
260	Unknown Chemical Udyog, Sabhapur Loni, Gzb	Gam Products		Unit sealed electric connection <u>disconnected.</u>	1
261	Ahsan Fiber Art (Unit-2), Viaks Kunj, Sabhapur, Loni, Gzb	Fiber sheet		Unit sealed electric connection <u>disconnected.</u>	1
262	M/s. Radhe Cards & I, Khasra No-1190, Vikas Kunj, Sabhapur Loni, gzb	Paper/Card		Unit sealed electric connection <u>disconnected.</u>	1
263	M/s. Almach Sadhi Cards, Khasra No-1190, Vikas Kunj, Sabhapur Loni, gzb	Paper/Card		Unit sealed electric connection <u>disconnected.</u>	1
264	M/s. Naresh Kumar RO Plant, Khasra No-359, SLF Dev Vihar, Loni, gzb	RO Plant		Unit sealed electric connection <u>disconnected.</u>	1
265	Shri Prem Kumar RO Plant, Rajdhani Enclave, Sadikpur, Loni, Gzb	RO Plant	27.04.2018	Unit sealed electric connection <u>disconnected.</u>	1
266	Shri Arvind Sharma Ro Plant, Rajdhani Enclave, Sadikpur, Loni, Gzb	RO plant		Unit sealed electric connection <u>disconnected.</u>	1
267	Sahnawaj S/o. Shri Modh. Yashmin RO Plant, Punit Enclave Park Sadikpir, Loni, Gzb	RO Plant		Unit sealed electric connection <u>disconnected.</u>	1
268	Shri Jaan Mohd. S/o. Shri Akbar Ali, Khurana Enclave Pooja Colony, Loni, Gzb	RO Plant		Unit sealed electric connection <u>disconnected.</u>	1
269	Shri Surendra S/o. Shri Hari Singh, Param Hans Vihar Loni, Ghaziabad	Helmet factory	01.05.2018	Unit sealed and electric connection <u>disconnected.</u>	1
270				Unit sealed and electric connection <u>disconnected.</u>	1
271	Modh. Irshad S/o. Shri Alauddin, Param Hans Vihar Loni, Ghaziabad	Cloth washing/dyeing		Unit sealed and electric connection <u>disconnected.</u>	1
272	Modh. Irshad (Aone Dyers), Param Hans Vihar Loni, Ghaziabad	Cloth washing/dyeing		Unit sealed and electric connection <u>disconnected.</u>	1
273	Shri Roshan S/o. Shri Ismuddin, Param Hans Vihar Loni, Ghaziabad	Cloth washing/dyeing		Unit sealed and electric connection <u>disconnected.</u>	1
274	Shri Surendra S/o. Shri Hasri Singh, Param Hans Vihar Loni, Ghaziabad	Helmet factory		Unit sealed and electric connection <u>disconnected.</u>	1
275				Unit sealed and electric connection <u>disconnected.</u>	1
276	M/s. Naval Kishore, Pawan Kumar House No-312, Param Hans Vihar Loni, Ghaziabad	Cloth washing/dyeing		Unit sealed and electric connection <u>disconnected.</u>	1
277	M/s. Bhupendra Dairy, Param Hans Vihar Loni, Ghaziabad	Dairy		Unit sealed and electric connection <u>disconnected.</u>	1
278	Unknown Electric Co. No-6205/684367, Param Hans Vihar Loni, Ghaziabad	Cloth washing/dyeing		Unit sealed and electric connection <u>disconnected.</u>	1
279	Shri Illu, M. No.-6205-674710, Param Hans Vihar Loni, Ghaziabad	Cloth washing/dyeing		Unit sealed and electric connection <u>disconnected.</u>	1
280	Shri Iliyash M. No.-6205-674710, Param Hans Vihar Loni, Ghaziabad	Cloth washing/dyeing		Unit sealed and electric connection <u>disconnected.</u>	1

281	Unknown Electric Co. No-6215/642982, Param Hans Vihar Loni, Ghaziabad	Cloth washing/dyeing		Unit sealed and electric connection disconnected.	1
282	Shri Badri Electric Co. No-6205/707909, Param Hans Vihar Loni, Ghaziabad	Cloth washing/dyeing		Unit sealed and electric connection disconnected.	1
283	M/s Aarti Enterprises, A-214, Laxmi Garden, Loni Ghaziabad	Dyeing and washing	8.5.2018	Unit sealed electric connection disconnected.	1
284	Moh Dyeing and Washing, Laxmi Garden, Loni, Ghaziabad	Dyeing and washing		Unit sealed electric connection disconnected.	1
285	Shri Ranjeet Rathore Jeans Dyeing, Laxmi Garden, Loni, Ghaziabad	Dyeing and washing		Unit sealed electric connection disconnected.	1
286	Shri Rajkumar Dagar (Rodi Dust), Nahar Road Behta hazipur, Loni, Ghaziabad.	Rodi Dust	10.05.2018	Collection the fine	1
287	Shri Amar Traders (Rodi Dust), Nahar Road Behta hazipur, Loni, Ghaziabad.	Rodi Dust		Collection the fine	1
288	Shri Shiv Builders (Rodi Dust), Nahar Road Behta hazipur, Loni, Ghaziabad.	Rodi Dust		Collection the fine	1
289	Shri Umesh Builders (Rodi Dust), Nahar Road Behta hazipur, Loni, Ghaziabad.	Rodi Dust		Collection the fine	1
290	Shri Baba Builders (Rodi Dust), Nahar Road Behta hazipur, Loni, Ghaziabad.	Rodi Dust		Collection the fine	1
291	Shri Gupta Builders (Rodi Dust), Nahar Road Behta hazipur, Loni, Ghaziabad.	Rodi Dust		Collection the fine	1
292	Shri Yadav Builders (Rodi Dust), Nahar Road Behta hazipur, Loni, Ghaziabad.	Rodi Dust		Collection the fine	1
293	Shri Bhai Sahab (Rodi Dust), Nahar Road Behta hazipur, Loni, Ghaziabad.	Rodi Dust		Collection the fine	1
294	Shri Dharamendra Builders (Rodi Dust), Nahar Road Behta hazipur, Loni, Ghaziabad.	Rodi Dust		Collection the fine	1
295	Laxmi Devi Burner Casting, Gali ni 1, Krishna Vihar Phase - 2, Loni, Ghaziabad	Pit furnace	24.5.2018	Unit sealed electric connection disconnected.	1
296	Jai Mavi Dhalai S/o Nekpal Singh, Gali no 1, Krishna Vihar - 2, Loni, Ghaziabad	Pit furnace		Unit dismantled	1
297	Dharamveer Singh Dhalai Unit, Gali no 1, Krishna Vihar - 2, Loni, Ghaziabad	Pit furnace		Unit dismantled	1
298	Geeta Devi S/o Shri Krishan Pal, Gali no 1, Krishna Vihar - 2, Loni, Ghaziabad	Pit furnace		Unit Dismantled	1
299	Meva RamS/o Ram Nath, Main Mandoli Road, Krishna Vihar - 2, Loni, Ghaziabad	Pit furnace		Unit Dismantled	1
300	Shri JageRam S/o Shri Bhole Ram, Main Mandoli Road, Krishna Vihar - 2, Loni, Ghaziabad	Plastic melting		Notice sent by GDA	1
301	Unknown Dhalai Unit, near dinesh pehelwan godown, Krishna Vihar- 2, Loni, Ghaziabad	Pit furnace		Unit dismantled	1
302	Dinesh Kumar, Main Mandoli Road, Krishna Vihar - 2, Loni, Ghaziabad	Pit furnace		Unit sealed and electricity connection disconnected.	1
303	Lata Gupta Dhalai unit, Main Mandoli Road, Gali no 1, Krishna Vihar- 2, Loni, Ghaziabad	Pit furnace		Unit sealed and electricity connection disconnected.	1
304	Sanjay Dhalai unit, Main Mandoli Road, Gali no 1, Krishna Vihar- 2, Loni, Ghaziabad	Pit furnace		Unit sealed and electricity connection disconnected.	1

305	Unknown ,jeans dyeing unit, Arya Nagar, Loni, Ghaziabad	Jeans Dyeing and washing	20.6.2018	Electricity connection disconnected	1
306	Unknown ,jeans dyeing unit, Arya Nagar, Loni, Ghaziabad	Jeans Dyeing and washing		Electricity connection disconnected	1
307	Unknown ,jeans dyeing unit, Arya Nagar, Loni, Ghaziabad	Jeans Dyeing and washing		Electricity connection disconnected	1
308	Neelkanth Engineering Works, Krishna Vihar Phase- 1, Behta Hazipur, Loni, Ghaziabad	Foundry for melting iron / aluminuimand making Engg Parts	22.6.2018	Unit sealed and electricity connection disconnected	1
309	Savitri Engineering Works(Unit - 1), Krishna Vihar Phase- 1, Behta Hazipur, Loni, Ghaziabad	Machining and rubbing		Unit sealed and electricity connection disconnected	1
310	Savitri Engineering Works(Unit - 2), Krishna Vihar Phase- 1, Behta Hazipur, Loni, Ghaziabad	Machining and rubbing		Unit sealed and electricity connection disconnected	1
311	Rajesh Plating works, Krishna Vihar phase 1, Behta Hazipur, Loni, Ghaziabad	Electroplating work		Unit sealed and electricity connection disconnected	1
312	Deepak Metal Works, Krishna Vihar phase 1, Behta Hazipur, Loni, Ghaziabad	Electroplating work		Unit sealed and electricity connection disconnected	1
313	Subhash Sharma (Cookeer Pin works), Krishna Vihar phase 1, Behta Hazipur, Loni, Ghaziabad	Machine/ fabrication		Unit sealed and electricity connection disconnected	1
314	Maharaja Steel Works (Unit- 1), Krishna Vihar phase 1, Behta Hazipur, Loni, Ghaziabad	Machining and rubbing		Unit sealed and electricity connection disconnected	1
315	Maharaja Steel Works (Unit- 2), Krishna Vihar phase 1, Behta Hazipur, Loni, Ghaziabad	Machining and rubbing		Unit sealed and electricity connection disconnected	1
316	Maharaja Steel Works (Unit- 3), Krishna Vihar phase 1, Behta Hazipur, Loni, Ghaziabad	Machining and rubbing		Unit sealed and electricity connection disconnected	1
317	Arora Koyla Fire Brick Works, Krishna Vihar phase 1, Behta Hazipur, Loni, Ghaziabad	Foundry		Unit sealed and electricity connection disconnected	1
318	Baba Ramji Works, Krishna Vihar phase 1, Behta Hazipur, Loni, Ghaziabad	Machining and rubbing		Unit sealed and electricity connection disconnected	1
319	Pramod Foundry Works, Krishna Vihar phase 1, Behta Hazipur, Loni, Ghaziabad	Foundry		Unit sealed and electricity connection disconnected	1
320	Unknown Foundry, Krishna Vihar phase 1, Behta Hazipur, Loni, Ghaziabad	Foundry		Unit sealed and electricity connection disconnected	1
321	Maharaja Check Valve unit, Krishna Vihar phase 1, Behta Hazipur, Loni, Ghaziabad	Machine parts		Unit sealed and electricity connection disconnected	1
322	Moh Irshad S/o Allauddin, House no A14, Lal Mandir wali Gali, Paramhans Vihar, Loni, Ghaziabad	Jeans Dyeing and washing	25.6.2018	Unit sealed and electricity connection disconnected	1
323	M/s Vikky Rathore yeing, Indirapuri, Laxmi Garden Loni, Ghaziabad	Jeans Dyeing and washing		Unit sealed and electricity connection disconnected	1
324	Shri Sarvesh Sharma S/o Late Shri Satyaprakash Sharma, B-121, Paramhans Vihar, Loni, Ghaziabad	Jeans Dyeing and washing		Unit sealed and electricity connection disconnected	1

325	Mayur Malik Dyeing Works, Prashant Vihar, Near Roop Nagar Puliya, Loni, Ghaziabad	Jeans Dyeing and washing	26.6.2018	Unit sealed and electricity connection <u>disconnected</u>	1
326	Raju Dyeing and Washing, Prashant Vihar, Near Roop Nagar Puliya, Loni, Ghaziabad	Jeans Dyeing and washing		Unit sealed and electricity connection <u>disconnected</u>	1
327	Roshan Rubber Works, Prashant Vihar, Near Roop Nagar Puliya, Loni, Ghaziabad	Auto parts		Unit sealed and electricity connection <u>disconnected</u>	1
328	Santosh Washing, Sahadullabad, Loni, Ghaziabad	Jeans Dyeing and washing		Unit sealed and electricity connection <u>disconnected</u>	1
329	Sanjay Chaudhary Dyeing Works, Sahdullabad, Loni, Ghaziabad	Jeans Dyeing and washing		Unit sealed and electricity connection <u>disconnected</u>	1
330	Mahesh and Dilshad Dyeing Works, Sahdullabad, Loni, Ghaziabad	Jeans Dyeing and washing		Unit sealed and electricity connection <u>disconnected</u>	1
331	Raju Chaudhary Jeans Dyeing, Vikas Nagar City Market, Loni, Ghaziabad	Jeans Dyeing and washing	27.6.2018	Unit sealed and electricity connection <u>disconnected</u>	1
332	Guddu alias Abdul S/o Shri Makkhan Khan, Sahdullabad, Loni, Ghaziabad	Jeans Dyeing and washing		Unit sealed and electricity connection <u>disconnected</u>	1
333	Shri Sukhpal S/o Shri Ram Kishan, Jabbar Garden. Sahdullabad, Loni, Ghaziabad	Jeans Dyeing and washing		Unit sealed and electricity connection <u>disconnected</u>	1
334	Moh Nazir S/o Moh Irshad, Jabbar Garden, Sahdullabad, Loni, Ghaziabad	Jeans Dyeing and washing		Unit sealed and electricity connection <u>disconnected</u>	1
335	M/S Mini Ice Mill, Rashid Ali Gate, Loni, Ghaziabad	Ice Slabs manufacturing	2.7.2018	Unit sealed and electricity connection <u>disconnected</u>	1
336	M/s Aggarwal Ice Factory, A21, Roop Nagar Industrial Area, Loni, Ghaziabad	Ice Slabs Manufacturing		Unit sealed and electricity connection <u>disconnected</u>	1
337	M/s Ruby Ice Factory, B-85, Roop Nagar Industrial area, Loni, Ghaziabad	Ice Slabs Manufacturing		Unit sealed and electricity connection <u>disconnected</u>	1
338	M/s Tirupati Ice Factory, Loni, Ghaziabad	Ice Slabs Manufacturing	4.7.2018	Unit sealed and electricity connection <u>disconnected</u>	1
339	Sagar Ice Factory, 349, Aslatpur Loni, Ghaziabad	Ice Slabs Manufacturing		Unit sealed and electricity connection <u>disconnected</u>	1
340	M/s Shiv Ice Mill, C-26, Roop Nagar Industrial Area, Ghaziabad	Ice Slabs Manufacturing	6.7.2018	Unit sealed and electricity connection <u>disconnected</u>	1
341	M/s Vardhman Ice Factory, 9, Industrial Estate, Loni, Ghaziabad	Ice Slabs manufacturing	12.7.2018	Unit sealed and electricity connection <u>disconnected</u>	1
342	M/s Arihant Ice Factory, S-8, Loni Industrial Estate, Loni, Ghaziabad	Ice slabs Manufacturing		Unit sealed and electricity connection <u>disconnected</u>	1
343	Paras Ice Factory, 48, Arya Nagar industrial area, Loni, Ghaziabad	Ice slabs manufacturing		Unit sealed and electricity connection <u>disconnected</u>	1
344	M/s Kripal Foundry Works Unit 1, Krishna Vihar Phase 1, Loni, Ghaziabad	Foundry Works	18.7.2018	Unit sealed and electricity connection <u>disconnected</u>	1

345	M/s Kripal Foundry Works Unit 2, Krishna Vihar Phase 1, Loni, Ghaziabad	Foundry Works		Unit sealed and electricity connection <u>disconnected</u>	1
346	M/s Nanhe Khan Foundry Works, Krishna Vihar Phase 1, Loni, Ghaziabad	Foundry Works		Unit sealed and electricity connection <u>disconnected</u>	1
347	M/s Ramesh Foundry Works, Krishna Vihar Phase 1, Loni, Ghaziabad	Foundry Works		Unit sealed and electricity connection <u>disconnected</u>	1
348	Unkown , Krishna Vihar Phase 1, Loni, Ghaziabad	Foundry Works		Unit sealed and electricity connection <u>disconnected</u>	1
349	Unkown , Krishna Vihar Phase 1, Loni, Ghaziabad	Foundry Works		Unit sealed and electricity connection <u>disconnected</u>	1
350	Unkown , Krishna Vihar Phase 1, Loni, Ghaziabad	Foundry Works		Unit sealed and electricity connection <u>disconnected</u>	1
351	Unkown , Krishna Vihar Phase 1, Loni, Ghaziabad	Foundry Works		Unit sealed and electricity connection <u>disconnected</u>	1
352	Unknown, Sabhapur Village Santh Nagar, Loni Ghaziabad			Unit sealed and electricity connection <u>disconnected</u>	1
353	Unknown, Sabhapur Village Santh Nagar, Loni Ghaziabad			Unit sealed and electricity connection <u>disconnected</u>	1
354	Unknown, Sabhapur Village Santh Nagar, Loni Ghaziabad			Unit sealed and electricity connection <u>disconnected</u>	1
355	Unknown, Sabhapur Village Santh Nagar, Loni Ghaziabad			Unit sealed and electricity connection <u>disconnected</u>	1
356	Unknown, Sabhapur Village Santh Nagar, Loni Ghaziabad			Unit sealed and electricity connection <u>disconnected</u>	1
357	Unknown, Sabhapur Village Santh Nagar, Loni Ghaziabad			Unit sealed and electricity connection <u>disconnected</u>	1
358	Unknown, Sabhapur Village Santh Nagar, Loni Ghaziabad			Unit sealed and electricity connection <u>disconnected</u>	1
359	Unknown, Sabhapur Village Santh Nagar, Loni Ghaziabad			Unit sealed and electricity connection <u>disconnected</u>	1
360	Unknown, Sabhapur Village Santh Nagar, Loni Ghaziabad			Unit sealed and electricity connection <u>disconnected</u>	1
361	Unknown, Sabhapur Village Santh Nagar, Loni Ghaziabad			Unit sealed and electricity connection <u>disconnected</u>	1
362	Unknown, Sabhapur Village Santh Nagar, Loni Ghaziabad			Unit sealed and electricity connection <u>disconnected</u>	1
363	M/s. Abrar Jeans Dyeing, Hans Garden, Tila Sahabazpur, Loni, Ghaziabad.	Jeans Dyeing and Washing	15.08.2018	Unit sealed and electricity connection <u>disconnected</u>	1
364	M/s. Premod Jeans Dyeing, Hans Garden, Tila Sahabazpur, Loni, Ghaziabad.	Jeans Dyeing and Washing		Unit sealed and electricity connection <u>disconnected</u>	1

365	M/s. Satish Kumar S/o. Shri Chandra Bhan, Hans Garden, Tila Sahabazpur, Loni, Ghaziabad.	Jeans Dyeing and Washing		Unit sealed and electricity connection disconnected	1
366	M/s. Champu Hans Garden, Tila Sahabazpur, Loni, Ghaziabad.	Jeans Dyeing and Washing		Unit sealed and electricity connection disconnected	1
367	M/s. Rajkumar Dixit, Hans Garden, Tila Sahabazpur, Loni, Ghaziabad.	Jeans Dyeing and Washing		Unit sealed and electricity connection disconnected	1
368	M/s. Brij Mohan, Hans Garden, Tila Sahabazpur, Loni, Ghaziabad.	Jeans Dyeing and Washing		Unit sealed and electricity connection disconnected	1
369	M/s. Sarvesh Kumar (Nela Gate) Jeans Dyeing, Hans Garden, Tila Sahabazpur, Loni, Ghaziabad.	Jeans Dyeing and Washing		Unit sealed and electricity connection disconnected	1
370	M/s. Arvind Jeans Dyeing, Hans Garden, Tila Sahabazpur, Loni, Ghaziabad.	Jeans Dyeing and Washing		Unit sealed and electricity connection disconnected	1
371	M/s. Subodh Jeans Dyeing, Hans Garden, Tila Sahabazpur, Loni, Ghaziabad.	Jeans Dyeing and Washing		Unit sealed and electricity connection disconnected	1
372	M/s. Vinod Jeans Dyeing, Hans Garden, Tila Sahabazpur, Loni, Ghaziabad.	Jeans Dyeing and Washing		Unit sealed and electricity connection disconnected	1
373	M/s. Salung, Hans Garden, Tila Sahabazpur, Loni, Ghaziabad.	Jeans Dyeing and Washing		Unit sealed and electricity connection disconnected	1
374	M/s. Durga Building Material Suppliers, Behta Hazipur, Tila Sahabazpur, Loni, Ghaziabad.	Building material		Unit sealed and electricity connection disconnected	1
375	M/s. Rituraj Dixit S/o. Shri Rajkumar Dixit, Jeans Dyeing Hans Garden, Tila Sahbapur, Loni, Ghaziabad	Jeans Dyeing and W	27.9.2018	Unit sealed and electric	1
376	M/s. Avrar, Jeans Dyeing Hans Garden, Tila Sahbapur, Loni, Ghaziabad	Jeans Dyeing and W		Unit sealed and electric	1
377	M/s. Banti, Jeans Dyeing Hans Garden, Tila Sahbapur, Loni, Ghaziabad	Jeans Dyeing and W		Unit sealed and electric	1
378	M/s. Amit, Jeans Dyeing Hans Garden, Tila Sahbapur, Loni, Ghaziabad	Jeans Dyeing and W		Unit sealed and electric	1
379	M/s. Pramod, Jeans Dyeing Hans Garden, Tila Sahbapur, Loni, Ghaziabad	Jeans Dyeing and W		Unit sealed and electric	1
380	M/s. Brij, Jeans Dyeing Hans Garden, Tila Sahbapur, Loni, Ghaziabad	Jeans Dyeing and W		Unit sealed and electric	1
381	Shri Dayanand Jeans Dyeing, Shanti Nagar Extension, Indirapuri, Loni, Ghaziabad	Jeans Dyeing and washing	22.9.2018	Unit sealed and electricity connection disconnected	1
382	Shri Arvind Jeans Dyeing, Shanti Nagar Extension, Indirapuri, Loni, Ghaziabad	Jeans Dyeing and washing		Unit sealed and electricity connection disconnected	1
383	Lambu Jeans Dyeing, Shanti Nagar Extension, Indirapuri, Loni, Ghaziabad	Jeans Dyeing and washing		Unit sealed and electricity connection disconnected	1
384	Ram Naresh Jeans Dyeing, Shanti Nagar Extension, Indirapuri, Loni, Ghaziabad	Jeans Dyeing and washing		Unit sealed and electricity connection disconnected	1

385	Unknown Jeans Dyeing, Shanti Nagar Extension, Indirapuri, Loni, Ghaziabad	Jeans Dyeing and washing		Unit sealed and electricity connection disconnected.	1
386	Mukesh Foundry, 01, Krishna Vihar-II, Gali No-1, Behta hazipur, Loni, Gbz	Foundry	24.09.2018	Unit sealed and electric connection disconnected.	1
387	Mukesh Foundry, 02, Krishna Vihar-II, Gali No-1, Behta hazipur, Loni, Gbz	Foundry		Unit sealed and electric connection disconnected.	1
388	Mukesh Foundry, 03, Krishna Vihar-II, Gali No-1, Behta hazipur, Loni, Gbz	Foundry		Unit sealed and electric connection disconnected.	1
389	Sunita yadav Dhalai, Amit Vihar, Shanti garden Behta Hazipur, Loni, Gzb	Foundry		Unit sealed and electric connection disconnected.	1
390	Raj Yadav Dhalai, Amit Vihar, Shanti garden Behta Hazipur, Loni, Gzb	Foundry		Unit sealed and electric connection disconnected.	1
391	Mitlesh Yadav Dhalai, Amit Vihar, Shanti garden Behta Hazipur, Loni, Gzb	Foundry		Unit sealed and electric connection disconnected.	1
392	Rekha Gupta Petal Dhalai, Amit Vihar, Shanti garden Behta Hazipur, Loni, Gzb	Foundry		Unit sealed and electric connection disconnected.	1
393	Unknown Name Dhalai, Amit Vihar, Shanti garden Behta Hazipur, Loni, Gzb	Foundry		Unit sealed and electric connection disconnected.	1
394	Devendra Sharma Dhalai, Amit Vihar, Shanti garden Behta Hazipur, Loni, Gzb	Foundry		Unit sealed and electric connection disconnected.	1
395	Unknown Name Dhalai, Amit Vihar, Shanti garden Behta Hazipur, Loni, Gzb	Foundry		Unit sealed and electric connection disconnected.	1
396	Unknown Name Dhalai, Amit Vihar, Shanti garden Behta Hazipur, Loni, Gzb	Foundry		Unit sealed and electric connection disconnected.	1
397	Rekha Rani Gupta Dhalai, Amit Vihar, Shanti garden Behta Hazipur, Loni, Gzb	Foundry		Unit sealed and electric connection disconnected.	1
398	Rahul Trading Company, Amit Vihar, Shanti garden Behta Hazipur, Loni, Gzb	Metal Causting		Unit sealed and electric connection disconnected.	1
399	Narendra Singh Rawat Dhalai, Amit Vihar, Shanti garden Behta Hazipur, Loni, Gzb	Foundry		Unit sealed and electric connection disconnected.	1
400	Salauddin Foundry, Amit Vihar, Shanti garden Behta Hazipur, Loni, Gzb	Foundry		Unit sealed and electric connection disconnected.	1
401	Rajiv Kumar S/o. Khazan Singh, Syndicate Garden Behta Hazipur, Loni, Gzb	Foundry	25.09.2018	Unit sealed and electric connection disconnected.	1
402	Kunti Mawi Foundry Works, Syndicate Garden Behta Hazipur, Loni, Gzb	Foundry		Unit sealed and electric connection disconnected.	1
403	Jitendra Dhalai Udyog, Syndicate Garden Behta Hazipur, Loni, Gzb	Foundry		Unit sealed and electric connection disconnected.	1
404	Alka W/o. Jitendra Kumar Syndicate Garden Behta Hazipur, Loni, Gzb	Koyla		Unit sealed and electric connection disconnected.	1

405	Ashok Kumar S/o. harveer Singh, Syndicate Garden Behta Hazipur, Loni, Gzb	Foundry		Unit sealed and electric connection disconnected.	1
406	Babli Devi W/o. Shubash Chandra, Syndicate Garden Behta Hazipur, Loni, Gzb	Foundry		Unit sealed and electric connection disconnected.	1
407	Santa Devi W/o. Vijay, Syndicate Garden Behta Hazipur, Loni, Gzb	Foundry		Unit sealed and electric connection disconnected.	1
408	Deepak Mawi S/o. Shiv Kumar, Syndicate Garden Behta Hazipur, Loni, Gzb	RO Plant		Unit sealed and electric connection disconnected.	1
409	Sunil jeans udyog, Behta Hazipur, Loni, Ghaziabad	Foundry	28.9.2018	Unit sealed and electric connection disconnected.	1
410	Foudary of surender , Behta Haziour, Loni, Ghaziabaf			Unit sealed and electric connection disconnected.	1
411	Unknown , Behta Haziour, Loni, Ghaziabaf			Unit sealed and electric connection disconnected.	1
412	Unknown , Behta Haziour, Loni, Ghaziabaf			Unit sealed and electric connection disconnected.	1
413	Unknown , Behta Haziour, Loni, Ghaziabaf			Unit sealed and electric connection disconnected.	1
414	Unknown , Behta Haziour, Loni, Ghaziabaf			Unit sealed and electric connection disconnected.	1
415	Sabir S/o. Sri Sirfraz, Khanna nagar Gali No-1, Loni, Gzb	RO Plant	01.10.2018	Unit sealed and electric connection disconnected.	1
416	Dilshad S/o. Hafiz Ali, Khanna Nagar, Gali no 1, Loni, Ghaizabad	Chowmein processing		Unit sealed and electric connection disconnected.	1
417	Raj Noodles, Shri Ram mani tripathi, Khanna Nagar, Goli no 1, Loni, Ghaziabad	Chowmein processing		Unit sealed and electric connection disconnected.	1
418	Shri Dushyant (D.L.F Colony), Royal Garden near, Loni, Ghaziabad	Foundry		Unit sealed and electric connection disconnected.	1
419	Shri Rajeev, DLF Colony, Royal Garden ke paas, Loni, Ghaziabad	Foundry		Unit sealed and electric connection disconnected.	1
420	Shri Naresh S/o Shri Saheb Singh, D.L. F Colony Royal Garden ke paas, Loni, Ghaziabad	Foundry		Unit sealed and electric connection disconnected.	1
421	Unknown Wire burning unit, Village Sakalpura, Loni, Ghaziabad	Waste wire burning	8.10.2018	Unit demolished	1
422	Unknown Wire burning unit, Village Sakalpura, Loni, Ghaziabad	Waste wire burning		Unit demolished	1
423	Unknown Wire burning unit, Village Sakalpura, Loni, Ghaziabad	Waste wire burning		Unit demolished	1
424	Unknown Wire burning unit, Village Sakalpura, Loni, Ghaziabad	Waste wire burning		Unit demolished	1
425	Unknown Wire burning unit, Village Sakalpura, Loni, Ghaziabad	Waste wire burning		Unit demolished	1
426	Unknown Wire burning unit, Village Sakalpura, Loni, Ghaziabad	Waste wire burning		Unit demolished	1

427	Unknown Wire burning unit, Village Sakalpura, Loni, Ghaziabad	Waste wire burning		Unit demolished	1
428	Unknown Wire burning unit, Village Sakalpura, Loni, Ghaziabad	Waste wire burning		Unit demolished	1
429	Shri Salim S/o Ali Mohammad, Vikas Kunj , Loni, Ghaziabad	Foundry	9.10.2018	Unit sealed and electric connection disconnected.	1
430	Shri Somveer Chaudhary, Chaman Vihar, Loni, Ghaziabad	Jeans Dyeing and washing		Unit sealed and electric connection disconnected.	1
431	Shri Mukesh S/o Shei Masuri Lal, Chaman Vihar, Loni, Ghaziabad	Jeans Dyeing and washing		Unit sealed and electric connection disconnected.	1
432	Shri Chaturvedi, Chaman Vihar, Loni, Ghaziabad	Jeans Dyeing and washing		Unit sealed and electric connection disconnected.	1
433	Unknow, Chaman Vihar, Loni, Ghaziabad	Jeans Dyeing and washing		Unit sealed and electric connection disconnected.	1
434	Unknow, Chaman Vihar, Loni, Ghaziabad	Jeans Dyeing and washing		Unit sealed and electric connection disconnected.	1
435	Unknow, Chaman Vihar, Loni, Ghaziabad	Jeans Dyeing and washing		Unit sealed and electric connection disconnected.	1
436	Shri Shekhar Yadav, Gali no 13, Keshav Nagar, Loni. Ghaziabad	Foundry	10.10.2018	Unit sealed and electric connection disconnected.	1
437	Shri Surjeet, Gali no 13, Keshav Nagar, Loni. Ghaziabad	Foundry		Unit sealed and electric connection disconnected.	1
438	Shri Raseenuddinn, Gali no 13, Keshav Nagar, Loni. Ghaziabad	Foundry		Unit sealed and electric connection disconnected.	1
439	Shri Ramesh S/o Shri Ram Ratan, Gali no 13, Keshav Nagar, Loni. Ghaziabad	Lathe machine		Unit sealed and electric connection disconnected.	1
440	Shri Mukesh Pradhan, near SD public School, Soniya Nagar, Loni, Ghaziabad	RO Plant		Unit sealed and electric connection disconnected.	1
441	Shri Yogender Singh Bhandari S/o Kamal Singh Bhandari, Gali no 1, Soniya Nagar, Loni, Ghaziabad	Machining and rubbing		Unit sealed and electric connection disconnected.	1
442	Shri Sunil S/o Sher Singh, Nothora Road, Loni, Ghaziabad	Jeans Dyeing and washing	16.10.2018	Unit sealed and electric connection disconnected.	1
443	Unknown, ParamhansVihar Colony, Loni, Ghaziabad	Jeans Dyeing and washing	17.10.2018	Unit sealed and electric connection disconnected.	1
444	Unknown, ParamhansVihar Colony, Loni, Ghaziabad	Jeans Dyeing and washing		Unit sealed and electric connection disconnected.	1
445	Unknown, ParamhansVihar Colony, Loni, Ghaziabad	Jeans Dyeing and washing		Unit sealed and electric connection disconnected.	1
446	Adarsh Sad, KH33, Laxmi Garder, Loni, Ghaziabad	Colours	29.11.2018	Unit sealed and electric connection disconnected.	1

447	Kasim S/o Sayeed, C-165, Gali no 1, Laxmi Garden, Loni, Ghaziabad	Jesans Dyeing and Washing		Unit sealed and electric connection disconnected.	1
448	Rafeeq, Atri Wali Gali, Loni, Ghaziabad	Jeans Dyeing and washing		Unit sealed and electric connection disconnected.	1
449	Plastic waste foam unit, Teela Shahbajpur, Loni, Ghaziabad	Foanm unit	31.12.2018	Unit sealed and electric connection disconnected.	1
450	jeans dyeing unit, Teela Shahbajpur, Loni, Ghaziabad	Jeans dyeing and washing unit		Unit sealed and electric connection disconnected.	1
451	plastic waste moulding unit, Teela Shahbajpur, Loni, Ghaziabad	Plastic moulding unit		Unit sealed and electric connection disconnected.	1
452	plastic waste storage unit, Teela Shahbajpur, Loni, Ghaziabad	Plastic godown		Unit sealed and electric connection disconnected.	1
453	Unknown metal recovery unit , Krishna Vihar Gaddha , Loni Ghaziabad	Metal recovery unit	1.1.2019	Unit sealed and electric connection disconnected.	1
454	Unknown metal recovery unit , Krishna Vihar Gaddha , Loni Ghaziabad	Metal recovery unit		Unit sealed and electric connection disconnected.	1
455	Unknown metal recovery unit , Krishna Vihar Gaddha , Loni Ghaziabad	Metal recovery unit		Unit sealed and electric connection disconnected.	1
456	Unknown metal recovery unit , Krishna Vihar Gaddha , Loni Ghaziabad	Metal recovery unit		Unit sealed and electric connection disconnected.	1
457	Unknown metal recovery unit , Krishna Vihar Gaddha , Loni Ghaziabad	Metal recovery unit		Unit sealed and electric connection disconnected.	1
458	Unknown metal recovery unit , Krishna Vihar Gaddha , Loni Ghaziabad	Metal recovery unit		Unit sealed and electric connection disconnected.	1
459	Unknown metal recovery unit , Krishna Vihar Gaddha , Loni Ghaziabad	Metal recovery unit		Unit sealed and electric connection disconnected.	1
460	Unknown metal recovery unit , Krishna Vihar Gaddha , Loni Ghaziabad	Metal recovery unit		Unit sealed and electric connection disconnected.	1
461	Unknown metal recovery unit , Krishna Vihar Gaddha , Loni Ghaziabad	Metal recovery unit		Unit sealed and electric connection disconnected.	1
462	Unknown metal recovery unit , Krishna Vihar Gaddha , Loni Ghaziabad	Metal recovery unit		Unit sealed and electric connection disconnected.	1
463	Jaypal Singh jeans Dyeing, Neelam Compound, Arya Nagar, Loni, Ghaziabad	Jeans dyeing and washing	03.01.2019	Unit sealed and electric connection disconnected.	1
464	Lala Ral Sharma jeans Dyeing, Neelam Compound, Arya Nagar, Loni, Ghaziabad	Jeans dyeing and washing		Unit sealed and electric connection disconnected.	1
465	Kalmi Khan jeans Dyeing, Neelam Compound, Arya Nagar, Loni, Ghaziabad	Jeans dyeing and washing		Unit sealed and electric connection disconnected.	1
466	Om Ve er/ Bharat Singh Jeans Dyeing, Teela Shahbajpur, Loni, Ghaziabad	Jeans dyeing and washing	04.1.2019	Unit sealed and electric connection disconnected.	1

467	Bode Ram/ Dharmender Jeans Dyeing, Teela Shahbajpur, Loni, Ghaziabad	Jeans dyeing and washing		Unit sealed and electric connection disconnected.	1
468	Phoolvati Jeans Dyeing, Teela Shahbajpur, Loni, Ghaziabad	Jeans dyeing and washing		Unit sealed and electric connection disconnected.	1
469	Banti/Sateesh Jeans Dyeing, Teela Shahbajpur, Loni, Ghaziabad	Jeans dyeing and washing		Unit sealed and electric connection disconnected.	1
470	Shri Shyam singh Jeans Dyeing, Teela Shahbajpur, Loni, Ghaziabad	Jeans dyeing and washing	11.1.2019	Unit sealed and electric connection disconnected.	1
471	Shri Ram Naresh Sharma Jeans Dyeing unit, Teela Shahbajpur, Loni, Ghaziabad	Jeans Dyeing and washing		Unit sealed and electric connection disconnected.	1
472	Rahul S/o Vinod , Jeans Dyeing unit, Band Gali, Shanti Nagar, Indirapuri, Loni, Ghaziabad	Jeans Dyeing and washing	29.01.2019	Unit sealed and electric connection disconnected.	1
473	Sudheer Sharma S/o Sohanpal Sharma, Jeans Dyeing, Shanti Nagar, Indirapuri, Loni	Jeans Dyeing and washing		Unit sealed and electric connection disconnected.	1
474	Mandeep S/o Mangatram Jeans Dyeing Unit, Shanti Nagar, Indirapuri, Loni	Jeans Dyeing and washing		Unit sealed and electric connection disconnected.	1
475	Vanshika deying B-69, Roop nagar, GZB	Jeans Washing and Dyeing	02.05.2019	Unit sealed and electric connection disconnected.	1
476	Mh. Shalim hazi s/o Sabir add- Premnagar, GZB			Unit sealed and electric connection disconnected.	1
477	Nasim s/o Sabir add-Premnagar			Unit sealed and electric connection disconnected.	1
478	Noorhasan s/o Rafik add- Premnagar			Unit sealed and electric connection disconnected.	1
479	Sonu s/o Anwar add- Premnagar			Unit sealed and electric connection disconnected.	1
480	Irsad S/o Sokien add- premnagar			Unit sealed and electric connection disconnected.	1
481	Riyshad s/o Syamdeen add- premnagar			Unit sealed and electric connection disconnected.	1
482	Sonu s/o Chutan add- premnagar			Unit sealed and electric connection disconnected.	1
483	Shajid S/o kummu add- premnagar			Unit sealed and electric connection disconnected.	1
484	Jafarudeen s/o namalum add- premnagar			Unit sealed and electric connection disconnected.	1
485	Ikbal s/o namalum add- premnagar			Unit sealed and electric connection disconnected.	1
486	Tanveer s/o namalum add- premnagar			Unit sealed and electric connection disconnected.	1

507	Sri jaiswal add-same	Foundry		Unit sealed and electric connection <u>disconnected.</u>	1
508	Sri ram Add- same	Foundry		Unit sealed and electric connection <u>disconnected.</u>	1
509	Sri narayan Add- same	Foundry		Unit sealed and electric connection <u>disconnected.</u>	1
510	Chinghu Add-amit vihar Loni, GZB	Foundry	04.05.2019	Unit sealed and electric connection <u>disconnected.</u>	1
511	Aagyat add- amit vihar Loni, GZB	Foundry		Unit sealed and electric connection <u>disconnected.</u>	1
512	Premlal s/o chhuni lal add- amit vihar, Loni GZB	Foundry		Unit sealed and electric connection <u>disconnected.</u>	1
513	Aagyat add- amit vihar Loni, GZB	Foundry		Unit sealed and electric connection <u>disconnected.</u>	1
514	Aagyat add- amit vihar Loni, GZB	Foundry		Unit sealed and electric connection <u>disconnected.</u>	1
515	Aagyat add- amit vihar Loni, GZB	Foundry		Unit sealed and electric connection <u>disconnected.</u>	1
516	Aagyat add- amit vihar Loni, GZB	Foundry		Unit sealed and electric connection <u>disconnected.</u>	1
517	Aagyat add- amit vihar Loni, GZB	Foundry		Unit sealed and electric connection <u>disconnected.</u>	1
518	Aagyat add- amit vihar Loni, GZB	Foundry		Unit sealed and electric connection <u>disconnected.</u>	1
519	Aagyat add- amit vihar Loni, GZB	Foundry		Unit sealed and electric connection <u>disconnected.</u>	1
520	Indrapal Add-shantnagar Loni, GZB	Foundry	08.05.2019	Unit sealed and electric connection <u>disconnected.</u>	1
521	Indrapal Add-shantnagar Loni, GZB	Foundry		Unit sealed and electric connection <u>disconnected.</u>	1
522	Dhoomsingh Add-shantnagar Loni, GZB	Foundry		Unit sealed and electric connection <u>disconnected.</u>	1
523	Kavita Add-shantnagar Loni, GZB	Foundry		Unit sealed and electric connection <u>disconnected.</u>	1
524	Momin jeens deying Add-shantnagar Loni, GZB	Jeans Washing and Dy		Unit sealed and electric connection <u>disconnected.</u>	1
525	mo Kalin s/o mo nazeer add- khasra no- 292 plot no-5 arya nagar neelam compund, Loni GZB	Jeans Washing and Dy		Unit sealed and electric connection <u>disconnected.</u>	1
526	Rama sharma Add- khasra no-317/1 arya nagar neelam compund Loni, GZB	Jeans Washing and Dy		Unit sealed and electric connection <u>disconnected.</u>	1

527	Mo. Alim Khan (arvind dyeing) Add- arynagar, Loni, GZB	Jeans Washing and Dy		Unit sealed and electric connection <u>disconnected.</u>	1
528	Bansal plastic add-Neelam compound, Loni, GZB	Jeans Washing and Dy		Unit sealed and electric connection <u>disconnected.</u>	1
529	National Plastic add-Neelam Compound, Loni, GZB	Jeans Washing and Dy		Unit sealed and electric connection <u>disconnected.</u>	1
530	Chirag (S.N.waire) add- neelam compound, Loni, GZB	Jeans Washing and Dy		Unit sealed and electric connection <u>disconnected.</u>	1
531	Agyat, Loni, GZB	Jeans Washing and Dy	10.05.2019	Unit sealed and electric connection <u>disconnected.</u>	1
532	Mukesh buliders, Loni, GZB	Open building materi		Unit sealed and electric connection <u>disconnected.</u>	1
533	Devendra buliders, Loni, GZB	Open building materi		Unit sealed and electric connection <u>disconnected.</u>	1
534	Nitin buliders, Loni, GZB	Open building materi		Unit sealed and electric connection <u>disconnected.</u>	1
535	Aript buliders, Loni, GZB	Open building materi		Unit sealed and electric connection <u>disconnected.</u>	1
536	Siya buliders, Loni, GZB	Open building materi		Unit sealed and electric connection <u>disconnected.</u>	1
537	Agyat, Loni, GZB	Open building materi		Unit sealed and electric connection <u>disconnected.</u>	1
538	Power buliders, Loni, GZB	Open building materi		Unit sealed and electric connection <u>disconnected.</u>	1
539	Bala ji buliders, Loni, GZB	Open building materi		Unit sealed and electric connection <u>disconnected.</u>	1
540	Pritam buliders, Loni, GZB	Open building materi		Unit sealed and electric connection <u>disconnected.</u>	1
541	Malik buliders, Loni, GZB	Open building materi		Unit sealed and electric connection <u>disconnected.</u>	1
542	Durga buliders, Loni, GZB	Open building materi		Unit sealed and electric connection <u>disconnected.</u>	1
543	Hashin buliders, Loni, GZB	Open building materi		Unit sealed and electric connection <u>disconnected.</u>	1
544	Manoj Near Naher road behta hazipur, Loni, GZB	Wire Burning	21.05.2019	Unit sealed and electric connection <u>disconnected.</u>	1
545	Ranjeet Near Naher road behta hazipur, Loni, GZB	Wire Burning		Unit sealed and electric connection <u>disconnected.</u>	1
546	Sachin near tila shebajpur unit first, Loni, GZB	Wire Burning		Unit sealed and electric connection <u>disconnected.</u>	1

547	Sachin near tila shebajpur unit Second, Loni, GZB	Wire Burning		Unit sealed and electric connection disconnected.	1
548	Agyat near tila shebajpur , Loni, GZB	Wire Burning		Unit sealed and electric connection disconnected.	1
549	Agyat near tila shebajpur , Loni, GZB	Wire Burning		Unit sealed and electric connection disconnected.	1
550	Agyat near tila shebajpur , Loni, GZB	Wire Burning		Unit sealed and electric connection disconnected.	1
551	Sri Arvind choudhry, Sevadham, Loni, GZB	Jeans Washing and Dy	03.06.2019	Unit sealed and electric connection disconnected.	1
552	Sri Mevalal s/o sri ramnath add- Tilla shevajpur, Loni, GZB	Jeans Washing and Dy		Unit sealed and electric connection disconnected.	1
553	Rekha interprises, B-81 Roopnagar, loni, GZB	Jeans Washing and Dy		Unit sealed and electric connection disconnected.	1
554	M. R. Industries, B-84/05, Roop nagar, Loni, GZB	Jeans Washing and Dy		Unit sealed and electric connection disconnected.	1
555	Sri Anil Bhatta Company, Javali, Loni, GZB		01.06.2019	Unit sealed and electric connection disconnected.	1
556	Sabir Add- Khasra no. 515, 516, 517 Banthla nehar road Loni, GZB	Wire Burning		Unit sealed and electric connection disconnected.	1
557	Deepak Add- Khasra no. 515, 516, 517 Banthla nehar road Loni, GZB	Wire Burning		Unit sealed and electric connection disconnected.	1
558	Yashpal Add- Khasra no. 515, 516, 517 Banthla nehar road Loni, GZB	Wire Burning		Unit sealed and electric connection disconnected.	1
559	Onprakesh thakur Add- Khasra no. 515, 516, 517 Banthla nehar road Loni, GZB	Wire Burning		Unit sealed and electric connection disconnected.	1
560	Mahbuba Add- Khasra no. 515, 516, 517 Banthla nehar road Loni, GZB	Wire Burning		Unit sealed and electric connection disconnected.	1
561	Pandit ji Add- Khasra no. 515, 516, 517 Banthla nehar road Loni, GZB	Wire Burning		Unit sealed and electric connection disconnected.	1
562	Yogesh Add- Khasra no. 515, 516, 517 Banthla nehar road Loni, GZB	Wire Burning		Unit sealed and electric connection disconnected.	1
563	Doctor Add- Khasra no. 515, 516, 517 Banthla nehar road Loni, GZB	Wire Burning		Unit sealed and electric connection disconnected.	1
564	Dilawar Add- Khasra no. 515, 516, 517 Banthla nehar road Loni, GZB	Wire Burning		Unit sealed and electric connection disconnected.	1
565	Mota Add- Khasra no. 515, 516, 517 Banthla nehar road Loni, GZB	Wire Burning		Unit sealed and electric connection disconnected.	1
566	Rajendra brick field, Rajpur, Loni, GZB		03.06.2019	Unit sealed and electric connection disconnected.	1

567	Kusum Tayagi Plot no. B-42 , Loni, GZB		04.06.2019	Unit sealed and electric connection <u>disconnected.</u>	1
568	Agyat, Loni, GZB			Unit sealed and electric connection <u>disconnected.</u>	1
569	Naresh Tayagi Loni, GZB			Unit sealed and electric connection <u>disconnected.</u>	1
570	Surendra Lohiya s/o Ram singh plot no. B-49, Loni, GZB			Unit sealed and electric connection <u>disconnected.</u>	1
571	Madhu kumar mavi s/o Mohanveer Malvi Faise-2 Gali no.-2 Loni, GZB			Unit sealed and electric connection <u>disconnected.</u>	1
572	Laxmi w/o Rajendra plot no. 456, Loni, GZB			Unit sealed and electric connection <u>disconnected.</u>	1
573	Bhupendra kumar, Loni, GZB			Unit sealed and electric connection <u>disconnected.</u>	1
574	Yash Pal choudhry ,Loni, GZB			Unit sealed and electric connection <u>disconnected.</u>	1
575	Sabir, Loni, GZB			Unit sealed and electric connection <u>disconnected.</u>	1
576	Ajay pal, Loni, GZB			Unit sealed and electric connection <u>disconnected.</u>	1
577	Agyat, Loni, GZB			Unit sealed and electric connection <u>disconnected.</u>	1
578	Kallu Urf Dilshad, Maulana Ajad Colony, Khadde Wali Mazjid, Behta Hazipur, Loni, Ghaziabad	Wire Burning	17.8.2019	Unit closed and action under CRPC against the responsible person	1
579	Shri Tayyab Shah S/o/ Chuttan, Behta Hazipur, Loni Ghaziabad	Wire Burning	17.8.2019	Unit closed and action under CRPC against the responsible person	1
580	Shri Pappu Alias Ajid S/o Shajid Ali, Behta Hazipur, Loni, Ghaziabad	Wire Burning	17.8.2019	Unit closed and action under CRPC against the responsible person	1
581	Shri Shammen S/o Jareef, Behta Hazipur, Loni, Ghaziabad	Wire Burning	17.8.2019	Unit closed and action under CRPC against the responsible person	1
582	Shri Ram Sevak S/o Khet Ram, Behta Hazipur, Loni, Ghaziabad	Wire Burning	17.8.2019	Unit closed and action under CRPC against the responsible person	1
583	M/s Alisha Dyeing, Shyam Singh Market, Bhopura, Ghaziabad	Jeans Washing and Dyeing	17.08.2019	Recommended for closure order under section 33(a)	1
584	Shri Bindak Khan S/o Waseem Khan, Behta Hazipur, Loni, Ghaziabad	Wire Drawing and Burning	19.8.2019	Unit sealed	1
585	Ward No 21, Village Bovapur, Kaushambhi, Ghaziabad	RO Plant	20.08.2019	Recommendation sent under section 33(a)	1

586	Ward no 43, Karkad Model, Sahibabad, Ghaziabad	RO Plant	20.08.2019	Recommendation sent under section 33(a)	1
587	M/s Yaseen S/o Idrish, Mahrajpur, pilkhan wali gali, Sahibabad, Ghaziabad	RO Plant	20.08.2019	Recommendation sent under section 33(a)	1
588	Haarun S/o Jaffarrudding, Behta Hazipur, Loni, Ghaziabad	Wire Drawing and Burning	22.8.2019	Unit sealed and action under CRPC against the responsible person	1
589	Riyaasat S/o Saddique, Sangam Vihar, Loni Border, Ghaziabad	Wire Drawing and Burning	22.8.2019	Unit sealed and action under CRPC against the responsible person	1
590	Laddan S/o Ali Hussain, Behta Hazipur, Loni, Ghaziabad	Wire Drawing and Burning	22.8.2019	Unit sealed and action under CRPC against the responsible person	1
591	Jai Bhagwan S/o Late Shri Hukum Singh, Behta Hazipur, Loni, Ghaziabad	Wire Drawing and Burning	22.8.2019	Unit sealed and action under CRPC against the responsible person	1
592	Devender Sharma S/o Shri Ram Charat Sharma, Vikas Kunj, Loni, Ghaziabad	Wire Drawing and Burning	22.8.2019	Unit sealed and action under CRPC against the responsible person	1
593	Shahnawaz S/o Habib, Behta Hazipur, Loni, Ghaziabad	Wire Drawing and Burning	22.8.2019	Unit sealed and action under CRPC against the responsible person	1
594	Sadique S/o Shri Irfan, Behta Hazipur, Loni, Ghaziabad	Wire Drawing and Burning	22.8.2019	Unit sealed and action under CRPC against the responsible person	1
595	Unknown, Behta Hazipur, Loni Ghaziabad	Wire Drawing and Burning	22.8.2019	Unit sealed	1
596	Mujahid S/o Shri Ahmad, Behta Hazipur, Loni, Ghaziabad	Wire Drawing and Burning	22.8.2019	Unit sealed	1
597	Faqarrunddin, Behta Hazipur, Loni, Ghaziabad	Wire Drawing and Burning	22.8.2019	Unit sealed	1
598	Veeralpal S/o Namalum, Behta Hazipur, Loni, Ghaziabad	Wire Drawing and Burning	22.8.2019	Unit sealed	1
599	Shahzad, Behta Hazipur, Loni, Ghaziabad	Jean Washing and Dyeing	22.8.2019	Unit sealed	1
600	Unknown, House no H 235, Gali no 3, Shaheed Nagar, Sahibabad, Ghaziabad	Fabrication unit	24.8.2019	Recommendation sent to electricity department for disconnection of electricity	1
601	M/s Tariq, Chaman Vihar, Loni, Ghaziabad	Jean Washing and Dyeing	02.09.2019	Unit sealed	1
602	Garima Enterprises, Bhati Enclave, Krishna Vihar, Loni, Ghaziabad	Foundry	05.09.2019	Unit sealed	1
603	New Rajdhaani, Krishna Vihar, Loni, Ghaziabad	Foundry	05.09.2019	Unit sealed	1
604	Jagat, Behta Hazipur, Loni, Ghaziabad	Wire drawing	05.09.2019	Unit sealed	1
605	Unknown, Behta Hazipur, Loni Ghaziabad	Wire Drawing	05.09.2019	Unit sealed	1
606	Unknow, Salimar Garden Ext 2, Sahibabad, Ghaziabad	RO Plant	02.09.2019	Recommendation sent under section 33(a)	1
607	M/s Monu, S/o Shri Mukesh, Gagan Vihar, Bhopura, Ghaziabad	RO Plant	07.09.2019	Recommendation sent under section 33(a)	1

608	Monu S/o Mukesh, Gagan Vihar, Bhopura, Ghaziabad	RO Plant	07.09.2019	Recommendation sent to electricity department for disconnection of electricity	1
609	Unknown, Amit Vihar, Loni, Ghaziabad	Foundry	09.09.2019	Unit demolished and electricity connection disconnected	1
610	Unknown, Amit Vihar, Loni, Ghaziabad	Foundry	09.09.2019	Unit demolished and electricity connection disconnected	1
611	Unknown, Amit Vihar, Loni, Ghaziabad	Foundry	09.09.2019	Unit demolished and electricity connection disconnected	1
612	Unknown, Amit Vihar, Loni, Ghaziabad	Foundry	11.09.2019	Unit demolished and electricity connection disconnected	1
613	Unknown, Amit Vihar, Loni, Ghaziabad	Foundry	11.09.2019	Unit demolished and electricity connection disconnected	1
614	Unknown, Amit Vihar, Loni, Ghaziabad	Foundry	11.09.2019	Unit demolished and electricity connection disconnected	1
615	Unknown, Amit Vihar, Loni, Ghaziabad	Foundry	11.09.2019	Unit demolished and electricity connection disconnected	1
616	Unknown, Amit Vihar, Loni, Ghaziabad	Foundry	11.09.2019	Unit demolished and electricity connection disconnected	1
617	Unknown, Amit Vihar, Loni, Ghaziabad	E- waste reprocessing	11.09.2019	Unit demolished and electricity connection disconnected	1
618	Unknown, Amit Vihar, Loni, Ghaziabad	Foundry	11.09.2019	Unit demolished and electricity connection disconnected	1
619	Unknown, Amit Vihar, Loni, Ghaziabad	Foundry	11.09.2019	Unit demolished and electricity connection disconnected	1
620	Unknown, Amit Vihar, Loni, Ghaziabad	Foundry	11.09.2019	Unit demolished and electricity connection disconnected	1
621	Unknown, Amit Vihar, Loni, Ghaziabad	Foundry	11.09.2019	Unit demolished and electricity connection disconnected	1
622	Unknown, Amit Vihar, Loni, Ghaziabad	Foundry	11.09.2019	Unit demolished and electricity connection disconnected	1
623	Unknown, Amit Vihar, Loni, Ghaziabad	Foundry	11.09.2019	Unit demolished and electricity connection disconnected	1
624	Unknown, Amit Vihar, Loni, Ghaziabad	Foundry	11.09.2019	Unit demolished and electricity connection disconnected	1
625	Unknown, Amit Vihar, Loni, Ghaziabad	E- waste reprocessing	11.09.2019	Unit demolished and electricity connection disconnected	1
626	Unknown, Amit Vihar, Loni, Ghaziabad	Foundry	11.09.2019	Unit demolished and electricity connection disconnected	1

647	Unknown, Amit Vihar, Loni, Ghaziabad	Foundry	11.09.2019	Unit demolished and electricity connection disconnected	1
648	Unknown, Amit Vihar, Loni, Ghaziabad	Foundry	11.09.2019	Unit demolished and electricity connection disconnected	1
649	Unknown, Amit Vihar, Loni, Ghaziabad	Foundry	11.09.2019	Unit demolished and electricity connection disconnected	1
650	Unknown, Amit Vihar, Loni, Ghaziabad	Foundry	11.09.2019	Unit demolished and electricity connection disconnected	1
651	Unknown, Amit Vihar, Loni, Ghaziabad	Foundry	11.09.2019	Unit demolished and electricity connection disconnected	1
652	Unknown, Amit Vihar, Loni, Ghaziabad	Foundry	11.09.2019	Unit demolished and electricity connection disconnected	1
653	Unknown, Amit Vihar, Loni, Ghaziabad	E- waste reprocessing	11.09.2019	Unit demolished and electricity connection disconnected	1
654	Subhash Dyeing (Atul Bhati S/o Jagveer), Vikas Nagar, Kasturba Ganshi ke saamne, Loni, Ghaziabad	Jeans Washing and Dyeing	12.09.2019	Unit sealed and borewell dismantled	1
655	Ajay Processors, Vikas Nagar, Kasturba Ganshi ke saamne, Loni, Ghaziabad	Jeans Washing and Dyeing	12.09.2019	Unit sealed and borewell dismantled	1
656	Shri Shyam Sundar S/o Shri Ram prish, Giri Market Loni. Ghaziabad	Dairy	12.09.2019	Borewell dismantled and action under CRPC section 151 hve been recommended against responsible person	1
657	Arya fire works, asalatpur, Farruknagar, Loni, Ghaziabad	Firework Godown	12.09.2019	Unit demolished	1
658	Chaudhary ibrahim S/o Chaudhary wajeer, asalatpur, Farruknagar, Loni, Ghaziabad	Firework Godown	12.09.2019	Unit demolished	1
659	Garg, Fire Works, asalatpur, Farruknagar, Loni, Ghaziabad	Firework Godown	12.09.2019	Unit demolished	1
660	Fire works, asalatpur, Farruknagar, Loni, Ghaziabad	Firework Godown	12.09.2019	Unit demolished	1
661	Unknown, asalatpur, Farruknagar, Loni, Ghaziabad	Firework Godown	12.09.2019	Unit demolished	1
662	Unknown, asalatpur, Farruknagar, Loni, Ghaziabad	Firework Godown	12.09.2019	Unit demolished	1
663	Jai Baba Mohan Ram Fireworks, Village, Ristol, near surya farm Loni, Ghaziabad	Firework Godown	12.09.2019	Unit demolished	1
664	Unknown, e waste processing unit, pipeline road, gaddha, sewa dham, loni, ghaziabad	e waste processing	29.10.2019	Unit demolished	1
665	Unknown, e waste processing unit, pipeline road, gaddha, sewa dham, loni, ghaziabad	e waste processing	29.10.2019	Unit demolished	1
666	Unknown, e waste processing unit, pipeline road, gaddha, sewa dham, loni, ghaziabad	e waste processing	29.10.2019	Unit demolished	1
667	Unknown, e waste processing unit, pipeline road, gaddha, sewa dham, loni, ghaziabad	e waste processing	29.10.2019	Unit demolished	1

744	Unknown, foundary unit, pipeline road, gaddha, sewa dham, loni, ghaziabad	e waste processing	31.10.2019	Unit demolished	1
745	Unknown, foundary unit, pipeline road, gaddha, sewa dham, loni, ghaziabad	e waste processing	31.10.2019	Unit demolished	1
746	Unknown, foundary unit, pipeline road, gaddha, sewa dham, loni, ghaziabad	e waste processing	31.10.2019	Unit demolished	1
747	Unknown, foundary unit, pipeline road, gaddha, sewa dham, loni, ghaziabad	e waste processing	31.10.2019	Unit demolished	1
748	Unknown, foundary unit, pipeline road, gaddha, sewa dham, loni, ghaziabad	e waste processing	31.10.2019	Unit demolished	1
749	Unknown, foundary unit, pipeline road, gaddha, sewa dham, loni, ghaziabad	e waste processing	31.10.2019	Unit demolished	1
750	Unknown, foundary unit, pipeline road, gaddha, sewa dham, loni, ghaziabad	e waste processing	31.10.2019	Unit demolished	1
751	Unknown, foundary unit, pipeline road, gaddha, sewa dham, loni, ghaziabad	e waste processing	31.10.2019	Unit demolished	1
752	Unknown, foundary unit, pipeline road, gaddha, sewa dham, loni, ghaziabad	e waste processing	31.10.2019	Unit demolished	1
753	Unknown, foundary unit, pipeline road, gaddha, sewa dham, loni, ghaziabad	e waste processing	31.10.2019	Unit demolished	1
754	Yunis Pahalan, Behata Hazipur Shamsham Ghat, Loni, Ghaziabad	Wire drawing	16.11.2019	Unit demolished	1
755	Ram Asis, Back of Seva Dham Mandir, Krishna Vihar, Loni, Ghaziabad	Foundary	16.11.2019	Unit demolished and 04 people arrested	1
756	Dharam Pal Bhati, Krishna Vihar, Loni, Ghaziabad	Electroplating	16.11.2019	Electricity connection disconnected	1
757	Jagnish, Phase 1, Gali no 10, Seva Dham, Loni, Ghaziabad	Foundary	16.11.2019	Unit demolished	1
758	M/s Balaji Homes Appliances (Shri Ahok Tyagi), E-11 A, Gali no 10, Krishna Vihar, Loni, Ghaziabad	Dyeing and washing	16.11.2019	Electricity connection disconnected	1
759	M/s. Dharma Packaging, B-7, main Road Krishna Vihar Phase-1, Behta hazipur Loni, Ghaziabad	Corrugated Box	11.12.2019	Unit sealed & Electricity connection disconned	1
760	M/s. Shiwangi Enterprises, Khasra No-1637, main Road Krishna Vihar Phase-1, Behta hazipur Loni, Ghaziabad	Cooker Parts	11.12.2019	Unit sealed & Electricity connection disconned	1
761	M/s. Rajesh Kumar, Khasra No-1637, main Road Krishna Vihar Phase-1, Behta hazipur Loni, Ghaziabad	LPG Gas Pipe	11.12.2019	Unit sealed & Electricity connection disconned	1
762	M/s. Nathu Singh, Main Road Krishna Vihar Phase-1, Behta Hazipur Loni, Ghaziabad	Break Shoe	11.12.2019	Unit sealed & Electricity connection disconned	1
763	Unknow, Main Road Krishna Vihar Phase-1, Behta Hazipur Loni, Ghaziabad	-	11.12.2019	Unit sealed & Electricity connection disconned	1
764	M/s. Smt. Sangita Jain W/o Devendra Jain, Main Road Krishna Vihar Phase-1, Behta Hazipur Loni, Ghaziabad	Lathe Work	11.12.2019	Unit sealed & Electricity connection disconned	1
765	M/s. Pramod Kumar, Khasra No.1638, Main Road Krishna Vihar Phase-1, Behta Hazipur Loni, Ghaziabad	Stove Burner	11.12.2019	Unit sealed & Electricity connection disconned	1
766	Unknow, Main Road Krishna Vihar Phase-1, Behta Hazipur Loni, Ghaziabad	Lathe Work	11.12.2019	Unit sealed & Electricity connection disconned	1
767	Unknow, Main Road Krishna Vihar Phase-1, Behta Hazipur Loni, Ghaziabad	-	11.12.2019	Unit sealed & Electricity connection disconned	1

768	M/s. Ali Mehar, Main Road Krishna Vihar Phase-1, Behta Hazipur Loni, Ghaziabad	Lathe Work	11.12.2019	Unit sealed & Electricity connection disconned	1
769	Unknow, Main Road Krishna Vihar Phase-1, Behta Hazipur Loni, Ghaziabad	Almirah Work	11.12.2019	Unit sealed & Electricity connection disconned	1
770	M/s. Prem Nath, Main Road Krishna Vihar Phase-1, Behta Hazipur Loni, Ghaziabad	Lathe Work	11.12.2019	Unit sealed & Electricity connection disconned	1
771	M/s. Baburam, Main Road Krishna Vihar Phase-1, Behta Hazipur Loni, Ghaziabad	Cooker Parts	11.12.2019	Unit sealed & Electricity connection disconned	1
772	M/s. Sushil Gupta, Main Road Krishna Vihar Phase-1, Behta Hazipur Loni, Ghaziabad	-	11.12.2019	Unit sealed & Electricity connection disconned	1
773	M/s. Mahadev Enterprise, Main Road Krishna Vihar Phase-1, Behta Hazipur Loni, Ghaziabad	Cooker Parts	11.12.2019	Unit sealed & Electricity connection disconned	1
774	M/s. Medimex Pharma, Main Road Krishna Vihar Phase-1, Behta Hazipur Loni, Ghaziabad	Ayurvedic Medicine	11.12.2019	Unit sealed & Electricity connection disconned	1
775	M/s. Arora Trading Company, Plot No-4, Khasra No-1640, Main Road Krishna Vihar Phase-1, Behta Hazipur Loni, Ghaziabad	Coal Work	11.12.2019	Unit sealed & Electricity connection disconned	1
776	M/s. Smt. Manisha Chaudhary, Khasra No-1640, Main Road Krishna Vihar Phase-1, Behta Hazipur Loni, Ghaziabad	Power Press	11.12.2019	Unit sealed & Electricity connection disconned	1
777	M/s Narendra Kumar, Main Road Krishna Vihar Phase-1, Behta Hazipur Loni, Ghaziabad	Lathe Work	11.12.2019	Unit sealed & Electricity connection disconned	1
778	M/s. Nanhe Babu, Main Road Krishna Vihar Phase-1, Behta Hazipur Loni, Ghaziabad	-	11.12.2019	Unit sealed & Electricity connection disconned	1
779	M/s Premvati, Main Road Krishna Vihar Phase-1, Behta Hazipur Loni, Ghaziabad	-	11.12.2019	Unit sealed & Electricity connection disconned	1
780	M/s. Yogendra Chaudhary, Main Road Krishna Vihar Phase-1, Behta Hazipur Loni, Ghaziabad	Lathe Work	11.12.2019	Unit sealed & Electricity connection disconned	1
781	M/s. Raju S/o. Gopiram, Main Road Krishna Vihar Phase-1, Behta Hazipur Loni, Ghaziabad	-	11.12.2019	Unit sealed & Electricity connection disconned	1
782	M/s. G.K. Associates, Plot No-34-35, Main Road Krishna Vihar Phase-1, Behta Hazipur Loni, Ghaziabad	Refractory Material/Brick	11.12.2019	Unit sealed & Electricity connection disconned	1
783	M/s. D.K. Jain, Main Road Krishna Vihar Phase-1, Behta Hazipur Loni, Ghaziabad	Check Valve	11.12.2019	Unit sealed & Electricity connection disconned	1
784	M/s. Raj Kumar Chaudhary C/o. Sanjeev Sharma, Main Road Krishna Vihar Phase-1, Behta Hazipur Loni, Ghaziabad	Cooker Parts	11.12.2019	Unit sealed & Electricity connection disconned	1
785	M/s. Harshit Enterprises, Mewaram Market, Tela Sahbapur, Loni, Ghaziabad	Platic waste	12.12.2019	Unit sealed & Electricity connection disconned	1
786	M/s. S.R. Rubber, Mewaram Market, Tela Sahbapur, Loni, Ghaziabad	Hose Pipe Rubber	12.12.2019	Unit sealed & Electricity connection disconned	1

787	M/s. Mewaram Bhatti-1, Mewaram Market, Tela Sahbazpur, Loni, Ghaziabad	Platic Work	12.12.2019	Unit sealed & Electricity connection disconned	1
788	M/s. Mewaram Bhatti-2, Mewaram Market, Tela Sahbazpur, Loni, Ghaziabad	Platic Work	12.12.2019	Unit sealed & Electricity connection disconned	1
789	M/s. Mewaram Bhatti-3, Mewaram Market, Tela Sahbazpur, Loni, Ghaziabad	Platic Work	12.12.2019	Unit sealed & Electricity connection disconned	1
790	M/s. Mewaram Bhatti-4, Mewaram Market, Tela Sahbazpur, Loni, Ghaziabad	Rubber Work	12.12.2019	Unit sealed & Electricity connection disconned	1
791	Unknow, Mewaram Market, Tela Sahbazpur, Loni, Ghaziabad	-	12.12.2019	Unit sealed & Electricity connection disconned	1
792	Unknow, Mewaram Market, Tela Sahbazpur, Loni, Ghaziabad	-	12.12.2019	Unit sealed & Electricity connection disconned	1
793	M/s. Sabbir Statue, Work-1, Mewaram Market, Tela Sahbazpur, Loni, Ghaziabad	Mannequin	12.12.2019	Unit sealed & Electricity connection disconned	1
794	M/s. Sabbir Statue, Work-2, Mewaram Market, Tela Sahbazpur, Loni, Ghaziabad	Mannequin	12.12.2019	Unit sealed & Electricity connection disconned	1
795	M/s. Sabbir Statue, Work-3, Mewaram Market, Tela Sahbazpur, Loni, Ghaziabad	Mannequin	12.12.2019	Unit sealed & Electricity connection disconned	1
796	M/s. Sabbir Statue, Work-4, Mewaram Market, Tela Sahbazpur, Loni, Ghaziabad	Mannequin	12.12.2019	Unit sealed & Electricity connection disconned	1
797	Unknow, Mewaram Market, Tela Sahbazpur, Loni, Ghaziabad	Steel Work	12.12.2019	Unit sealed & Electricity connection disconned	1
798	Unknow, Mewaram Market, Tela Sahbazpur, Loni, Ghaziabad	Mannequin	12.12.2019	Unit sealed & Electricity connection disconned	1
799	M/s. Raghuvveer Statue Work, Tela Sahbazpur, Loni, Ghaziabad	Mannequin	12.12.2019	Unit sealed & Electricity connection disconned	1
800	Unknow, Mewaram Market, Tela Sahbazpur, Loni, Ghaziabad	Casting	12.12.2019	Unit sealed & Electricity connection disconned	1
801	Dahia Enterprise, Khasra No-130, Tila Sahbazpur, Loni, Ghaziabad	Helmet Work	12.12.2019	Unit sealed & Electricity connection disconned	1
802	Unknow, Mewaram Market, Tela Sahbazpur, Loni, Ghaziabad	Casting	12.12.2019	Unit dismantling & Electricity connection disconned	1
803	Unknow, Mewaram Market, Tela Sahbazpur, Loni, Ghaziabad	Acid Work	12.12.2019	Unit dismantling & Electricity connection disconned	1
804	Unknow, Mewaram Market, Tela Sahbazpur, Loni, Ghaziabad	Acid Work	12.12.2019	Unit sealed & Electricity connection disconned	1
805	Unknow, Mewaram Market, Tela Sahbazpur, Loni, Ghaziabad	Acid Work	12.12.2019	Unit sealed & Electricity connection disconned	1
806	Unknow, Mewaram Market, Tela Sahbazpur, Loni, Ghaziabad	Acid Work	12.12.2019	Unit sealed & Electricity connection disconned	1

807	Unknow, Mewaram Market, Tela Sahbazpur, Loni, Ghaziabad	Acid Work	12.12.2019	Unit sealed & Electricity connection disconned	1
808	Unknow, Mewaram Market, Tela Sahbazpur, Loni, Ghaziabad	Acid Work	12.12.2019	Unit sealed & Electricity connection disconned	1
809	Unknow, Mewaram Market, Tela Sahbazpur, Loni, Ghaziabad	Casting & Metal Recovery	12.12.2019	Unit sealed & Electricity connection disconned	1
810	Unknow, Mewaram Market, Tela Sahbazpur, Loni, Ghaziabad	Metal Recovery	12.12.2019	Unit sealed & Electricity connection disconned	1
811	M/s. Rajeev, Tela Sahbazpur, Loni, Ghaziabad	Chemical Work	12.12.2019	Unit sealed & Electricity connection disconned	1
812	Unknow, Mewaram Market, Tela Sahbazpur, Loni, Ghaziabad	Metal Recovery	12.12.2019	Unit sealed & Electricity connection disconned	1
813	M/s. Mahipal, Tela Sahbazpur, Loni, Ghaziabad	Casting	12.12.2019	Unit sealed & Electricity connection disconned	1
814	Unknow, Mewaram Market, Tela Sahbazpur, Loni, Ghaziabad	Metal Recovery	12.12.2019	Unit sealed & Electricity connection disconned	1
815	M/s. Mahesh Singh, Tela Sahbazpur, Loni, Ghaziabad	Foam, Bottle	12.12.2019	Unit sealed & Electricity connection disconned	1
816	Unknow, Mewaram Market, Tela Sahbazpur, Loni, Ghaziabad	Chemical Work	12.12.2019	Unit sealed & Electricity connection disconned	1
817	M/s. Ajeet Yadav, Krishna Vihar, Behta Hazipur, Mandoli road, Loni, Ghaziabad	Gatta work	13.12.2019	Unit sealed & Electricity connection disconned	1
818	M/s. Kharul, Krishna Vihar, Behta Hazipur, Mandoli road, Loni, Ghaziabad	Plastic Cutting	13.12.2019	Unit sealed & Electricity connection disconned	1
819	M/s. Saksham Traders, Krishna Vihar, Behta Hazipur, Mandoli road, Loni, Ghaziabad	Scarp Work	13.12.2019	Unit sealed & Electricity connection disconned	1
820	M/s Deepak S/o. Kohdiram, Krishna Vihar, Behta Hazipur, Mandoli road, Loni, Ghaziabad	Break Shoe	13.12.2019	Unit sealed & Electricity connection disconned	1
821	M/s Deepak S/o. Kohdiram, Krishna Vihar, Behta Hazipur, Mandoli road, Loni, Ghaziabad	Break Shoe	13.12.2019	Unit sealed & Electricity connection disconned	1
822	M/s. Mumtash, Krishna Vihar, Behta Hazipur, Mandoli road, Loni, Ghaziabad	Nut Bolt	13.12.2019	Unit sealed & Electricity connection disconned	1
823	M/s. Kartar Singh, Krishna Vihar, Behta Hazipur, Mandoli road, Loni, Ghaziabad	Metal Work	13.12.2019	Unit sealed & Electricity connection disconned	1
824	Unknow, Krishna Vihar, Behta Hazipur, Mandoli road, Loni, Ghaziabad	Metal Work	13.12.2019	Unit sealed & Electricity connection disconned	1
825	Unknow, Krishna Vihar, Behta Hazipur, Mandoli road, Loni, Ghaziabad	Metal Work	13.12.2019	Unit sealed & Electricity connection disconned	1
826	Unknow, Krishna Vihar, Behta Hazipur, Mandoli road, Loni, Ghaziabad	Metal Work	13.12.2019	Unit sealed & Electricity connection disconned	1

827	Unknow, Krishna Vihar, Behta Hazipur, Mandoli road, Loni, Ghaziabad	Metal Work	13.12.2019	Unit sealed & Electricity connection disconned	1
828	M/s. Sunil & Sachin, Shivam Farm House, Champ-1, Krishna Vihar, Behta Hazipur, Mandoli road, Loni, Ghaziabad	Fabrication Job Work	13.12.2019	Unit sealed & Electricity connection disconned	1
829	M/s. Sunil & Sachin, Shivam Farm House, Champ-1, Krishna Vihar, Behta Hazipur, Mandoli road, Loni, Ghaziabad	Fabrication Job Work	13.12.2019	Unit sealed & Electricity connection disconned	1
830	M/s. Sunil & Sachin, Shivam Farm House, Champ-1, Krishna Vihar, Behta Hazipur, Mandoli road, Loni, Ghaziabad	Fabrication Job Work	13.12.2019	Unit sealed & Electricity connection disconned	1
831	M/s. Sunil & Sachin, Shivam Farm House, Champ-1, Krishna Vihar, Behta Hazipur, Mandoli road, Loni, Ghaziabad	Fabrication Job Work	13.12.2019	Unit sealed & Electricity connection disconned	1
832	M/s. Sunil & Sachin, Shivam Farm House, Champ-1, Krishna Vihar, Behta Hazipur, Mandoli road, Loni, Ghaziabad	Fabrication Job Work	13.12.2019	Unit sealed & Electricity connection disconned	1
833	M/s. Sunil & Sachin, Shivam Farm House, Champ-1, Krishna Vihar, Behta Hazipur, Mandoli road, Loni, Ghaziabad	Fabrication Job Work	13.12.2019	Unit sealed & Electricity connection disconned	1
834	M/s. Sunil & Sachin, Shivam Farm House, Champ-1, Krishna Vihar, Behta Hazipur, Mandoli road, Loni, Ghaziabad	Fabrication Job Work	13.12.2019	Unit sealed & Electricity connection disconned	1
835	M/s. Sunil & Sachin, Shivam Farm House, Champ-1, Krishna Vihar, Behta Hazipur, Mandoli road, Loni, Ghaziabad	Fabrication Job Work	13.12.2019	Unit sealed & Electricity connection disconned	1
836	M/s. Sunil & Sachin, Shivam Farm House, Champ-1, Krishna Vihar, Behta Hazipur, Mandoli road, Loni, Ghaziabad	Fabrication Job Work	13.12.2019	Unit sealed & Electricity connection disconned	1
837	M/s. Pryag Traders, Prop, Deenu, Krishna Vihar, Behta Hazipur, Mandoli road, Loni, Ghaziabad	Scrap Work	13.12.2019	Unit sealed & Electricity connection disconned	1
838	M/s. Plaza Sales Corporation, Plot No-42, Roop Nagar Loni, Ghaziabad	Casting	11.12.2019	Unit sealed & Electricity connection disconned	1
839	M/s. Malik Washing, Plot No-101/2, Roop Nagar Loni, Ghaziabad	Washing & Dyeing	11.12.2019	Unit sealed & Electricity connection disconned	1
840	Unknown Name, Indrapuri Loni, Ghaziabad	Washing & Dyeing	11.12.2019	Unit sealed & Electricity connection disconned	1
841	M/s. Maa Bhagwati Washing, Plot No-101, Arya Nagar, Loni, Ghaziabad	Washing & Dyeing	11.12.2019	Unit sealed & Electricity connection disconned	1
842	M/s. Shree Krishan Kumar Ragosav, Arya Nagar, Loni, Ghaziabad	Washing & Dyeing	11.12.2019	Unit sealed & Electricity connection disconned	1
843	M/s. Anil Washing, Arya Nagar, Loni, Ghaziabad	Washing & Dyeing	11.12.2019	Unit sealed & Electricity connection disconned	1
844	M/s. Chaman Enterprises, Plot No-8, Khasra No-110, Arya Nagar, Loni Ghaziabad.	Polishing	11.12.2019	Unit sealed & Electricity connection disconned	1
845	M/s. B.P. Rubber, Arya Nagar Loni, Ghaziabad	Rubber	11.12.2019	Unit sealed & Electricity connection disconned	1
846	M/s. Jahageer, Gullewali Gali, Arya Nagar, Loni, Ghaziabad	Plastic Gulla	11.12.2019	Unit sealed & Electricity connection disconned	1

847	M/s. Gajrani, Arya Nagar, Loni, Ghaziabad	Plastic Gulla	11.12.2019	Unit sealed & Electricity connection disconned	1
848	M/s. Raju, Arya Nagar Loni, Ghaziabad	Plastic Gulla	11.12.2019	Unit sealed & Electricity connection disconned	1
849	M/s Prince Dyeing, Khasra No-397, Gali No-2, Arya Nagar Loni, Ghaziabad	Washing & Dyeing	11.12.2019	Unit sealed & Electricity connection disconned	1
850	M/s. Gulzar Metel, Arya Nagar, Loni, Ghaziabad.	Washing	11.12.2019	Unit sealed & Electricity connection disconned	1
851	M/s. M.Y. Industries, Arya Nagar, Loni, Ghaziabad	Steel Fabricating	11.12.2019	Unit sealed & Electricity connection disconned	1
852	M/s. Avon Dyeing, Indrapuri Loni, Ghaziabad	Dyeing & Washing	12.12.2019	Unit sealed & Electricity connection disconned	1
853	M/s. Smt. Santra, Indrapuri Loni, Ghaziabad	Dyeing & Washing	12.12.2019	Unit sealed & Electricity connection disconned	1
854	M/s. Unkown Name, Indrapuri Loni, Ghaziabad	Printing	12.12.2019	Unit sealed & Electricity connection disconned	1
855	M/s. Vinod Kumar, Indrapuri Loni, Ghaziabad	Helmet	12.12.2019	Unit sealed & Electricity connection disconned	1
856	M/s. Harvish Singh, Indrapuri Loni, Ghaziabad	Printing	12.12.2019	Unit sealed & Electricity connection disconned	1
857	M/s. Lal Singh Bakery, House No B-56, Indrapuri Loni, Ghaziabad	Bakery	12.12.2019	Unit sealed & Electricity connection disconned	1
858	M/s. Pawan Singh Dyeing & Washing, Indrapuri Loni, Ghaziabad	Dyeing & Washing	12.12.2019	Unit sealed & Electricity connection disconned	1
859	M/s. Azru Washing & Dyeing, D-35, Indrapuri Loni, Ghaziabad	Dyeing & Washing	12.12.2019	Unit sealed & Electricity connection disconned	1
860	M/s. Rahul Helmet, C-135, Indrapuri Loni, Ghaziabad	Helmet	12.12.2019	Unit sealed & Electricity connection disconned	1
861	M/s. Deshraj Dyeing, House No-130, C-Block, Indrapuri Loni, Ghaziabad	Dyeing & Washing	12.12.2019	Unit sealed & Electricity connection disconned	1
862	Unknown Name, Indrapuri Loni, Ghaziabad	Dyeing & Washing	12.12.2019	Unit sealed & Electricity connection disconned	1
863	Unknown Name, D-69/2, Indrapuri Loni, Ghaziabad	Helmet	12.12.2019	Unit sealed & Electricity connection disconned	1
864	M/s. Lakhan Singh, C-61, Indrapuri Loni, Ghaziabad	Chemical	12.12.2019	Unit sealed & Electricity connection disconned	1
865	M/s. Deep Niwash Tower, C-31, Indrapuri Loni, Ghaziabad	Mobile Tower	12.12.2019	Electricity connection disconned	1
866	M/s. Manoj Jain, A-55, Indrapuri Loni, Ghaziabad	Mattres	12.12.2019	Unit sealed & Electricity connection disconned	1

867	Unknown Name, Indirapuri Loni, Ghaziabad	Foam	12.12.2019	Unit sealed & Electricity connection disconned	1
868	M/s. Maa Bhagwati Palace, Indirapuri Loni, Ghaziabad	Marrige Hall	12.12.2019	-	1
869	M/s. Raj Singh Gatta Godown, A-62, Indirapuri Loni, Ghaziabad	Gatta Godown	12.12.2019	Unit sealed & Electricity connection disconned	1
870	Unknown Name, Neelam Compund, 29/30, Indirapuri Loni, Ghaziabad	Dyeing	12.12.2019	Unit sealed & Electricity connection disconned	1
871	M/s. S.P. Brothers, Neelam Compund, Arya Nagar Loni, Ghaziabad.	PVC Board	12.12.2019	Unit sealed & Electricity connection disconned	1
872	M/s. Dilshad Daga Factory, Neelam Compund, Arya Loni, Ghaziabad	Daga Factory	12.12.2019	Unit sealed & Electricity connection disconned	1
873	M/s A.R.Trading Company,Maulana Azad colony, Behta Hazipur,Loni	Wire Godown	06.02.2020	Godown sealed	1
874	Sama w/o Haneef,Maulana Azad colony, Behta Hazipur,Loni	Wire Godown	06.02.2020	Illegal material/wire seized and stored at NPP Loni	1
875	Unknown,Maulana Azad colony, Behta Hazipur,Loni	Wire Godown	06.02.2020	Godown sealed	1
876	Moh. Ali S/O Ali Ashgar,Maulana Azad colony, Behta Hazipur,Loni	House	06.02.2020	Illegal material/wire seized and stored at NPP Loni	1
877	Unknown,Maulana Azad colony, Behta Hazipur,Loni	Wire Godown	06.02.2020	Godown sealed	1
878	Salim S/O Sakeel,Maulana Azad colony, Behta Hazipur,Loni	House	06.02.2020	Illegal material/ PCB seized and stored at NPP Loni	1
879	Arif s/o Noor Mohammad, Behta Hazipur,Loni	Wire Godown	06.02.2020	Godown sealed	1
880	Hazi S/O Unknown, Behta Hazipur,Loni	House	06.02.2020	Illegal material/wire seized and stored at NPP Loni	1
881	Riyaz Ahmad S/O Unknown, Behta Hazipur,Loni	House	06.02.2020	Illegal material/wire seized and stored at NPP Loni	1
882	Khaleel S/O Unknown, Behta Hazipur,Loni	House	06.02.2020	Illegal material/wire seized and stored at NPP Loni	1
883	Saleem s/o Khurshid , Behta Hazipur,Loni	House	06.02.2020	Illegal material/wire seized and stored at NPP Loni	1
884	Sajid s/o unknown, Behta Hazipur,Loni	Wire Godown	06.02.2020	Godown sealed	1
885	Naseer s/o unknown, Behta Hazipur,Loni	Wire Godown	06.02.2020	Godown sealed	1
886	Unknown , Behta Hazipur,Loni	Wire Godown	06.02.2020	Godown sealed	1
887	Samshad s/o Faiz Mohammad , Behta Hazipur,Loni	Wire Godown	06.02.2020	Godown sealed	1
888	Anil Dhama s/o Rajpal Dhama, Teela Sahbajpur, Nahar Road,Loni	Metal recovery and Acid work	07.02.2020	Unit dismantled & Electricity connection disconned	1
889	Unknown, Teela Sahbajpur, Nahar Road,Loni	Metal recovery and Acid work	07.02.2020	Unit dismantled & Electricity connection disconned	1
890	Unknown, Teela Sahbajpur, Nahar Road,Loni	Metal recovery and Acid work	07.02.2020	Unit dismantled & Electricity connection disconned	1

891	Unknown, Teela Sahbajpur, Nahar Road, Loni	Metal recovery and Acid work	07.02.2020	Unit dismantled & Electricity connection disconnected	1
892	Moh. Rashid s/o Hazi sarafat, Pipeline Road, Teela Sahbajpur, Loni	Metal recovery / Acid and foundry work	07.02.2020	Unit sealed & Electricity connection disconnected	1
893	Shri Vipin Kumar S/o Shri Haridas, Krishna Vihar Phase-2, Behta Hazipur, Loni, Ghaziabad	Melting Furnace	12.10.2020	Sealed	1
894	Unknown Name, Krishna Vihar Phase-2, Behta Hazipur, Loni, Ghaziabad	Melting Furnace	12.10.2020	Sealed	1
895	Shri Mahendra S/o Unknown-I Krishna Vihar Phase-2, Behta Hazipur, Loni, Ghaziabad	Melting Furnace	12.10.2020	Sealed	1
896	Shri Mahendra S/o Unknown-II, Krishna Vihar Phase-2, Behta Hazipur, Loni, Ghaziabad	Melting Furnace	12.10.2020	Sealed	1
897	Shri Shankar Mandal S/o Jagdish Mandal-I, Krishna Vihar Phase-2, Behta Hazipur, Loni, Ghaziabad	Melting Furnace	12.10.2020	Sealed	1
898	Shri Shankar Mandal S/o Jagdish Mandal-II, Krishna Vihar Phase-2, Behta Hazipur, Loni, Ghaziabad	Melting Furnace	12.10.2020	Sealed	1
899	Shri Ashish S/o Shri Ganesh-I, Krishna Vihar Phase-2, Behta Hazipur, Loni, Ghaziabad	Melting Furnace	12.10.2020	Sealed	1
900	Shri Ashish S/o Shri Ganesh-II, Krishna Vihar Phase-2, Behta Hazipur, Loni, Ghaziabad	Melting Furnace	12.10.2020	Sealed	1
901	Shri Ashish S/o Shri Ganesh-III, Krishna Vihar Phase-2, Behta Hazipur, Loni, Ghaziabad	Melting Furnace	12.10.2020	Sealed	1
902	Shri Pramod S/o Unknown, Krishna Vihar Phase 2, Behta Hazipur, Loni, Ghaziabad	Melting Furnace	12.10.2020	Sealed	1
903	Unknown Name, 30 Futa Road, Amit Vihar Behta Hazipur, Loni, Ghaziabad	Scrap Melting	15.10.2020	Dimolished	1
904	Unknown Name, 30 Futa Road, Amit Vihar Behta Hazipur, Loni, Ghaziabad	Scrap Melting	15.10.2020	Dimolished	1
905	Unknown Name, 30 Futa Road, Amit Vihar Behta Hazipur, Loni, Ghaziabad	Scrap Melting	15.10.2020	Dimolished	1
906	42 Illegal Scrap Melting Furnace, Amit Vihar, Behta Hazipur, Loni, Ghaziabad	Scrap Melting	16.10.2020	Dimolished	42
907	53 Illegal Scrap Melting Furnace, Amit Vihar, Behta Hazipur, Loni, Ghaziabad	Scrap Melting	20.10.2020	Dimolished	53
908	M/s OM Plastic, Arya Nagar industrial Area, Loni, Ghaziabad	Plastic Gulla	31.10.2020	Sealed/Electricity Disconnection	1
909	M/s. Rama Sharma, Arya Nagar Industrial Area, Ghaziabad	Textile	31.10.2020	Sealed/Electricity Disconnection	1
910	06 Illegal Scrap Melting Furnace, Amit Vihar, Behta Hazipur, Loni, Ghaziabad	Scrap Melting		Dimolished	6
911	M/s. Plaza Sales Corporation, Plot No-42, Roop Nagar Loni, Ghaziabad	Casting	11.12.2019	Unit sealed & Electricity connection disconnected	1
912	M/s. Malik Washing, Plot No-101/2, Arya Nagar Loni, Ghaziabad	Washing & Dyeing	11.12.2019	Unit sealed & Electricity connection disconnected	1
913	Unknown Name, Indrapuri Loni, Ghaziabad	Washing & Dyeing	11.12.2019	Unit sealed & Electricity connection disconnected	1

914	M/s. Maa Bhagwati Washing, Plot No-101, Arya Nagar, Loni, Ghaziabad	Washing & Dyeing	11.12.2019	Unit sealed & Electricity connection disconned	1
915	M/s. Shree Krishan Kumar Ragosav, Arya Nagar, Loni, Ghaziabad	Washing & Dyeing	11.12.2019	Unit sealed & Electricity connection disconned	1
916	M/s. Anil Washing, Arya Nagar, Loni, Ghaziabad	Washing & Dyeing	11.12.2019	Unit sealed & Electricity connection disconned	1
917	M/s. Chaman Enterprises, Plot No-8, Khasra No-110, Arya Nagar, Loni Ghaziabad.	Polishing	11.12.2019	Unit sealed & Electricity connection disconned	1
918	M/s. B.P. Rubber, Arya Nagar Loni, Ghaziabad	Rubber	11.12.2019	Unit sealed & Electricity connection disconned	1
919	M/s. Jahageer, Gullewali Gali, Arya Nagar, Loni, Ghaziabad	Plastic Gulla	11.12.2019	Unit sealed & Electricity connection disconned	1
920	M/s. Gajrani, Arya Nagar, Loni, Ghaziabad	Plastic Gulla	11.12.2019	Unit sealed & Electricity connection disconned	1
921	M/s. Raju, Arya Nagar Loni, Ghaziabad	Plastic Gulla	11.12.2019	Unit sealed & Electricity connection disconned	1
922	M/s Prince Dyeing, Khasra No-397, Gali No-2, Arya Nagar Loni, Ghaziabad	Washing & Dyeing	11.12.2019	Unit sealed & Electricity connection disconned	1
923	M/s. Gulzar Metel, Arya Nagar, Loni, Ghaziabad.	Washing	11.12.2019	Unit sealed & Electricity connection disconned	1
924	M/s. M.Y. Industries, Arya Nagar, Loni, Ghaziabad	Steel Fabricating	11.12.2019	Unit sealed & Electricity connection disconned	1
925	M/s. Avon Dyeing, Indrapuri Loni, Ghaziabad	Dyeing & Washing	12.12.2019	Unit sealed & Electricity connection disconned	1
926	M/s. Smt. Santra, Indrapuri Loni, Ghaziabad	Dyeing & Washing	12.12.2019	Unit sealed & Electricity connection disconned	1
927	M/s. Unkown Name, Indrapuri Loni, Ghaziabad	Printing	12.12.2019	Unit sealed & Electricity connection disconned	1
928	M/s. Vinod Kumar, Indirapuri Loni, Ghaziabad	Helmet	12.12.2019	Unit sealed & Electricity connection disconned	1
929	M/s. Harvish Singh, Indirapuri Loni, Ghaziabad	Printing	12.12.2019	Unit sealed & Electricity connection disconned	1
930	M/s. Lal Singh Bakery, House No B-56, Indirapuri Loni, Ghaziabad	Bakery	12.12.2019	Unit sealed & Electricity connection disconned	1
931	M/s. Pawan Singh Dyeing & Washing, Indirapuri Loni, Ghaziabad	Dyeing & Washing	12.12.2019	Unit sealed & Electricity connection disconned	1
932	M/s. Azru Washing & Dyeing, D-35, Indirapuri Loni, Ghaziabad	Dyeing & Washing	12.12.2019	Unit sealed & Electricity connection disconned	1
933	M/s. Rahul Helmet, C-135, Indirapuri Loni, Ghaziabad	Helmet	12.12.2019	Unit sealed & Electricity connection disconned	1

934	M/s. Deshraj Dyeing, House No-130, C-Block, Indrapuri Loni, Ghaziabad	Dyeing & Washing	12.12.2019	Unit sealed & Electricity connection disconned	1
935	Unknown Name, Indrapuri Loni, Ghaziabad	Dyeing & Washing	12.12.2019	Unit sealed & Electricity connection disconned	1
936	Unknown Name, D-69/2, Indrapuri Loni, Ghaziabad	Helmet	12.12.2019	Unit sealed & Electricity connection disconned	1
937	M/s. Lakhan Singh, C-61, Indrapuri Loni, Ghaziabad	Chemical	12.12.2019	Unit sealed & Electricity connection disconned	1
938	M/s. Deep Niwash Tower, C-31, Indrapuri Loni, Ghaziabad	Mobile Tower	12.12.2019	Electricity connection disconned	1
939	M/s. Manoj Jain, A-55, Indrapuri Loni, Ghaziabad	Mattres	12.12.2019	Unit sealed & Electricity connection disconned	1
940	Unknown Name, Indrapuri Loni, Ghaziabad	Foam	12.12.2019	Unit sealed & Electricity connection disconned	1
941	M/s. Maa Bhagwati Palace, Indrapuri Loni, Ghaziabad	Marrige Hall	12.12.2019	-	1
942	M/s. Raj Singh Gatta Godown, A-62, Indrapuri Loni, Ghaziabad	Gatta Godown	12.12.2019	Unit sealed & Electricity connection disconned	1
943	Unknown Name, Neelam Compund, 29/30, Indrapuri Loni, Ghaziabad	Dyeing	12.12.2019	Unit sealed & Electricity connection disconned	1
944	M/s. S.P. Brothers, Neelam Compund, Arya Nagar Loni, Ghaziabad.	PVC Board	12.12.2019	Unit sealed & Electricity connection disconned	1
945	M/s. Dilshad Daga Factory, Neelam Compund, Arya Loni, Ghaziabad	Daga Factory	12.12.2019	Unit sealed & Electricity connection disconned	1
946	M/s A.R.Trading Company,Maulana Azad colony, Behta Hazipur,Loni	Wire Godown	06.02.2020	Godown sealed	1
947	Sama w/o Haneef,Maulana Azad colony, Behta Hazipur,Loni	Wire Godown	06.02.2020	Illegal material/wire seized and stored at NPP Loni	1
948	Unknown,Maulana Azad colony, Behta Hazipur,Loni	Wire Godown	06.02.2020	Godown sealed	1
949	Moh. Ali S/O Ali Ashgar,Maulana Azad colony, Behta Hazipur,Loni	House	06.02.2020	Illegal material/wire seized and stored at NPP Loni	1
950	Unknown,Maulana Azad colony, Behta Hazipur,Loni	Wire Godown	06.02.2020	Godown sealed	1
951	Salim S/O Sakeel,Maulana Azad colony, Behta Hazipur,Loni	House	06.02.2020	Illegal material/ PCB seized and stored at NPP Loni	1
952	Arif s/o Noor Mohammad, Behta Hazipur,Loni	Wire Godown	06.02.2020	Godown sealed	1
953	Hazi S/O Unknown, Behta Hazipur,Loni	House	06.02.2020	Illegal material/wire seized and stored at NPP Loni	1
954	Riyaz Ahmad S/O Unknown, Behta Hazipur,Loni	House	06.02.2020	Illegal material/wire seized and stored at NPP Loni	1
955	Khaleel S/O Unknown, Behta Hazipur,Loni	House	06.02.2020	Illegal material/wire seized and stored at NPP Loni	1

956	Saleem s/o Khurshid , Behta Hazipur,Loni	House	06.02.2020	Illegal material/wire seized and stored at NPP Loni	1
957	Sajid s/o unknown, Behta Hazipur,Loni	Wire Godown	06.02.2020	Godown sealed	1
958	Naseer s/o unknown, Behta Hazipur,Loni	Wire Godown	06.02.2020	Godown sealed	1
959	Unknown , Behta Hazipur,Loni	Wire Godown	06.02.2020	Godown sealed	1
960	Samshad s/o Faiz Mohammad , Behta Hazipur,Loni	Wire Godown	06.02.2020	Godown sealed	1
961	Anil Dhama s/o Rajpal Dhama, Teela Sahbajpur, Nahar Road,Loni	Metal recovery and Acid work	07.02.2020	Unit dismantled & Electricity connection disconned	1
962	Unknown, Teela Sahbajpur, Nahar Road,Loni	Metal recovery and Acid work	07.02.2020	Unit dismantled & Electricity connection disconned	1
963	Unknown, Teela Sahbajpur, Nahar Road,Loni	Metal recovery and Acid work	07.02.2020	Unit dismantled & Electricity connection disconned	1
964	Unknown, Teela Sahbajpur, Nahar Road,Loni	Metal recovery and Acid work	07.02.2020	Unit dismantled & Electricity connection disconned	1
965	Moh. Rashid s/o Hazi sarafat, Pipeline Road, Teela Sahbajpur,Loni	Metal recovery / Acid and faundry work	07.02.2020	Unit sealed & Electricity connection disconned	1
966	Shri Vipin Kumar S/o Shri Haridas, Krishna Vihar Phase-2, Behta Hazipur, Loni, Ghaziabad	Melting Furnace	12.10.2020	Sealed	1
967	Unknown Name, Krishna Vihar Phase-2, Behta Hazipur, Loni, Ghaziabad	Melting Furnace	12.10.2020	Sealed	1
968	Shri Mahendra S/o Unknown-I Krishna Vihar Phase-2, Behta Hazipur, Loni, Ghaziabad	Melting Furnace	12.10.2020	Sealed	1
969	Shri Mahendra S/o Unknown-II, Krishna Vihar Phase-2, Behta Hazipur, Loni, Ghaziabad	Melting Furnace	12.10.2020	Sealed	1
970	Shri Shankar Mandal S/o Jagdish Mandal-I, Krishna Vihar Phase-2, Behta Hazipur, Loni, Ghaziabad	Melting Furnace	12.10.2020	Sealed	1
971	Shri Shankar Mandal S/o Jagdish Mandal-II, Krishna Vihar Phase-2, Behta Hazipur, Loni, Ghaziabad	Melting Furnace	12.10.2020	Sealed	1
972	Shri Ashish S/o Shri Ganesh-I, Krishna Vihar Phase-2, Behta Hazipur, Loni, Ghaziabad	Melting Furnace	12.10.2020	Sealed	1
973	Shri Ashish S/o Shri Ganesh-II, Krishna Vihar Phase-2, Behta Hazipur, Loni, Ghaziabad	Melting Furnace	12.10.2020	Sealed	1
974	Shri Ashish S/o Shri Ganesh-III, Krishna Vihar Phase-2, Behta Hazipur, Loni, Ghaziabad	Melting Furnace	12.10.2020	Sealed	1
975	Shri Pramod S/o Unknow, Krishna Vihar Phase 2, Behta Hazipur, Loni, Ghaziabad	Melting Furnace	12.10.2020	Sealed	1
976	Unknow Name, 30 Futa Road, Amit Vihar Behta Hazipur, Loni, Ghaziabad	Scrap Melting	15.10.2020	Dimolished	1
977	Unknow Name, 30 Futa Road, Amit Vihar Behta Hazipur, Loni, Ghaziabad	Scrap Melting	15.10.2020	Dimolished	1
978	Unknow Name, 30 Futa Road, Amit Vihar Behta Hazipur, Loni, Ghaziabad	Scrap Melting	15.10.2020	Dimolished	1
979	42 Illegal Scrap Melting Furnace, Amit Vihar, Behta Hazipur, Loni, Ghaziabad	Scrap Melting	16.10.2020	Dimolished	42

980	53 Illegal Scrap Melting Furnace, Amit Vihar, Behta Hazipur, Loni, Ghaziabad	Scrap Melting	20.10.2020	Dimolished	53
981	M/s OM Plastic, Arya Nagar industrial Area, Loni, Ghaziabad	Plastic Gulla	31.10.2020	Sealed/Electricity Disconnection	1
982	M/s. Rama Sharma, Arya Nagar Industrial Area, Ghaziabad	Textile	31.10.2020	Sealed/Electricity Disconnection	1
983	06 Illegal Scrap Melting Furnace, Amit Vihar, Behta Hazipur, Loni, Ghaziabad			Dimolished	6
984	Shri Rafeeq Ahmad, C-35, East Jawahar Nagar, Loni, Ghaziabad	Dami	01.02.2021	sealed	1
985	Shri Karan Singh, C-35, East Jawahar Nagar, Loni, Ghaziabad	E-Waste	01.02.2021	sealed	1
986	Shri Bilal, D-57, East Jawahar Nagar, Loni, Ghaziabad	E-Waste	01.02.2021	sealed	1
987	Smt. Omviri, D-61, East Jawahar Nagar, Loni, Ghaziabad	E-Waste	01.02.2021	sealed	1
988	Smt. Omviri, D-61, East Jawahar Nagar, Loni, Ghaziabad	Dami	01.02.2021	sealed	1
989	M/s. Ajay Kumar S/o. Shri Munesh Kumar, Village Shabapur Bistar, Loni, Ghaziabad	Dyeing	25.02.2021	sealed	1
990	M/s. Pinku Kumar S/o. Bhagwat Singh, Village Shabapur Bistar, Loni, Ghaziabad	Dyeing	25.02.2021	sealed	1
991	M/s. Rajesh Kumar, Village Shabapur Bistar, Loni, Ghaziabad	Dyeing	25.02.2021	sealed	1
992	Shri Horilal S/o. Shyam Lal, Amit Vihar Behta Hazipur, Loni, Ghaziabad	E-Waste	17.03.2021	sealed	1
993	Unknown Name, Amit Vihar Behta Hazipur, Loni, Ghaziabad	E-Waste	17.03.2021	sealed	1
994	Unknown Name, Amit Vihar Behta Hazipur, Loni, Ghaziabad	E-Waste	17.03.2021	sealed	1
995	Unknown Name, Amit Vihar Behta Hazipur, Loni, Ghaziabad	E-Waste	17.03.2021	sealed	1
996	Unknown Name, Amit Vihar Behta Hazipur, Loni, Ghaziabad	Foundry	17.03.2021	sealed	1
997	Unknown Name, Amit Vihar Behta Hazipur, Loni, Ghaziabad	Foundry	17.03.2021	sealed	1
998	Unknown Name, Amit Vihar Behta Hazipur, Loni, Ghaziabad	Foundry	17.03.2021	sealed	1
999	Unknown Name, Amit Vihar Behta Hazipur, Loni, Ghaziabad	Foundry	17.03.2021	sealed	1
1000	Unknown Name, Amit Vihar Behta Hazipur, Loni, Ghaziabad	Foundry	17.03.2021	sealed	1
1001	Unknown Name, Amit Vihar Behta Hazipur, Loni, Ghaziabad	Foundry	17.03.2021	sealed	1
1002	Unknown Name, Amit Vihar Behta Hazipur, Loni, Ghaziabad	Foundry	17.03.2021	sealed	1
1003	Unknown Name, Amit Vihar Behta Hazipur, Loni, Ghaziabad	Foundry	17.03.2021	sealed	1
1004	Unknown Name, Amit Vihar Behta Hazipur, Loni, Ghaziabad	Foundry	17.03.2021	sealed	1
1005	Unknown Name, Amit Vihar Behta Hazipur, Loni, Ghaziabad	Acid Work	17.03.2021	sealed	1
1006	Shri Shyam Singh, Village Saffruddind Jawli Loni, Ghaziabad	Dyeing	16.03.2021	sealed	1
1007	Shri Bharat Singh, Village Saffruddind Jawli Loni, Ghaziabad	Dyeing	16.03.2021	sealed	1
1008	Shri Nitin Kumar S/o. Shri Yashpal Singh, Village Chirodi, Loni, Ghaziabad	Dyeing	16.03.2021	sealed	1

1009	Shri Amit Kumar S/o. Shri Vinesh Sabh, Village Chirodi, Loni, Ghaziabad	Dyeing	16.03.2021	sealed	1
1010	M/s Arun Dyeing & Washing, Arya Nagar, Loni, Ghaziabad	Dyeing	16.07.2021	sealed	1
1011	M/s. Saleem Jeans Dyeing & Washing, Arya Nagar, Loni, Ghaziabad	Dyeing	16.07.2021	sealed	1
1012	M/s. Arpit Plastic, Arya Nagar, Loni, Ghaziabad	Plastic Dana	16.07.2021	sealed	1
1013	M/s. Unkown Name, Arya Nagar, Loni, Ghaziabad	Wire Drawing	16.07.2021	sealed	1
1014	M/s. Unkown Name, Arya Nagar, Loni, Ghaziabad	Wire Drawing	16.07.2021	sealed	1
1015	CAQM Joint Committee in Amit Vihar Mandoli Redevelopment Area, Loni, Ghaziabad	(Metal, Scrap)	22.09.2021	Dimolished	4
1016	CAQM Joint Committee in Amit Vihar Mandoli Redevelopment Area, Loni, Ghaziabad	(Metal, Scrap)	24.09.2021	Dimolished	16
1017	CAQM Joint Committee in Amit Vihar Mandoli Redevelopment Area, Loni, Ghaziabad	(Metal, Scrap)	29.09.2021	Dimolished	10
1018	CAQM Joint Committee in Amit Vihar Mandoli Redevelopment Area, Loni, Ghaziabad	(Metal, Scrap)	23.09.2021	Dimolished	26
1019	CAQM Joint Committee in Amit Vihar Mandoli Redevelopment Area, Loni, Ghaziabad	Foundary	12.10.2021	Dimolished	6
1020	CAQM Joint Committee in Amit Vihar Mandoli Redevelopment Area, Loni, Ghaziabad	Foundary	14.12.2021	Dimolished	6
1021	CAQM Joint Committee in Amit Vihar Mandoli Redevelopment Area, Loni, Ghaziabad	Wire Melting	23.03.2022	Dimolished	9
1022	M/s. Sona Soap Factory, Nahar Road, Near Shani Temple, Village Tila Sahbajpur, Loni, Ghaziabad	Soap	06.08.2022	Sealed & Electricity Disconnection	1
1023	Umesh Jeans Dyeing & Washing, Jawli Loni, Ghaziabad	Dyeing	24.08.2022	Electricity connection disconned	1
1024	Paramji Jeans Dyeing & Washing, Jawli Loni, Ghaziabad	Dyeing	24.08.2022	Electricity connection disconned	1
1025	Lallan Jeans Dyeing & Washing, Jawli Loni, Ghaziabad	Dyeing	24.08.2022	Electricity connection disconned	1
1026	Bharat Singh Jeans Dyeing & Washing, Jawli Loni, Ghaziabad	Dyeing	24.08.2022	Electricity connection disconned	1
1027	Param Jeet Singh Jeans Dyeing & Washing, Jawli Loni, Ghaziabad	Dyeing	24.08.2022	Electricity connection disconned	1
1028	Shyam Singh Jeans Dyeing & Washing, Jawli Loni, Ghaziabad	Dyeing	24.08.2022	Electricity connection disconned	1
1029	M/s. Dinesh Surgical Co. India, 276/1, GF Block D, Vikas Kunj, Loni, Ghaziabad	Electroplating	29.09.2022	Electricity connection disconned letter sent	1
1030	Mohd. Sokat, Gali No-02, Vijay Vihar Pusta Road Near Mohhamadwadi Mashid, Ward No-45, Loni, Ghaziabad	Murti Making	29.09.2022	Electricity connection disconned letter sent	1
1031	Shri Boby, 07 Futa Road Defance Colony, Bhopura, Ghaziabad	Jeans Dyeing	16.09.2022	Electricity connection disconned letter sent	1
1032	Shri Deepak Kaushik, Gali No-06, Gagan Vihar, Bhopura, Ghaziabad	Jeans Dyeing	16.09.2022	Electricity connection disconned letter sent	1
1033	M/S. Decnet Enterprises, Roopnagar, Loni, Ghaziabad	Plastic	09.11.2022	Sealed	1
1034	M/s. A Star, Roop Nagar, Loni, Ghaziabad	Plastic	09.11.2022	Sealed	1

1035	M/s. Kapasya Products, Roop Nagar, Loni, Ghaziabad	Plastic	09.11.2022	Sealed	1
1036	M/s. Ravindra (Chemical), Shanti Nagar, Loni, Gzb	Chemical	10.11.2022	Sealed	1
1037	M/s. Zaidi Lying India (Fabricataion & Painting), Shanti Vihar, Behta Hazipur, Loni, Ghaziabad	Fabrication Job Work	10.11.2022	Sealed	1
1038	Somveer (Casting Factory), Khushalgarhi Chirodi, Loni, Ghaziabad	Casting	11.01.2023	Sealed/Dismantling	1
1039	08 Illegal casting Units, Chirodi Jangal, Loni, Ghaziabad	Casting	11.01.2023	Sealed/Dismantling	8
1040	01 illegal metal recovery unit, Chirodi Jangal, Loni, Ghaziabad	metal recovery	11.01.2023	Sealed/Dismantling	1
1041	Barkat Rubber Crushing, Afzalpur Loni, Ghaziabad	Rubber	11.01.2023	Dismantled	1
1042	Azad Khad Mixing, Afzalpur Loni, Ghaziabad	Khas Mixing	11.01.2023	sealed	1
1043	01 illegal acid recovery unit, Bhanera Khurd, Loni, Ghaziabad	Acid recovery	11.01.2023	Sealed/Dismantling	1
1044	01 illegal metal recovery unit, Bhanera Khurd, Loni, Ghaziabad	metal recovery	11.01.2023	Sealed/Dismantling	1
1045	02 Scrap Melting units, Near Bharat City, Afzalpur, Loni, Ghaziabad	Scrap Melting	11.01.2023	Sealed/Dismantling	2
1046	01 Illegal Shoes Shol, Afzalpur Loni, Ghaziabad	Shoes	11.01.2023	Dismantled	1
1047	Parvez Malik 02 illegal Acid Recovery units, Bhanera Khurd, Loni, Ghaziabad	Acid recovery	11.02.2023	Dismantled	2
1048	Shohit Sad Washing & Dyeing Unit, Naipura, Arya Nagar, Loni, Ghaziabad	Dyeing	12.01.2023	sealed/electricity disconnection	1
1049	Begraj Pradhan Washing & Dyeing Unit, Naipura, Arya Nagar, Loni, Ghaziabad	Dyeing	12.01.2023	sealed/electricity disconnection	1
1050	Chandra Prabha Dyeing & Washing, Arya Nagar, Loni, Ghaziabad	Dyeing	12.01.2023	sealed/electricity disconnection	1
1051	Shyam Singh Dyeing & Washing, Near Jawli Nahar, Loni, Ghaziabad	Dyeing	12.01.2023	sealed/electricity disconnection	1
1052	Paramjeet Singh Dyeing & Washing, Near Jawli Nahar, Loni, Ghaziabad	Dyeing	12.01.2023	sealed/electricity disconnection	1
1053	Bharat Singh Jeans Dyeing & Washing, Jawli Loni, Ghaziabad	Dyeing	12.01.2023	sealed/electricity disconnection	1
1054	07 illegal Casting Units, Amit Vihar, Behta Hazipur, Loni, Ghaziabad	Casting	13.01.2023	Sealed	7

1055	02 Acid Recovery Units, Amit Vihar, Behta Hazipur, Loni, Ghaziabad	Acid recovery	13.01.2023	Sealed	2
1056	Shri Furkan, Plot No-A-51, Indirapuri Loni, Ghaziabad		17.01.2023	Sealed	1
1057	श्री अरविन्द, ग्राम मांडला वार्ड नं-32, नगर पालिका परिषद, लोनी, गाजियाबाद	casting	14.03.2023	letter sent for disconnection	1
1058	मैसर्स ध्रुवन इण्टरप्राइजेज प्रा0 लि0, बी-10, मेरठ रोड औद्योगिक क्षेत्र, साईट-3, गाजियाबाद	Plastic Dana	15.12.2022	letter sent for disconnection	1
1059	श्री यासिन मकान संख्या ई-366, बुद्धनगर निकट सुनहरी मस्जिद, लोनी गाजियाबाद	Oil Mill	19.11.2022	letter sent for disconnection	1
1060	मैसर्स चॉद फाउण्ड्री, खसरा नं-1190, गली नं-4, विकास कुंज, तहसील लोनी, गाजियाबाद	Melting Unit	17.12.2022	letter sent for disconnection	1
1061	मैसर्स शकील फाउण्ड्री, खसरा नं-1191, गली नं-4, विकास कुंज, तहसील लोनी, गाजियाबाद	Melting Unit	17.12.2022	letter sent for disconnection	1
1062	Saheed Nagar		21.06.2023		6
1063	Saheed Nagar		22.06.2023		8
1064	Arya Nagar, Tila Sahbajpur		23.06.2023		4
					1368

ग्राम-बहलोलपुर, सेक्टर-65, नोएडा में अवैधरूप से स्थापित/संचालित फ़ैब्रिक डाईंग

इकाईयों की सूची

1. मेसर्स राज प्रोसेर्स	श्री दिलशाद	9818001312
2. मेसर्स शिवम् डाईंग	श्री शिवम् कुमार	9717615432
3. मेसर्स चन्दन डाईंग	श्री चन्दन कुमार	8527486261
4. मेसर्स वरुण गंगवार डाईंग	श्री वरुण कुमार	9716001063
5. मेसर्स शुभम् प्रिन्टर	श्री दददु मिश्रा	9873120951
6. मेसर्स प्रीति इन्टरप्राइजेज	श्री तारकिशोर	8178167758
7. मेसर्स पूजा डायर्स	श्री अनिल कुमार	7011636989
8. मेसर्स राधिका डाईंग	श्री पप्पू कुमार	8999042701
9. मेसर्स सलीम डाईंग गैस एजेन्सी के पास	श्री सलीम	7503590791
10. मेसर्स अभय डाईंग गैस एजेन्सी के पास	श्री मनीराम	9599173774
11. डी0 वी0 इन्टरप्राइजेज गली न0-05,		
12. न्यूरो प्रिन्ट		
13. शिवा डार्डगं		
14. जय बाबा		
15. आर0 के0 इन्टरप्राइजेज		
16. आशू डाईंगं		